खण्ड-249, अंक-5
गुरूवार, 17 वैशाख, शक संवत् 1886
(7 मई, 1964 ई0)

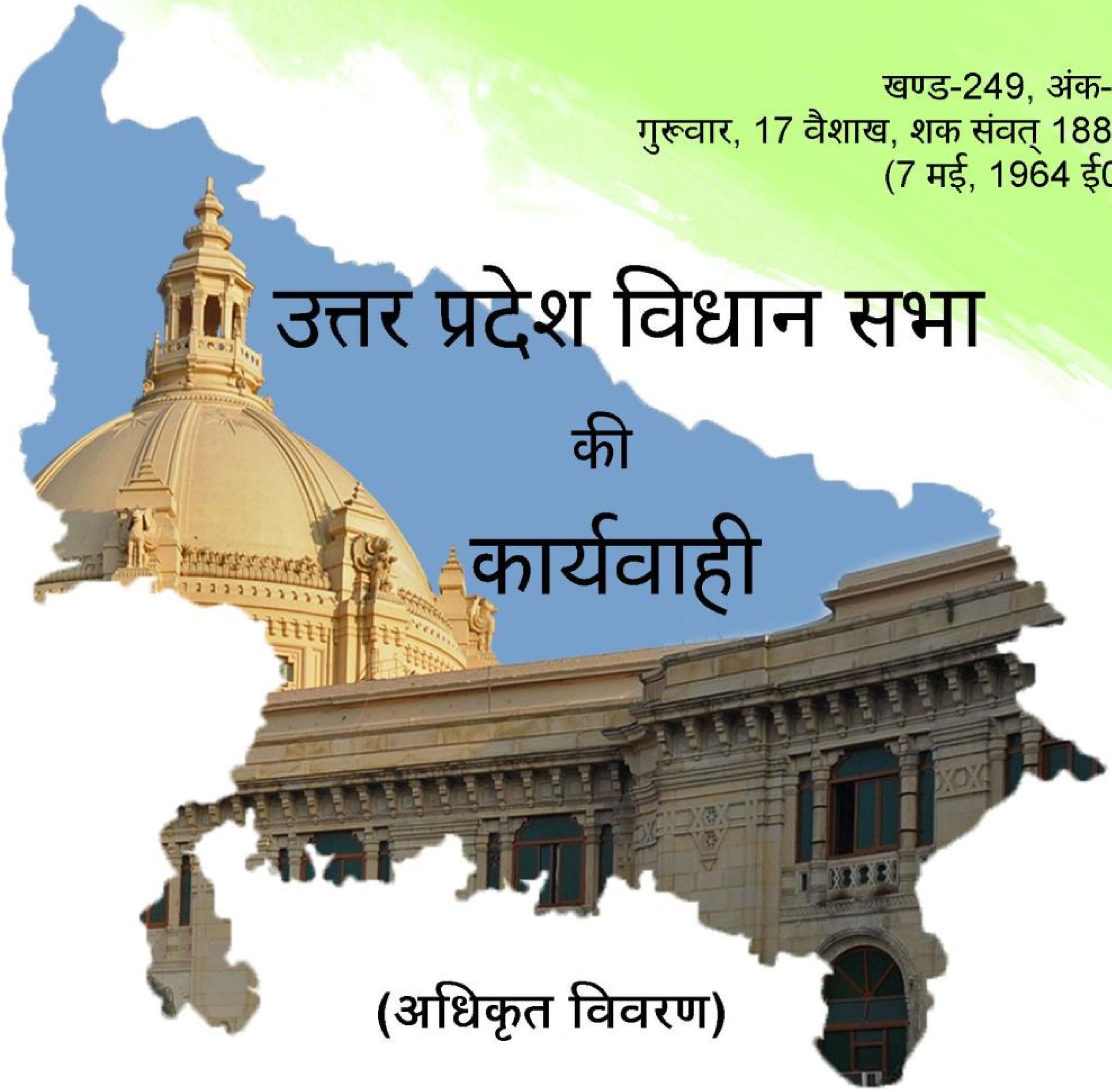

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 249 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४५१–४५५
प्रश्नोत्तर	४५६–५११
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	५११
उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गयी) ..	५१२
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५१२
तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	५१२–५१४
विनियोग लेखे १९६१-६२ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६३ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	५१४
लोक लेखा समिति का सातवां कार्य-सम्परीक्षण प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	५१४
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी) ..	५१४
स्थानीय निकायों के चुनाव पुनः अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने के सम्बन्ध में में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई) ..	५१४–५१७
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (स्थगित) ..	५१७
इलाहाबाद जिले में पाले से फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	५१७–५१८
आजमगढ़ जिले में शारदा कैनाल में पानी न होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	५१८
श्री राम आसरे वर्मा पर प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी)	५१८–५१९
स्थायी समितियों तथा अन्य समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना ..	५१९
श्री रामआसरे वर्मा पर प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी)	५१९–५२३
जालौन जिले की उरई नगरपालिका के अन्तर्गत महात्मा गांधी की मूर्ति के अनावरण के सम्बन्ध में की गई गिरफ्तारियों के विषय में वक्तव्य ..	५२३–५२४
श्री रामआसरे वर्मा पर प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५२४
संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों के कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा ..	५२४–५२५
कतिपय विषय (जारी)	५२५
संविधान के अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को निर्दिष्ट विषय के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष की सूचना	५२५–५२६

विषय	पृष्ठ संख्या
कतिपय विषय	५२६
५ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न ३–४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	५२६
न्यायालयों में भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में मुकर्जी समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	५२६–५२७
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विधान परिषद् द्वारा संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	५२७–५५५
स्थानीय निकायों के चुनाव पुनः अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव	५५५–५७४
नत्थियां	५७५–५९१

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ७ मई, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री

नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नीसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री

रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजबब, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरजप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री

शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाबुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार ७, मई, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वेतन समिति

**१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट भाषण में यह कहा गया था कि निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते पर विचार करने के लिये एक पे कमेटी नियुक्त करके विचार किया जायेगा ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

जी नहीं ।

**२—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कमेटी द्वारा क्या निर्णय किया गया और वह कमेटी कब बैठी ?

श्री जयराम वर्मा—

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बजट भाषण में सरकार ने ऐलान किया था कि निम्नवेतन भोगी कर्मचारियों के लिये कमीशन की नियुक्ति करेंगे और अब क्या सरकार उससे पीछे जा रही है ?

श्री जयराम शर्मा—

पीछे जाने की बात नहीं है । जो कहा था उस पर स्थिर हैं । बात यह थी कि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के वेतन-क्रम और सेवा की अन्य शर्तों को युक्ति संगत बनाने क लिये एक समिति की नियुक्ति की घोषणा की गई थी ।

श्री नेकराम शर्मा—

वह समिति कब तक गठित हो जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—

समिति में कौन-कौन लोग रखे जावें, इस पर विचार हो रहा है ।

राजनीतिक पेन्शन

**३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों (पोलीटिकल वर्कर्स) की पेंशनों में भी उसी प्रकार वृद्धि करने का विचार करेगी जिस प्रकार वह विधान सभा व विधान परिषद् के सदस्यों के वेतन व दैनिक भत्ते में वृद्धि कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

राज्य के प्रत्येक राजनैतिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति को १ अप्रैल, १९६४ से पांच रुपये मासिक महंगाई भत्ता देने का निर्णय ले लिया गया है और इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उनकी सरकार ने विधायकों की तनख्वाह और भत्ते में ५० प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव पास करके उसका कानून बना दिया है और उनको ५० प्रतिशत वृद्धि दे दी है तो राजनीतिक पीड़ित लोगों ने, जिन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानी की है उनको उसी अनुपात में वृद्धि न दे कर केवल ५ रुपया ही क्यों दिया है, इसको वे साफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया विधायकों की समानता के आधार पर उसी अनुपात में राजनीतिक पीड़ितों के पेन्शन को बढ़ाने का कोई कंसिडरेशन हमारे सामने नहीं था और न उस आधार पर बढ़ाया गया ।

(व्यवधान)

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

सरकार ने जो यह राजनीतिक पीड़ितों की पेंशन में ५ रुपये की वृद्धि की है तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने क्या कोई ऐसी पालिसी बना ली है जिस से राज नीतिक पीड़ितों के पेंशन में एक यूनिफार्मिटी हो ? और यदि है, तो उसका आधार क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

पेंशन देने का सिद्धान्त केवल ४७ में कबूल किया गया । और पेंशन पाने वाले जो होते हैं उनकी हैसियत व जरूरत को देख कर ही यह तय किया जाता है । जहां तक पेंशन वृद्धि का सवाल है, ५ रुपया एडहाक सब की पेंशन में वृद्धि होगी, जो कि इस वक्त पेंशन पा रहे हैं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पेंशन देने में किसने कितनी कुर्बानी की है इस को आधार क्यों नहीं माना गया, जो आपने अपने उत्तर में बतलाया कि राजनीतिक पीड़ितों की आर्थिक स्थिति देख कर ही उनको सहायता दी जाती है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कुर्बानी का भी लिहाज किया जाता है, कौन कितनी बार जेल गया है उसका भी लिहाज रखा जाता है ।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब कलेक्टरों व डिप्टी कलेक्टरों का भी महंगाई भत्ता आपने ४० रुपया कर दिया है, जो ज्यादा है, तो उनके मुकाबले में राजनीतिक पीड़ितों का क्यों कम है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इसमें कोई समानता का खयाल नहीं किया गया है राजनीतिक पीड़ित जो पेंशन पाने वाले हैं, उनमें सब से कम पेंशन २० रु० है ।

श्री उग्रसेन—

जब केन्द्रीय सरकार अपने पे कमीशन की रिकमन्डेशन के अनुसार नहंगाई के आंकड़ों के आधार पर अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दे रही है तो माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता न दे कर ऐसे ही अललटप्पू महंगाई भत्ता देने का फैसला क्यों कर दिया गया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

गाजियाबाद में अर्जित भूमि संबंधी मुआवजे के मामले

**४—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

क्या यह सच है कि गाजियाबाद के किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे के संबंध में बनी एक सब कमेटी ने हाल ही में कुछ फैसले किये हैं ? अगर हां, तो वह फैसले क्या हैं और क्या वह फैसले सिर्फ (Improvement trust) द्वारा ली गई जमीन पर लागू होंगे या हर प्रकार के लिए ली गई जमीन पर भी ?

स्वायत्त शासन मंत्री सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

गाजियाबाद में अर्जित की जाने वाली भूमि के मुआवजे का मामला मंत्रि परिषद के विचाराधीन है ।

श्री तेजसिंह—

कैबिनेट की सब-कमेटी ने क्या फैसला किया जो बनी थी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

कैबिनेट के फैसले गोपनीय होते हैं । अन्तिम निर्णय अभी नहीं हुआ है ।

श्री तेजसिंह—

यह अखबार में निकल चुका है कि ४ करोड़ रुपया उन्हें मिलेगा और यह ६ हजार एकड़ जमीन पर लागू होगा । क्या यह सही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं नहीं कह सकता कि कौन से अखबार का जिक्र है, लेकिन मुआवजा एक ही रेट से सबको दिया जायगा ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

जब तक कैबिनेट का अंतिम फैसला हो तब तक के लिये किसानों के लिये सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

निर्णय अब जल्दी ही होने वाला है ।

श्री ब्रह्मदत्त माथर—

जिन किसानों की जमीन ली गई है वे ३-४ साल से बेकार बैठे हैं, उनके खाने पीने और बच्चों के पोषण के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हो सकता है कि कुछ किसानों की ऐसी बात हो, लेकिन बहुत से किसानों की जमीन उनके इस्तेमाल में भी रही है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

कैबिनेट का अन्तिम फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह कैबिनेट की मीटिंग और अजेंडे पर निर्भर है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वहां के किसानों के कितने जबरदस्त आन्दोलन, डेपुटेशन और प्रदर्शन हुये। तो क्या यह सोशलिस्ट सरकार इस बात पर विचार करने के लिये तैयार है कि किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा मिले ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा मुआवजा मिले।

श्री तेजसिंह—

११,००० एकड़ में से, सिवाय रिटवालों के, कितनी जमीन किसानों के पास है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नोटिस की आवश्यकता है।

चिरैथापुर के अग्निपीड़ितों को सहायता

**५—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माननीय समाज कल्याण मन्त्री को विधान सभा के सदस्य, श्री मुकुट बिहारी लाल, द्वारा दिनांक ३० मार्च, १९६४ को कोई पत्र इस आशय का मिला है कि बाराबंकी जिले की तहसील राम-सनेहीघाट के ग्राम चिरैथापुर में भीषण अग्निकांड के फलस्वरूप बड़ी तबाही हो गई, अस्तु, सरकार शीघ्र सहायता करे ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

जी हां।

**६—श्री दयाराम शाक्य तथा श्री रक्षपालसिंह—

यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जांच के पश्चात् १० अग्निपीड़ितों को १६५ रु० अहेतुक सहायता के रूप में दिये गये। तकावी लेने को कोई राजी नहीं हुआ।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अग्निकांड में कितने घर जल गये तथा कितने की आर्थिक हानि हुई ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

२८ मार्च, को जो अग्निकांड हुआ उसमें २४ मकान जले और ५,५०४ रुपये का नुकसान हुआ।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि दूसरी बार आग लगने में कितना नुकसान हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

३१ मार्च को जो आग लगी उसमें १० मकान जले।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

यह आग लगने की सूचना किसने दी और कब दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी सूचना तो नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर कानूनगो और नायब तहसीलदार मौके पर मुआयना करने के लिये गये और उनके साथ श्री मुकुट बिहारी लाल, एम० एल० ए०, भी थे।

श्री रक्षपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जिनके घर जल गये हैं, उन्होंने तकावी इस लिये नहीं ली, क्योंकि उसकी पहली किस्त के लिये २ महीने बाद ही देने की शर्त रखी गयी है ? क्या माननीय मंत्री जी १ साल के बाद किस्त वसूल करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एक मर्तबा वसल करने में बड़ी तकलीफ होती है इसलिये हम किस्तों में वसूल करना चाहते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

जो यह तीन बार अग्निकांड हुआ उसकी अधिकारियों की ओर से सूचना कितने दिन बाद दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१६५ रुपया उनको अहेतुक सहायता दी गयी है।

श्री मुकुटबिहारी लाल—

इस सूचना के कितने दिनों के बाद यह सहायता दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बताया नहीं जा सकता।

श्री रक्षपालसिंह—

जिन लोगों के इस प्रकार मकान जल कर खाक हो जाते हैं, उन लोगों को सहायता दिये जाने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कलेक्टर जितना रिकमेंड करते हैं उतनी सब्सीडी दी जाती है।

श्री दयाराम शाक्य—

एक बार २४ मकान जले और दूसरी बार १० मकान जले, लेकिन केवल १६५ रुपया अहेतुक सहायता ही दी गयी। केवल थोड़े से लोगों को ही अहेतुक सहायता क्यों दी गयी ? क्या और लोग उस सहायता को पाने के अधिकारी नहीं थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो गरीब और अकिंचन होते हैं, उन्हीं को सहायता दी जाती है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्रीजी, जिनके मकान जल गये हैं, उनके लिये पी० डब्ल्यू० डी० से मकान बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंहविसेन—

ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्रीजी इस बात पर विचार करेंगे कि तकावी न लेने का मुख्य कारण यह था कि उसकी किस्त ३–४ महीने के बाद ही देनी पड़ती थी जिसको वे नहीं दे सकते थे । तो क्या मंत्रीजी तकावी के नियमों में इस प्रकार की ढिलाई करेंगे कि पहली किस्त एक साल के बाद ड्यू हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी कोई बात हमसे नहीं कही गयी कि इस वजह से तकावी नहीं लेते ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मेफेयर सिनेमा, लखनऊ में संदिग्ध व्यक्ति

*१—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि क्या उसे पता है कि विगत सप्ताह में लखनऊ नगर में दो पाकिस्तानी युवक तथा एक चीनी लड़की उच्च कोटि के छविगृहों (सिनेमा हालों), जलपान गृहों में अक्सर बैठे दिखाई पड़ रहे हैं ? दोनों नवयुवक चपकी पतलून, कमीज तथा लड़की साड़ी पहिने रहती है तथा उनके साथ एक औरत भी रहती है जो भारतीय सी लगती है ? वे ५ मार्च, १९६४ को मेफेयर सिनेमा हाल में साढ़े छः बजे वाले शो में ३ रुपया वाली श्रेणी में पैसेज की बायीं ओर नीचे की पंक्ति से तीसरी पंक्ति में तथा पैसेज की ओर से ४ सीटें छोड़ कर बैठे थे तथा जिन्होंने मैटिनी शो का टिकट ले रखा था जिसे द्वारपाल (डोर कीपर) के बताने पर उन्होंने बदलवाया ? यदि हां, तो वे कौन लोग हैं तथा कहां टिके हैं और क्यों आये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनका पता लगाकर सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उक्त व्यक्तियों में कोई भी पाकिस्तानी अथवा चीनी नहीं है और वे सभी भारतीय नागरिक हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह भारत के किस प्रदेश के रहने वाले हैं और क्या उनके संबंधी पाकिस्तान और ईराक में भी हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह देश के ही रहने वाले हैं और हमारे प्रदेश के ही रहने वाले हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वह लड़की जो थी वह इस प्रदेश की नहीं, बल्कि दुसरी जगह की रहने वाली है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

लड़की नेपाल की है, लेकिन उसकी शादी यहां हुई है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वह लड़की किसी नेपाल परिवार की है और उसका पिता फौज में मेजर के पद पर है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने बता दिया कि शादी यहां हो गई इसलिये निवासी नहीं कहते ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

उन्हें यह मालूम है कि उसका पिता फौज में है और पति उसका मुसलमान है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, यह नहीं मालूम है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या मंत्री जी को पता है कि जिन २ लड़कों का नाम है उनके लगभग सभी संबंधी पाकिस्तान और ईराक में है और एक संबंधी शायद ईराक में भी ए० डी० सी० है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं ।

कांकलपुर में जीवित व्यक्तियों की कूप समाधि

*२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को पता है कि गांव सभा कांकलपुर, थाना चोलापुर, जिला वाराणसी, में तारीख ७ मार्च, १९६४ को कुआं खोदते हुये ५ व्यक्ति कुआं में दब कर मर गये हैं और आज तक उनकी लाश नहीं निकाली जा सकी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां । दिनांक ७ मार्च, १९६४ को ग्राम कांकलपुर में इस प्रकार की घटना हुई जिसमें ५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई । इन व्यक्तियों के शव निकालनें के लिये भरसक प्रयत्न किये गये, किन्तु सफलता नहीं मिली ।

*३—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि जब गांव वालों ने लाश निकालने के लिये एस० एस० पी० व जिलाधीश को दरख्वास्त दी तो एस० एस० पी० ने १० हजार रुपया जमा कराने को कहा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गांव वालों ने न तो एस० एस० पी० को प्रार्थना-पत्र ही दिया और न उनसे रुपया जमा करने के लिये ही कहा गया ।

सचिवालय में पदाधिकारियों के लिए एक स्थान पर कार्य करने की अवधि

*४—श्री माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार की यह नीति है कि सचिवालय में सचिव से लेकर अधीक्षक तक के पदों पर एक ही व्यक्ति ५ साल से अधिक एक ही विभाग या शाखा में काम करेगा ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

नीति यह है कि यथासंभव किसी अधिकारी को एक ही स्थान पर तीन चार वर्ष से अधिक न रक्खा जाय ।

*५—श्री माधोनारायण मुद्गल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार ५ साल के बाद तक के पदासीन उपरोक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण कर रही है और इस नीति के अनुसार पूरी कार्यवाही कब तक हो जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उपरोक्त नीति के अनुसार यथासंभव प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुये कार्यवाही की जाती है ।

*६—श्री माधोनारायण मुद्गल (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि मुख्य सचिव शाखा में एक अनुसचिव १५ साल से अधिक समय से भिन्न-भिन्न पदों पर एक ही अधिकारी तथा विभाग से संबंधित कार्य कर रहे हैं और उनका स्थानान्तरण १५ साल से नहीं हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां ।

सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी

*७—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को पता है कि विधान भवन में सरकारी सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दियां फटी व मैली रहती हैं ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो वर्दियां १९६० के बाद से अब तक दी जा रही हैं वह कमजोर कपड़े की हैं और चार, पांच धुलाई में ही फट जाती हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सन् १९६० के बाद से खादी की वर्दियां दी जाती हैं । खादी इतना कमजोर नहीं होता कि चार पांच धुलाई में फट जाय ।

*८—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस कपड़े की वर्दियां १९६० से पहले सफेद जीन की दी जाती थीं वह सफेद जीन की वर्दियां सरकार को अब देने में क्या कठिनाइयां हैं ? क्या सरकार मजबूत सफेद सूती खद्दर अथवा जीन के कपड़े की वर्दियां देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

खादी को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने यह तै किया है कि खादी की वर्दियां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दी जायं । जीन की वर्दियां अगर दी जायंगी तो खादी का प्रोत्साहन कम हो जायगा ।

जीन की वर्दियां देना मुमकिन नहीं है ।

*९—श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को पता है कि इन कर्मचारियों की वर्दी की धुलाई के लिये जो धन १९४२ से मिलता आ रहा है, वह धुलाई के रेट बढ़ जाने के कारण अब पर्याप्त नहीं है ? क्या सरकार इसको बढ़ाकर अधिक धन देने का कष्ट करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सन् १९४२ में सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी की धुलाई की दर केवल ८ आना प्रति मास गर्मियों के लिये और ४ आना प्रति मास जाड़े के चार महीनों के लिये थी। इस रकम में अब वृद्धि कर दी गई है। सन् १९४९ से १ रु० ८ आना प्रति मास धुलाई की दर कर दी गई है। सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी की धुलाई की दर बढ़ाने का प्रश्न फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्रीन पार्क कानपुर में रूसी सर्कस

*१०—श्री रक्षपालसिंह—

कानपुर स्थित ग्रीन पार्क में जो रूसी सर्कस होने जा रहा है उसके सम्बन्ध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि :

(१) उक्त सर्कस कितने दिन के लिये तथा किन शर्तों पर उत्तर प्रदेश में आया है ?

(२) उसका विज्ञापन, प्रचार तथा प्रबंध राजकीय अधिकारियों द्वारा क्यों किया जा रहा है ?

(३) उक्त सर्कस पर सरकार कितना धन व्यय करेगी ?

(४) क्या यह सत्य है कि पुलिस वैन नम्बर यू० पी० आई० ४११० द्वारा उसके पर्चे बांटे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

विद्युत् उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

(१) सर्कस ४ दिन (२० से २३ मार्च, १९६४ तक) के लिए भारत सरकार की विदेशी सांस्कृतिक आदान-प्रदान योजना के अन्तर्गत आया था। किसी प्रकार की शर्त नहीं थी।

(२) भारत सरकार के निर्देशानुसार यह व्यवस्था राजकीय अधिकारियों द्वारा कराई गई थी।

(३) राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

(४) जी हां। पुलिस पेट्रोल कार से उनके क्षेत्रों में सर्कस के पर्चे उनकी दैनिक ड्यूटी के साथ-साथ अतिरिक्त व्यय बचाने के उद्देश्य से बंटवाये गये थे।

श्री रक्षपालसिंह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय सरकार से यह आदेश मिला....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप देखें कि उधर श्री नेकराम जी किस तरह से बैठे हैं, यह सदन का कन्टेप्ट है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये।

श्री रक्षपाल सिंह—

मैं जानना चाहता हूं जब केन्द्रीय सरकार से विदेश सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के अन्तर्गत कार्य करने का आदेश प्रान्तीय सरकार को मिला तो प्रदेशीय सरकार ने उसको अपने सांस्कृतिक विभाग या सूचना विभाग के द्वारा क्यों नहीं करा कर पुलिस विभाग द्वारा कराना उचित समझा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

एक कन्चरल प्रोग्राम रखा गया। उन्होंने कहा दिखा दो और डी० एम० लिए जो अफसर था। चूंकि पेट्रोल कार घूमती ही थी इसलिये कुछ परचे उससे बटवा दिये गये। तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस सर्कस को जो भी आमदनी होगी वह भारत सरकार ही को दे दी जायगी एन० डी० एफ० में जमा करने के लिये, क्या यह सही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आमदनी का सवाल नहीं है। अभी तक उन्होंने ७० हजार रु० इसके खर्चे के लिये दिया था। जो आमदनी हुई वह उनको लौटा दी गई। अब वह जानें।

श्री दयाराम शाक्य—

मंत्री जी ने कहा कि पेट्रोल कार द्वारा प्रचार कराया गया, परन्तु सर्कस की स्वयं गाड़ियां प्रचार के लिये थीं जिनके द्वारा बराबर प्रचार होता रहा। तो क्या आवश्यकता हुई कि सरकार को अपनी गाड़ी से प्रचार कराना पड़ा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

ज्यादा प्रचार करना चाहते थे। यह पेट्रोल कार तो घूमती थी, उससे परचे बटवा दिये।

नगीना के निकट दून एक्सप्रेस दुर्घटना

*११—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १०—११ अप्रैल की रात देहरादून एक्सप्रेस (डाउन) नगीना, जिला बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटना-ग्रस्त हुई ? यदि हां, तो उसका कारण क्या था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। दुर्घटना के कारण की अभी जांच हो रही है।

*१२—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि रेलवे ट्रैफ की सुरक्षा का कार्य प्रान्तीय पुलिस के हाथों में होते हुये अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

दुर्घटना का कारण अभी नहीं पता चला है, अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी को रिपोर्ट है कि जिस समय गाड़ी उलटी तो लाइन की दोनों पटरियों के कुछ बोल्ट्स खुले हुए थे ?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी हां ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस चीज को मानते हुये कि सैबोटेज का केस है, मंत्री जी आदेश देंगे कि फरदर इन्क्वायरी की जाय ?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी हां, जांच हो रही है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस स्थान पर कम्युनिस्ट तत्व बड़ा सक्रिय हो चुका है, अतः इस बात की जांच करायी है कि यह कार्य कम्युनिस्टों का तो नहीं है ?

श्री हरगोविंद सिंह—

मैंने जवाब दिया कि जांच हो रही है कि किस प्रकार से किसने बोल्ट्स निकाले । अब कम्युनिस्ट थे या जनसंघी थे, यह अभी कौन जाने ?

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

मंत्री जी रेल पटरियों की रक्षा के लिये कोई प्रबंध कर रहे हैं ?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी हां, इसका इंतजाम पहले भी किया गया था और जरूरत होगी तो फिर भी किया जायगा ।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

मंत्री जी ने कहा कि जांच हो रही है । तो मंत्री जी इसकी जांच शीघ्र कराने की कृपा करेंगे और जो कार्यवाही होगी उसको सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन–नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

उर्दू मुअम्मे

*१–श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस समय पूरे प्रदेश में किन-किन जिलों में उर्दू के मुअम्मे निकल रहे हैं और किस–किस नाम से ? साथ में उनके मालिकों के क्या नाम है ?

श्री हरगोविंद सिंह—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७५ पर)

*२–श्री शराफत हुसैन रिजवी (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इन मुअम्मों के मालिक जैसे चिराग मुअम्मा, लखनऊ और मुमजात मुअम्मा, सहारनपुर हर दो–तीन माह के बाद नाम बदल कर पब्लिक को लूट रहे हैं ? हां, तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी नहीं ।

मेरठ में हत्याओं की घटनाएं

*३—श्री जगदीशशरण रस्तोगी (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि शहर मेरठ में सन् १९६३ में पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक हत्याएं हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविंदसिंह—

मेरठ शहर में हत्या की घटनाओं में सन् १९६३ में सन् १९६२ की अपेक्षा कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई तथा सन् १९६१ की अपेक्षा कमी हुई है । सन् १९६३ में जो वृद्धि हुई उसका कोई विशेष कारण नहीं है ।

*४—श्री जगदीशशरण रस्तोगी (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि इन हत्याओं के करने वाले अधिकतर अपराधियों का अभी तक पता भी नहीं चल पाया है ?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी नहीं । सन् १९६३ की घटनाओं में ६ व्यक्ति अपराधी पाये गये और सभी गिरफ्तार हुये ।

श्री एम० बी० लाल, प्रोजेक्ट अधिकारी, मऊरानीपुर

*५—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री एम० बी० लाल श्रीवास्तव, मौजूदा प्रोजेक्ट अधिकारी, मऊरानीपुर, जिला झांसी, तथा भूतपूर्व जिला उद्योग अधिकारी, १९६० में जब कानपुर में थे, तो इनके सम्बन्ध में जो भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच हो रही थी उसमें क्या निर्णय हुआ और सीनियर अधिकारियों को छोड़कर इन्हें तरक्की देकर प्रोजेक्ट आफिसर कैसे बनाया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्री एम० बी० लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध जब वह १९६० में कानपुर में जिला उद्योग अधिकारी थे, कुछ शिकायतें फर्जी नामों से आई थीं जो जांच करने पर निराधार पाई गई । प्रोजेक्ट आफिसर के पद पर नियुक्ति द्वारा श्री श्रीवास्तव को कोई उन्नति नहीं दी गई ।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन शिकायतों की किस अधिकारी से जांच करायी गयी और संक्षेप में वे शिकायतें क्या थीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

शिकायतों की जांच डायरेक्टर की मारफत उनके अधिकारियों द्वारा हुई, लेकिन हुआ यह कि जब उन शिकायत करने वालों के पास चिट्ठी भेजी गयी कि वे आकर बतायें कि उनके पास क्या सबूत है तो पता चला है कि उन नामों के कोई व्यक्ति नहीं थे और वे बेनामी थे ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों ने उनके विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिये थे जांच के समय उनको कोई मौका दिया गया था कि वे अपने आरोपों को सिद्ध करें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने पहले निवेदन किया जब उन व्यक्तियों से पूछा गया तो पता चला कि इन नामों के कोई व्यक्ति नहीं थे ।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि श्री एम० बी० लाल श्रीवास्तव, कानपुर में एक क्लर्क थे जहां पर वे डायरेक्टर की नाक के बाल थे? वे उद्योग अधिकारी बने और बाद में प्रोजेक्ट अधिकारी, जिला झांसी में बने । उन्होंने हरिजन बुनकरों से हजारों रुपया अपने रिश्तेदार श्री मोहन की मदद से वसूल किये और भ्रष्टाचार बढ़ाया । यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं तो बता चुका हूं । इसकी तो कोई सूचना मेरे पास नहीं है । जो जांच करायी गयी उसमें उद्योग अधिकारी निरपराध पाया गया, बाद में उससे पूछा गया और उसने भी इंकार किया ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार ने ऐसी कोई नीति बनायी है कि जिस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत हो उसी अधिकारी से पूछा जाय और अगर वह इंकार करता है तो समझा जाय कि वह निर्दोष है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

संभवतः मैं समझा नहीं सका । उस अधिकारी से नहीं, जिन लोगों ने शिकायत की थी उनसे पूछा गया । उनके पास खत भेजा गया । पता चला कि इस नाम के कोई व्यक्ति ही नहीं हैं ।

श्री बलवान सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब सरकार करप्शन को मिटाना चाहती है तो अगर वह साबित नहीं हुए तो उस सस्पीशन पर सरकार प्रोमोशन की प्रवृत्ति को रोकेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सस्पीशन में तो कोई उन्नति रोकी नहीं जाती । यहां प्रोमोशन का भी सवाल नहीं है । जवाब में मैंने यह पढ़ा कि कोई उन्नति नहीं दी गयी ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अगर यह सिद्ध हो जाय कि मौजूदा प्रोजेक्ट अधिकारी, करप्ट है तो क्या सरकार उसकी जांच करायेगी और उसको हटाने की कोशिश करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप जानकारी दे दीजिये ।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर सब मामला उनके पास पेश कर दिया जाय तो क्या वे स्वयं इन्क्वायरी करने को तैयार हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप इतने इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य हैं। अगर आप सैटिसफाई नहीं हैं तो आप लिख कर दे सकते हैं। हमारा कोई इरादा किसी अफसर को प्रोटेक्ट करने का नहीं है।

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री ने कहा कि लिख कर दो, तो कहां लिख कर उनको दिया जाय ? यहां अथवा देहरादून में ?

श्री अध्यक्ष—

जहां आप को लिख कर देने में सुविधा हो ।

*६—७—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

[८ मई, १९६४ के लिये प्रश्न ३३–३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

[७ मई, १९६४ के निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

गन्ना विकास परिषद्

*१—श्री मोहन लाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जिलों में गन्ने की खेती का विकास करने के लिये जो गन्ना विकास परिषद् बनायी गयी हैं उनमें कौन-कौन से सदस्य होते हैं ? और उनके चुनने का क्या तरीका है तथा उनके अध्यक्ष कौन-कौन और कैसे चुना जाता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम, १९५३ की धारा ५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत फैक्टरियों के सुरक्षित क्षेत्र के लिये स्थापित गन्ना विकास परिषदों की सदस्यता, उनके चुनाव का ढंग तथा परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति के विषय में जो व्यवस्था की गई है उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है । परिषद् के अध्यक्ष वे व्यक्ति नामांकित होते हैं जो काश्त करते हैं, चीनी मिलों के अधिकारी हों वे अथवा ऐसे विशेषज्ञ जिन्हें गन्ने के विकास में रुचि हो ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५७६ पर)

*२—श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास परिषद् में खंडसारी के भी प्रतिनिधि होते हैं ? यदि हां, तो क्या यह वही व्यक्ति होते हैं जो खण्डसारी का कार्य करते हों अथवा उनके स्थान पर अन्य कोई भी हो सकता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, गन्ना विकास परिषद् में खंडसारी यूनिटों के भी प्रतिनिधि होते हैं और वे व्यक्ति इसके सदस्य नामांकित किये जाते हैं जो गुड़, राब या खंडसारी का व्यवसाय करते हों या वे इस व्यवसाय से सम्बन्धित हों ।

मथुरा जिले में हरिजनों को कूप तथा गृह निर्माणार्थ सहायता

*३—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के हरिजनों को सन् १९६२–६३ में भवन निर्माण हेतु कितना रुपया दिया गया और हर तहसील में कितना और किस-किस गांव में मकान बनवाये गये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

१२,००० रुपया । तालिका 'क' संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५७७–५७८ पर)

*४—श्री लखी सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि छाता तहसील में किन-किन गांवों में हरिजनों के कुएं नहीं बने और क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

तालिका 'ख' संलग्न है । धनाभाव के कारण इन गांवों में कुयें नहीं बन पाये ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५७७–५७८ पर ।)

श्री लखीसिंह—

छाता तहसील में ४९ कुवें ऐसे हैं जो हरिजनों के लिये बने हैं जब कि वहां हरिजनों की जन-संख्या १००, १५० के है और माननीय मंत्राणी ने कह दिया कि धनाभाव के कारण नहीं बन पाये तो क्या वह कृपा करके हरिजनों के लिये जो गांधी जी के प्राण हैं पीने के पानी की व्यवस्था करेंगी ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

मथुरा जिले में ३७५ गांव में हरिजनों के लिये पीने के पानी के लिये कुवें नहीं थे । उनमें २२० गांव में कुवें बन चुके हैं । इनमें मथुरा जिले में १२ ब्लाक्स हैं और छाता तहसील में ३ ब्लाक्स हैं । ३ ब्लाकों में ५९ कुवें अभी नहीं बन पाये हैं, ७३ कुवें बन चुके हैं । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जिन गांवों में हरिजनों की आबादी ज्यादा है और कुवें नहीं बनें हैं उनके सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और भविष्य में उन लोगों को कठिनाई नहीं होगी, ऐसी मेरी धारणा है ।

श्री बलवानसिंह—

क्या सरकार हरिजनों को मुफ्त मेहनत देने की एवज में मकान और कुवें बना कर देने को तैयार हैं जिससे उनको रहने के लिये मकान और पीने के लिये पानी की व्यवस्था हो सके ?

डाक्टर सीताराम—

इस सम्बन्ध में योजना है और उसके अन्तर्गत कुवें बनाये जा रहे हैं । जहां तक श्रम का प्रश्न है उसके एवज नकद धन लें इसकी व्यवस्था है ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मथुरा जिले की जनसंख्या पौने ८ लाख के करीब है जिसमें १६ हरिजनों के भवन निर्माण के लिये १२ हजार रुपया दिया गया है जो कि हरिजनों की २ लाख से अधिक संख्या को देखते हुये बहुत कम है तो मथुरा जिले में उनकी दयनीय दशा को देख कर सारे मकानों का सर्वे करा कर सरकार अधिक से अधिक रुपया देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

धनाभाव के करण मथुरा जिले में अधिक घरों की व्यवस्था नहीं हो सकी है । मथुरा जिले के १२ ब्लाक्स में ४ ब्लाकों में १६ घरों का निर्माण किया गया है और अधिक धन देने के लिये सरकार सचेष्ट है लेकिन उनकी सारी समस्याओं को एक दम से समाधान एक दम से प्रान्त के हर हिस्से में करना असंभव है ।

श्री लखीसिंह—

अभाव जरूर है, यह मैं मानता हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ कुएं की बात कहूंगा मकान की नहीं, कि क्या सब से पहले इसी योजना में सब हरिजनों के लिये पानी पीने के लिये कुंयें बन जायेंगे या नहीं ?

डाक्टर सीताराम—

कोशिश की जा रही है। सब बन जायेंगे, यह अभी कहना मुश्किल है ।

भिक्षा-वृत्ति

*५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में भिक्षा प्रथा को बन्द करने के लिये कोई योजना उसने बनायी है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

शासन ने इस समय कोई योजना नहीं बनायी है। इसका मुख्य कारण अर्थाभाव है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

यदि अर्थाभाव के कारण कोई योजना भिक्षा वृत्ति को रोकने के लिये नहीं बनायी जा सकी तो इस समय इस प्रथा को रोकने के लिये सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह योजना पूरे प्रदेश के लिये बनाने की आवश्यकता है किन्तु इसमें धन की बहुत आवश्यकता होगी इसलिये पूरे प्रदेश के लिये ऐसा कोई विधान नहीं किया गया है । फिर भी प्रयोग के लिये दो जगह, हरद्वार और वाराणसी में कर्मशालायें खोली गयी हैं और इनमें लगभग सौ-सौ भिक्षुक शरण पा रहे हैं । तीसरी कर्मशाला खोलने का सरकार इस वर्ष विचार कर रही है ।

श्री उग्रसेन—

भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने के लिये दूसरे प्रान्तों ने प्रयास किये हैं, कानून भी बनाये हैं । तो यह योजना ठीक तरह से लागू हो सके, जैसा कि मंत्री जी भी चाहते हैं, क्या सरकार ने भिक्षुओं का सर्वेक्षण करा लिया है ? यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है ?

डाक्टर सीताराम—

१९५१ के सर्वेक्षण के मुताबिक इनकी संख्या एक लाख बीस हजार है और पांच कवाल टाउन्स में इनकी संख्या १२ हजार ३ सौ के करीब है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

भिक्षा मांगने वालों की ज्यादा तादाद शहरों के अन्दर ही है । तो क्या इसको ध्यान में रखते हुये म्युनिसिपैलिटीज को हिदायत की जायगी कि वे इन लोगों के लिये अलहदा इन्तजाम करें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

म्युनिसिपल ऐक्ट, १९१६ की धारा २४८ में पहले ही से दिया गया है कि इस प्रकार की भिक्षा वृत्ति वालों के लिये वे कार्रवाई करें ।

श्री बलवान सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि पैसे की कमी है । ठीक है, वह तो जब तक समाजवाद नहीं आयेगा तब तक यह सरकार टाटा, बिड़ला के चक्कर में फंसी रहेगी । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कोई ऐसी शिक्षा देने की कोशिश की है जिससे भिक्षुओं को काम करने की प्रवृत्ति की ओर ले जाया जा सके ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—

उन्हें एम० एल० ए० बना दिया जाय । (हंसी)

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सरकार द्वारा जो दो कर्मशालायें चलायी जा रही हैं उनमें भिक्षुओं को स्वावलम्बी बनाने के लिये कुटीर उद्योग भी सिखाये जा रहे हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

यह देखते हुये कि कानपुर में भिक्षुओं की संख्या अत्यधिक है इस योजना के अन्तर्गत जो तीसरी कर्मशाला खुलने वाली है क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि यह तीसरी कर्मशमला कानपुर में खोली जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कानपुर में भिक्षुओं के लिये पहले ही से भिक्षावृत्ति उन्मूलन समिति द्वारा भिक्षुक गृह चलाया जा रहा है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी ने इस पर विचार किया है कि भिक्षुओं की कई श्रेणियां हैं ? एक श्रेणी ऐसी है जो रेलव स्टेशनों पर या शहरों में लावारिसों की तरह से घूमा करती है, उनको शिक्षित किया जा सके या कहीं पर काम पर लगाया जा सके और दूसरी श्रेणी में वह लोग हैं जो सेठ, साहूकारों से पालिटिक्स के नाम पर मांगा करते हैं, ऐसे लोगों को रोका जाय ताकि वे ऐसा काम न करें ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

*६—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[हटा दिया गया ।]

हरदोई जिले में थाने

*७—श्री दिजेन्द्रनारायण पाण्डेय (जिला बाराबंकी), श्री कमला सिंह यादव (अनुपस्थित) तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में कौन-कौन पुलिस स्टेशन हैं और उनमें से हर एक पुलिस स्टेशन पर कौन-कौन स्टेशन आफिसर किन-किन तारीखों से वहां पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

आवश्यक सूचना संलग्न तालिका "क" पर दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. ५७९ पर)

*८—श्री द्विजेन्द्रनारायण पाण्डेय (अनुपस्थित)—

शाहाबाद, जिला हरदोई में इस समय सेकेन्ड आफिसर कितने दिनों से वहां पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना शाहाबाद में निम्नलिखित सब-इंस्पेक्टर द्वितीय के पद पर निम्नलिखित तारीखों से नियुक्त हैं :

१—सब-इंस्पेक्टर श्री एच० एन० शर्मा, सितम्बर ७, १९६३ से,

२—सब-इंस्पेक्टर श्री हरीहरसिंह, मई ९, १९६१ से,

३—सब-इंस्पेक्टर श्री नवाब अली, जुलाई १५, १९६१ से,

४—सब-इंस्पेक्टर श्रीराम शुक्ला, अगस्त ११, १९६३ से,

५—सब-इंस्पेक्टर श्री ए० एस० क्यू० कजलवाश, दिसम्बर ९, १९६३ से।

पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध श्री सूरजप्रसाद गुप्ता का पत्र

*९—श्री द्विजेन्द्रनारायण पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या सूरज प्रसाद गुप्ता उपनाम नीलकंठ गिरि ने १७ नवम्बर, १९६३ को पुलिस के अत्याचारों के विरोध में मुख्य मंत्री को एक प्रार्थना-पत्र दिया था ? क्या उसकी जांच की गयी ? और उस जांच की रिपोर्ट क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री सूरज प्रसाद गुप्ता उपनाम नीलकंठ गिरि द्वारा मुख्य मंत्री को संबोधित १४-११-६३ का पत्र प्राप्त हुआ जिसके संबंध में आवश्यक जांच की गई।

जांच से ुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए। पूरी जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा।

झूठा विज्ञापन करने वालों की बेलगांव में गिरफ्तारी

*१०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखेंगे कि "हेवी इन्डस्ट्रीज" की नौकरियों का विज्ञापन जो ७ और ८ फरवरी, १९६४ को प्रदेश के विभिन्न दैनिक अखबारों में छपा था और उसके संबंध में जो गिरफ्तारियां बाराबंकी जिले में हुई हैं उनके पीछे क्या रहस्य है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

हैवी इन्डस्ट्रीज की नौकरियों का जो विज्ञापन ७ और ८ फरवरी, ६४ को अखबारों में छपा था उसके संबंध में बाराबंकी जिले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बाराबंकी पुलिस से इस विज्ञापन की सूचना मिलने पर बेलगांव में, वहां की ुलिस ने गिरफ्तारी की और वहाँ की पुलिस मामले की विवेचना भी कर रही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी इसको देखते हुये कि बहुत से लोग फर्जी कंपनियां बनाकर जाली नाम से रुपया और शेयर मनी इकट्ठा करके लोगों को धोखा देते हैं जैसे कि यह कंपनी है, इसको रोकने के लिये मंत्री जी किसी योजना पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जहां मालूम हो पाता है वहां कार्यवाही की जाती है रोकथाम की। अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव दें तो वह भी किया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी का ध्यान चिटफंड स्कीमों की तरफ गया है ? उनको रोकने के लिये क्या सरकार कोई इन्तजाम करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अगर लोगों को धोखा देती हैं, यह मालूम हो जाय और आप सूचना दे सकें तो जांच होगी और उनके साथ कड़ी कार्यवाही की जायगी ।

सहकारी कताई मिलें

*११—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय योजनावधि में प्रदेश में कितनी और कहां-कहां सहकारी कताई मिलें, कितने तकुओं की क्षमता की और कितनी-कितनी लागत की खोली जाने वाली हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल, इटावा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२,३२० तकुओं की क्षमता का लाइसेंस प्राप्त हुआ था । जिसकी अनुमानतः लागत ८३.८५ लाख रुपया है। यह मिल लग रही है । इस मिल को अतिरिक्त १२,६८० तकुओं की क्षमता का लाइसेंस तृतीय योजना काल में मिला है, जिसकी अनुमानतः लागत ६८ लाख रुपया होगी ।

शाहगंज, जिला जौनपुर में १२,००० तकुओं की क्षमता की सहकारी मिल लगभग ८४ लाख लागत की लगाने की प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय सरकार में विचाराधीन है । अभी इसको लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शाहगंज में कताई मिल लगाने का प्रार्थनापत्र लाइसेंस के लिये केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह सितम्बर, १९६१ में भेजा गया था । अभी तक लाइसेंस के सैंक्शन के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि आजमगढ़, जौनपुर, बस्ती ऐसे जिले जहां पर बुनकरों की तादाद ज्यादा है और उनका यही पेशा रह गया है तो उनको रोटी देने के लिये मंत्री जी आवश्यक नहीं समझते हैं कि जौनपुर, शाहगंज, आजमगढ़ तथा बस्ती जिलों में सूती मिल खुलवाकर काम देने की व्यवस्था होनी चाहिये ? अब तक लाइसेंस प्राप्त न होने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जैसा कि मैंने कहा शाहगंज में दो तकुवे लगाने के प्रार्थनापत्र हमने अपनी सिफारिश से भारत सरकार के पास भेजे थे । उनकी भी कोई क्षमता होती है देने की । वह कुछ लाइसेंस पहले दे चुके थे, वह कुछ लगा रहे हैं । जो कुछ कैंसिल होंगे उनके सिलसिले में फिर कहेंगे कि उनके ऊपर फिर ध्यान दें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में उनकी ओर से सूती मिल खोलने के लिये भारत सरकार के पास कोई योजना गयी थी और गयी थी तो किन-किन स्थानों के लिये गयी थी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

बहुत से लाइसेंस दिये गये। उसकी सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि देहरादून में काफी लग रहे हैं और लखनऊ में सेंक्शन हो गया है। और भी कई जगह हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जिले में खलीलाबाद तहसील में सहकारी सूती मिल खोलने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में यह ऐलान किया था उसके लिये सीताराम जैपुरिया को लाइसेंस देने के लिये केंद्रीय सरकार से इस सरकार ने संस्तुति की थी, उस मिल के बारे में क्या हुआ ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसके लिये नोटिस चाहिये।

चीनी मिल, बिसवां से चीनी मिल जरवल को गन्ने की सप्लाई

*१२—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव केन डेवलपमेंट यूनियन, बिसवां, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, द्वारा जरवल शुगर मिल के लिये किन किन सेन्टरों से गन्ना खरीदा जाता है और इस वर्ष वे सेन्टर कब से चालू हुये तथा उन सेंटरों पर गन्ने की कीमत के भुगतान की क्या स्थिति है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

कोआपरेटिव केन डेवलपमेंट यूनियन, बिसवां (सीतापुर) के जिन सेन्टर्स से गन्ना जरवल रोड चीनी मिल को सप्लाई किया जाता है और इस उन वर्ष सेंटर्स के चालू होने की तारीख तथा उन सेंटर्सपर गन्ने के मूल्य के भुगतान की जो १५-४-६४ को स्थिति थी उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५८० पर)

*१३—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जरवल शुगर मिल द्वारा किसानों को गन्ने की कीमत अदा न किये जाने पर भी उस मिल को उपरोक्त प्रश्न में पूछे गये सेन्टर क्यों एलाट किये गये और यदि एलाट भी किये गये थे तो गन्ने की कीमत का दैनिक भुगतान की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि निर्दिष्ट सेंटर्स जरवल चीनी मिल को कई वर्षों से सुरक्षित होते आये हैं और इस क्षेत्र के किसानों को पिछले वर्ष के गन्ने का मूल्य मिल चुका है, इन सेंटर्स को १९६३-६४ में इस मिल को एलाट किया गया। मिल की कुछ कठिनाइयों के कारण २५-२-६४ को उक्त सेन्टरों का गन्ना दूसरी मिलों को दिया गया किन्तु इस चीनी मिल का फिनांसिंग प्रबन्ध हो जाने के कारण गन्ना आयुक्त द्वारा ७ मार्च को यह आदेश दे दिये गये कि इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादक स्वेच्छा से अपना गन्ना जरवल मिल को दे सकते हैं।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

जो तालिका संलग्न है उससे पता चल रहा है कि मिल पर ३५ लाख से ऊपर बकाया है, कई साल से डिफाल्टर होता आया है, इस तरह मिल की दुर्व्यवस्था है, किसानों का इतना बकाया है, इसको देखते हुये क्या मंत्री जी उसको गवर्नमेंट मैनेजमेंट में लेने की कृपा करेंगे या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसानों को दिन के दिन भुगतान हो जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आपको कुछ गलतफहमी है। इसमें बकाया कुल ३९ हजार ही है। ३५ लाख फिगर आपने कहां से दे दिया ?

समाज कल्याण अधिकारी तथा हरिजन कल्याण अधिकारी

*१४—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुछ समय पूर्व प्रत्येक जिले में एक समाज कल्याण अधिकारी और एक हरिजन कल्याण अधिकारी अलग-अलग नियुक्त थे ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अब दोनों पदों पर प्रत्येक जिले में एक ही हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी है ?

डाक्टर सीताराम—

जिला हरिजन कल्याण अधिकारी राज्य के हर जिले में तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी राज्य के १३ जिलों में नियुक्त थे। इन दोनों सेवा श्रेणियों को एक में मिलाकर अगस्त, १९६१ से जिलों में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

*१५—श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि कहीं-कहीं एक ही हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी दो-दो जिलों का कार्य देखता है ? यदि हां, तो वे जिले कौन-कौन हैं ?

डाक्टर सीताराम—

अल्मोड़ा, टेहरी-गढ़वाल, जालौन, और बिजनौर के लिए ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि वहां का कार्य दूसरी जगहों पर नियुक्त अधिकारी देखें। अतः इन जिलों में अलग से जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं।

*१६—श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि गत दो वित्तीय वर्षों में हरिजन तथा समाज कल्याण के लिये जो रुपया विधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था इसका अधिकांश व्यय नहीं हो सका और ऐसी धनराशि खजाने से निकाल कर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसरों ने अपने निजी खाते में डाल दी ? यदि हां, तो वह धन कितना था और ऐसा किस नियम के अन्तर्गत किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ में हरिजन कल्याण के विभिन्न मदों में क्रमशः ५८.२४८ लाख तथा ९८.६३४ लाख रुपया स्वीकृत किया गया। यह धन जिला परिषद् अथवा क्षेत्रीय समिति या ग्राम पंचायतों के वैयक्तिक खातों में हस्तान्तरित कर दिया गया। यह हस्तान्तरण गणतांत्रिक विकेन्द्रीकरण योजना के अनुसार था।

*१७—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—

[हटा दिया गया।]

*१८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[वापस ले लिया गया।]

इलाहाबाद जिलें में हरिजन बस्तियां

*१९—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के विकास क्षेत्र, कनैली मन्जनीपुर तथा सरसवां के अन्तर्गत हरिजन बस्ती बसाने के लिये कहां कहां कार्य आरम्भ किये गये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

निम्नलिखित ग्रामों में—

१—चक अहमदीपुर

२—मंजनपुर

३—अम्भावी

४—मवई

*२०—श्री नाथूराम शिक्षक—

उक्त कार्यों में अब तक कितना धन व्यय हुआ है और कहां तक कार्य पूरा हो चुका है ? यदि अधूरा है, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

४०,१४१.२० न० पै०

५९ मकानों का निर्माण होना है, जिनमें से ३४ मकान बनकर पूर्ण हो गये हैं। मकानों के निर्माण संबंधी सामानों के दाम बढ़ जाने के कारण २५ मकान अभी अपूर्ण हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक—

माननीय मंत्री की ओर से यह लिखित उत्तर मिला है कि केवल चार ही केन्द्र ऐसे हैं जो तहसील मंझनपुर में हरिजनों की आबादी के लिए बनाये जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उन चार अड्डों पर मकान कितने दिन से बनने शुरू हुए ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मकानों में कौन-कौन व्यक्ति रह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

क्या मतलब है आपका कि ये मकान बने नहीं हैं ?

श्री नाथूराम शिक्षक—

ये सारे मकान अधूरे और खाली पड़े हुए हैं। उनमें कोई नहीं रह रहा है।

श्री अध्यक्ष—

क्या ये सारे मकान खाली पड़े हुए हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सूचना तो केवल यह मांगी गई थी कि वह मकान बने या नहीं। उसमें यह मालूम हुआ कि ३४ बन गये हैं और कुछ अभी नहीं बने हैं जिनके कि बनाने का प्रयास हो रहा है। अब बसाये गए हैं या खाली हैं इसकी सूचना मंगानी पड़ेगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस प्रकार की समस्या बहुत बड़ी है और जगह-जगह पर यह जो मकान बनाये जा रहे हैं यह अधूरे पड़े हुए हैं, तो क्या सरकार उनको बनवाने के ऊपर ध्यान देगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

मैं जानना चाहता हूं कि यह जो मकानात या स्कीम्स शुरू होती हैं इनमें देर क्यों लगती है, यह पूरी क्यों नहीं हो पाती हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसमें कुछ तो मैटीरियल की कमी हो जाती है कुछ श्रमदान वगैरह की बात यहां होती है उसमें विलम्ब हो जाता है, उसी से कुछ विलम्ब होता है।

हल्दौर में महात्मा की सुरक्षा

*२१—श्री खेमचन्द (जिला आगरा), श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

क्या सरकार को पता है कि कस्बा हल्दौर, जिला बिजनौर में स्थित एक परिगणित महात्मा के आश्रम को गुन्डों ने कई बार उजाड़ दिया और उनको हर समय अपनी जान का भय बना रहता है तथा स्थानीय थाना इन्चार्ज ने रिपोर्ट हो जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की है ?

*२२—क्या सरकार गत सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर की इन वारदातों को ध्यान में रखते हुए थाना इन्चार्ज, हल्दौर को हिदायत करके महात्मा जी की सुरक्षा हेतु व्यवस्था कराने का आदेश देगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस सम्बन्ध में थाने पर कोई लिखित रिपोर्ट नहीं की गई। गत वर्ष माह अक्तूबर तथा नवम्बर में इस मढ़ी पर, जो कस्बा हल्दौर से बाहर जंगल में है, रात के समय तीन बार कुछ गुण्डे आये जिनको पहचाना नहीं जा सका। खटका होने पर जब साधु ने टोका तो वे भाग गये। इस बात का जैसे ही पुलिस को पता चला उन्होंने साधु जी की मढ़ी की देखभाल शुरू कर दी है। अब उन्हें कोई खटका नहीं है और वे सुरक्षित हैं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

माननीय मंत्री जी से मुझे सिर्फ इतना मालूम करना है कि मेरे पास जो इन्फार्मेशन है वह तो यह है कि आप की पुलिस का एक कांस्टेबिल तक वहां नहीं गया और कई बार इस प्रकार की घटना हो चुकी है तो क्या फिर उसकी जांच करा कर इस समस्या का हल और उनकी रक्षा का इन्तजाम सरकार करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन् पुलिस के वहां के जो थानाध्यक्ष हैं वह सब वहां जा चुके हैं और सब देखा जा चुका है, उनकी रिपोर्ट है कि कोई खतरा नहीं है।

होम गार्ड्स

*२३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार होमगार्ड के जवानों को भी सुरक्षा के लिए हथियार देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। सुरक्षा हेतु उन होम गार्डों को हथियार दिये जावेंगे, जिनको जिलाधीश आवश्यकता के समय उचित समझेंगे।

*२४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अब तक कितने होमगार्ड सैनिकों की भर्ती की गयी है और कितने व्यक्ति और भर्ती किये जाने की योजना है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

होम गार्ड्स की कुल भर्ती प्रदेश में १,४३,४३५ होना है। फरवरी के अन्त तक १,२७,३५५ होम गार्ड्स की भर्ती हो चुकी है तथा १६,०८० व्यक्ति और भर्ती करने हैं।

*२५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार ग्राम सुरक्षा का भार इन होमगार्ड सैनिकों पर भी डालने जा रही है ? यदि हां, तो उसका क्या रूप होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

आवश्यकता पड़ने पर होमगार्ड सैनिकों का सहयोग ग्राम सुरक्षा के लिये भी लिया जावेगा। वे ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्य भी रहेंगे। इस विषय पर पुलिस महानिरीक्षक से परामर्श भी हुआ है तथा एक योजना प्रदेश के उन सात जिलों में जो अपराध की दृष्टि से अधिक प्रभावित हैं, चलायी जावेगी जहां होम गार्ड जत्थे पुलिस के साथ अंधेरी रात में गश्त करेंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह सात जिले कौन हैं जो कि विशेष अपराध क्षेत्र में आते हैं और जिनमें होमगार्ड्स से सुरक्षा की व्यवस्था वह करने जा रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सात जिले ये हैं—मेरठ हैं जहां पर दो प्लैटून होम गार्ड्स के रखने की बात है, फतेहगढ़, कानपुर, मुरादाबाद, उन्नाव, बलिया और फैजाबाद।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुये कि बाराबंकी जिले में भी आये दिन राजनैतिक हत्यायें होती हैं और हमले होते हैं तो क्या सरकार बाराबंकी जिले को भी इन सात जिलों में शामिल करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस पर भी विचार करेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो होमगार्ड सिपाही भर्ती किये जायं देश की सुरक्षा के लिये उन सभी को हथियार बन्द कर दिया जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जांच-पड़ताल के बाद ही उनको हथियार दिये जायंगे।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि होमगार्ड के सैनिक और नागरिक सुरक्षा वालों से सप्लाई का भी काम लिया जाता है इससे उनके अन्दर भ्रष्टाचार और मनोबल गिरता है ? तो क्या ऐसा आदेश दिया जायगा कि उनसे सप्लाई विभाग का काम न लिया जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मेरा अनुभव तो यह है कि जब दाम बहुत बढ़ गये थे तो होमगार्ड्स को जहां पर रखा वहां दाम नीचे आये।

सचिवों व उप-सचिवों के ट्रान्सफर न होना

*२६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के कितने सचिव और उपसचिव ऐसे हैं जो कि एक ही विभाग में उसी पद पर तीन वर्ष से सेवा कर रहे हैं, वे किस-किस विभाग में हैं और उनको ट्रांसफर न किये जाने का क्या कोई विशेष कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सात सचिव व तेरह उपसचिव ऐसे हैं जिन्हें अपने पद पर एक ही विभाग में रहते हुये तीन वर्ष से अधिक हो गया है। इनकी सूचना संलग्न है।

इनको प्रशासकीय आवश्यकता व विभागीय हित के कारण ट्रान्सफर नहीं किया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५८१–५८२ पर)

फीरोजाबाद का चूड़ी उद्योग

*२७—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद के कांच व चूड़ी उद्योग में चालू कम्बीनेशन स्कीम सन् १९६४ के वास्ते भी जारी कर दी जायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

*२८—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद स्थित सरकारी गैस प्लान्ट का उपरोक्त नगर के कांच की चूड़ी के जुड़ैया कारीगरों द्वारा अधिकाधिक संख्या में प्रयोग न किये जाने के कारणों के बारे में पूछ-ताछ की है ? यदि हां, तो वे क्या कारण हैं तथा इनको दूर करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी हां।

(ख) फीरोजाबाद नगर के कांच की चूड़ी के जुड़ैया कारीगरों द्वारा अधिकाधिक संख्या में सम्बन्धित गैस प्लान्ट का प्रयोग न किए जाने के कारण निम्नलिखित है :—

(१) चूड़ी जोड़ने का खर्चा कुटीर कारखानों के बनिस्वत गैस प्लान्ट में कुछ अधिक पड़ता है।

नोट :—तारांकित प्रश्न २५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

(२) चूड़ी के जुड़ैया कारीगर अपने कुटीर कारखानों में जब तक चाहें काम कर सकते हैं परन्तु गैस प्लान्ट में केवल आठ घंटे ही काम कर सकते हैं, क्योंकि उक्त प्लान्ट फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत आता है।

(३) चूड़ी के जुड़ैया कारीगरों के परिवार के सदस्य भी, जिनमें स्त्रियां तथा बच्चे सम्मिलित हैं, कुटीर कारखानों में काम कर सकते हैं, परन्तु गैस प्लान्ट में यह सम्भव नहीं है।

(ग) चूंकि कांच की चूड़ी के जुड़ैया कारीगर जिन अस्वास्थ्यकर दशाओं में काम करते थे उनमें सुधार करने के उद्देश्य से ही गैस प्लान्ट की योजना चालू की गई थी, अतएव उन्हें उक्त प्लान्ट से होने वाले फायदों से परिचित कराने के लिए समय-समय पर मीटिंगें की गई हैं।

बलिया जिले के लिये इन्डस्ट्रियल एस्टेट

*२९—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में गत वर्ष एक इंडस्ट्रियल एस्टेट खोलने की व्यवस्था थी? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। भूमि अधिग्रहण न हो सकने के कारण विलम्ब हो रहा है।

भोपा व झिन्झाना थाने में कत्ल

*३०—श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर के थाना झिन्झाना में अप्रैल, १९६२ से दिसम्बर, १९६३ ई० तक कितने कत्ल किन-किन परिस्थितियों में हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त अवधि में थाना झिंझाना पर केवल चार कत्ल के मुकदमें दर्ज हुए। २ में हत्या का कारण ज्ञात नहीं हो सका, एक में हत्या जमीन से सम्बन्धित झगड़े के कारण हुई तथा शेष १ मामले में हत्या नहीं हुई बल्कि एक छोटी बालिका, मां की असावधानी के कारण कुएं में गिर पड़ी और मर गई। ३ मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई और एक में अपराधियों को चालान किया गया जो अदालत से छूट गए।

*३१—श्री शुगनचन्द मजदूर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६२ से दिसम्बर, १९६३ के अन्त तक थाना भोपा में कितने कत्ल किन-किन परिस्थियों में और कितनी डकैतियां पड़ीं और उनमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त अवधि में थाना भोपा पर ९ कत्ल तथा ८ डकैती के मामले दर्ज हुए।

कत्ल के मामले जमीन सम्बन्धी झगड़ों आपसी रंजिश, अनैतिक व्यवहार आदि के कारण हुए। कत्ल के ९ मामलों में से २ में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई और ७ मामले न्यायालय भेजे गए जिनमें से ६ में अभियुक्त छूट गए और एक न्यायालय में विचाराधीन है।

डकैती के ८ मामलों में से तीन में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई और पांच न्यायालय भेजे गये जिनमें से ३ सजायाब हुए, १ छूट गया और १ न्यायालय में विचाराधीन है।

हनुमानगंज ब्लाक में हरिजनों का पुनर्वासन

*३२—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा अरवार, ब्लाक हनुमानगंज, जिला बलिया के अन्तर्गत जो शिवपुर दीयर के १६ हरिजन परिवार उजड़ गये थे क्या सरकार द्वारा बसाये गये हैं? यदि हां, तो कब?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। १९६१-६२ के उपलब्ध धन से अनुदान स्वीकृत किया गया।

*३३—श्री रघुनाथ—

क्या प्रत्येक परिवार के लिए मकान भी बनाये गये हैं? तो प्रत्येक पर कितना खर्च हुआ है?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। १,००० रुपया।

*३४—श्री रघुनाथ—

क्या सरकार को यह भी पता है कि उन परिवारों के उन घरों में प्रवेश करने के पहिले ही मकान ढह गये हैं? ऐसे कमजोर मकान बनाने की जिम्मेदारी किस पर है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। इसकी जिम्मेदारी गृहीताओं पर ही है, क्योंकि उन लोगों ने स्वयं ही मकान निर्माण कराये थे। मकानों की मरम्मत गृहीताओं द्वारा करा ली गई है और वे उन में रह रहे हैं।

फीरोजाबाद कांच उद्योग को सोडा ऐश की सप्लाई

*३५—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद के कांच व चूड़ी उद्योग को सोडा की सप्लाई के बारे में सरकार को गत १ वर्ष से जो बराबर प्रतिवेदन मिलते रहे हैं उनके बारे में तथा डेवलपमेन्ट विंग, नयी दिल्ली (केन्द्रीय सरकार) की ओर से भेजे गये तारीख १ अगस्त, १९६३ के पत्र के उत्तर में कांच विभाग से सोडा की समस्या को हल करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं तथा इस बारे में अब तक जो देरी हुई है उसके क्या कारण हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

फीरोजाबाद के कांच व चूड़ी उद्योग को सोडा ऐश की प्राप्ति के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां हुई उनको दूर करने के लिये राज्य के कांच में विभाग ने निम्नांकित कदम उठाये:

१—डेवलपमेन्ट आफिसर (ग्लास) ने भारत सरकार के डेवलपमेन्ट आफिसर एलकली से सम्पर्क स्थापित कर समस्या को हल करने का अनुरोध किया गया। १८-४-६३ को स्वयं दिल्ली जाकर भारत सरकार के सम्मुख इस समस्या को रखा।

२—फलतः डेवलपमेन्ट आफिसर (एलकली) केन्द्रीय सरकार ने सोडा ऐश के ४ उत्पादकों से १९-४-६३ को अनुरोध किया कि वे फीरोजाबाद के कांच व चूड़ी उद्योग द्वारा मांगे गये सोडा ऐश की पूर्ति करें।

३---इसके अतिरिक्त राज्य के कांच विभाग ने साहू केमिकल्स वाराणसी से अनुरोध किया कि वे उपर्युक्त सोडा ऐश की मांग की पूर्ति करें।

४---९-५-६३ को हमारे अफसरों ने पुनः भारत सरकार के डेवलपमेन्ट आफिसर (एलकली) को समस्या से अवगत कराया। फलतः उन्होंने २१-६-६३ को संबंधित व्यक्तियों की मीटिंग नई दिल्ली में बुलायी जिसकी कार्यवाही १-८-६३ के पत्र द्वारा प्राप्त हुई।

५---इस मीटिंग में लिये गये निर्णयों के आधार पर राज्य के कांच विभाग ने सोडा ऐश के चारों उत्पादकों को ७०० टन प्रति माह सोडा ऐश देने का अनुरोध किया किन्तु तीन उत्पादकों ने इस सम्बन्ध में अपनी असमर्थता प्रकट की तथा एक ने २०० टन प्रति माह देने का वादा किया।

६---जो सोडा ऐश प्राप्त हुआ उसका वितरण नवम्बर-दिसम्बर, ६३ में किया गया।

७---दिसम्बर, १९६३ में सोडा ऐश की कीमत पर से भी नियंत्रण हटा लिया गया।

८---इस सम्बन्ध में कांच विभाग द्वारा कोई देर नहीं हुई है।

काष्ठ कला स्कूल, इलाहाबाद

*३६-श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में लकड़ी से सामान बनाने का काष्ठ कला स्कूल जो चल रहा है, उसमें कितने छात्र शिक्षा पाते हैं तथा क्या उनको शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त कोई काम में लगाया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

छात्रों की वर्तमान संख्या १९८ है। शिक्षा के उपरान्त लगभग समस्त छात्र हाई स्कूल एवं इन्टरमीडियट कालेजों प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों तथा प्राविधिक निदेशालय के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न संस्थानों में रोजगार पा लेते हैं। कुछ छात्र अपना निजी व्यवसाय अथवा मजदूरी करते हैं।

*३७-श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि इलाहाबाद में इस काष्ठ कला स्कूल में कितनी मशीनें और उन पर १९६१-६२, १९६२-६३ में कितना व्यय हुआ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मशीनों की वर्तमान संख्या ३९ है। उन पर १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में कुल ३,३३७ रुपया ४१ नया पैसा व्यय हुआ।

पुलिस विभाग में कार्यालयाध्यक्षों का पद

*३८-श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कमीशन ने १९६० में उत्तर प्रदेश में ९ स्थान कार्यालयाध्यक्ष के स्थापित करने की सिफारिश की थी? यदि हां, तो उन स्थानों पर कितने कार्यालयाध्यक्ष नियुक्त हुये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सन् १९५७ ई० में श्री के० के० दास ने पुलिस कार्यालय गठन की रिपोर्ट दी थी? यदि हां, तो उन सिफारिशों के अनुसार गठन नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरगोविंदसिंह---

प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर जी हां। इस सम्बन्ध में पुलिस महा निरीक्षक को कार्यालयाध्यक्षों के पदों को तुरन्त भरने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग में पूछे गये श्री के० के० दास द्वारा की गई सिफारिशों का सम्बन्ध है सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन पर संकटकालीन स्थिति के समाप्त होने पर विचार किया जाय ।

गोकरननाथ मार्ग, लखनऊ से लड़की गायब होने की जांच

*३९–श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १६ अप्रैल, १९६३ को कोई पत्र इस आशय का मुख्य मंत्री को मिला था कि गोकरननाथ मार्ग, लखनऊ में किन्हीं परिवारों के लोगों को किन्हीं दुराचारियों ने गायब कर दिया है और मुख्य मंत्री ने उक्त पत्र कार्यालय सीनियर पुलिस अधीक्षक को भेजा था ?

श्री हरगोविंदसिंह—

लिली ड्राइक्लीनर्स, गोकरननाथ मार्ग, लखनऊ, के प्यारेलाल कपूर नामक व्यक्ति ने मुख्य मंत्री को सम्बोधित, अपने दिनांक १६-४-६३ के पत्र में सूचित किया कि दि० ८-४-६३ से उनकी एक ११ वर्षीया पुत्री लापता हो गई है और उन्हें ज्ञात हुआ है कि उसके लापता होने के जिम्मेदार उनके पड़ोसी थे । सरकार ने उक्त पत्र सीनियर पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को भेजा था ।

*४०–श्री शारदानन्द—

क्या उक्त सूचना की रिपोर्ट ९ अप्रैल, १९६३ को थाना हसनगंज में भी दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त पत्र और हसनगंज में दर्ज रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है और क्या सरकार उन दुराचारियों के दल को तुरन्त नष्ट करने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी हां । उक्त पत्र व रिपोर्ट, दोनों पर पर्याप्त कार्यवाही हुई । पुलिस द्वारा भरसक खोज के बावजूद लड़की का पता नहीं लग सका । जांच से किसी अपराध का होना निश्चित न हो सका । अतः मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर जांच समाप्त की गई ।

जाफरा बाजार, गोरखपुर में केदारनाथ की गिरफ्तारी

*४१–श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहर गोरखपुर के जाफरा बाजार के मुहल्ले के निवासी, श्री केदारनाथ गुप्त के घर पर पुलिस चौकी, तिवारीपुर के दीवान ने तीन-चार पुलिस के सिपाहियों तथा पचीसों गुन्डों के साथ २८ अक्तूबर सन् १९६३ की रात में लगभग १२ बजे हमला किया और श्री केदारनाथ को डंडों से पीटा गया तथा दूसरे दिन उनके परिवार के पांच व्यक्तियों को पीटा, जिसमें चार रेलवे के कर्मचारी हैं तथा उनमें एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसका उक्त हमले के थोड़े दिन पूर्व हारनिया का आपरेशन हुआ था ?

श्री हरगोविंदसिंह—

यह सही नहीं है कि पुलिस ने २८-१०-६३ की रात में जाफरा बाजार, गोरखपुर के केदारनाथ गुप्त के घर पर हमला किया अथवा उन्हें और अन्य व्यक्तियों को पीटा ।

थाना कोतवाली, गोरखपुर पर धारा ३९२/२२४/२२५/३२३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम हुए एक मुकदमे के सम्बन्ध में २९-१०-६३ को सुबह पुलिस के कर्मचारियों ने केदारनाथ

तथा ४ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। केदारनाथ तथा शिवनाथ गुप्त गिरफ्तारी से बचने के लिये भागे और उनको गिरफ्तार करने के दौरान उन्हें साधारण चोटें आईं।

*४२—श्री रामलखन शुक्ल—

क्या उक्त काण्ड के सम्बन्ध में गृह मंत्री, मुख्य मंत्री, पुलिस कप्तान तथा जिलाधीश से शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी हां। शिवनाथ गुप्त द्वारा भेजे गये प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री, गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधीश, को प्राप्त हुये थे। जांच से पुलिस के विरुद्ध की गई शिकायत झूठी पाई गई तथा यह पता चला कि प्रार्थना पत्र अपने बचाव में दिये गये थे।

*४३—४४—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

[७वें शुक्रवार के लिए प्रश्न ९०—९१ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

क्रशर के लाइसेन्स

*४५—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२—६३ में लेट फीस के कितने क्रशर के केसेज तथा लाइसेंस रिन्यू हुए और कितने प्रार्थना पत्र पेंडिंग में हैं तथा कितने को आब्जेक्शन लेटर दिये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्ष १९६२—६३ में क्रशर के लाइसेंस के लेट फीस सहित कुल ३०९ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से २६६ में लाइसेंस दिये गये तथा ४३ में लाइसेंस अस्वीकार करने के पत्र प्रदान किये गये। कोई प्रार्थना पत्र पेंडिंग नहीं है।

*४६—४७—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

[हटा दिये गये।]

अधिनियमों की भाषा

*४८—श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इस प्रदेश की राजभाषा हिन्दी होने के बावजूद सभी अधिनियमों के रूल्स अंग्रेजी में ही बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और इस प्रथा का अन्त कब तक होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना विकास परिषद् गोला गोकरननाथ के अन्तर्गत गन्ना पौधशालायें

*४९—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत १९६२—६३ गन्ना पिराई सीजन में गन्ना विकास परिषद् गोला गोकरननाथ, जिला खीरी द्वारा विभिन्न विकास खंडों में कितने किसानों और कितने क्षेत्रफल के लिये (नरसरी) पौधशाला के लिये गन्ना बीज किसानों को इस आश्वासन के साथ कि उन्हें आगामी वर्ष १९६३—६४ ई० में सब्सिडी सहायता मिलेगी वितरण किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

गन्ना विकास परिषद् गोला गोकरननाथ, जिला खीरी के विभिन्न विकास खंडों में गत १९६२–६३ गन्ना पेराई सीजन में २१० गन्ना उत्पादकों के यहां ३६९ एकड़ क्षेत्रफल में पौधशाला रखी गई थी ।

*५०—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि गत वर्ष १९६२–६३ में उक्त जिन किसानों को सब्सिडी के आश्वासन के साथ सीड गन्ना बीज दिया गया और नरसरी बोवायी गयी और उसमें किसानों ने पर्याप्त व्यय किया है उन्हें सब्सिडी पाने के लिये १९६३–६४ में रिजेक्ट क्यों कर दिया गया और उन्हें अनुमानतः कितनी आर्थिक क्षति हुई ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९६२–६३ में जिन किसानों का गन्ना बीज पौधशाला रखने के लिये दिया गया था उनमें से किसी की भी पौधशाला अनुदान हेतु अभी तक अस्वीकृत नहीं की गई अतः क्षति का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिये अधिकारी की नियुक्ति

*५१—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर), श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर), श्री जसराम सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनुसूचित जातियों के विभिन्न विभागों में संरक्षण पूरा न होने के कारणों की जांच करके उन्हें पूरा कराने के लिए सचिवालय में किसी अधिकारी की नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो कब और अब तक उस अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही इस दिशा की में की गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, उनकी नियुक्ति दिसम्बर, १९६३ में हुई है । वे राधाकिशन कमेटी में की गई सिफारिशों को examine कर रहे हैं ।

धामपुर में श्री राधेलाल का क्रशर सील करना

*५२—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद), श्री जसरामसिंह तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ६ फरवरी, १९६४ को साढ़े ९ बजे रात्रि में श्री राधेलाल, धामपुर, जिला बिजनौर का क्रशर समय से पहले चलते हुए डी० आई० आर० में अतिरिक्त खण्डसारी अधिकारी मुरादाबाद ने पकड़ा और सील कर दिया गया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां ।

*५३—श्री सुक्खनलाल, श्री जसरामसिंह तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राधेलाल जी के क्रशर को सील होने के बाद जिलाधीश महोदय, बिजनौर ने चलाने की आज्ञा दे दी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां ।

सतासी इण्टर कालेज, रुद्रपुर के छात्र का दारोगा द्वारा पीटा जाना

*५४—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या पुलिस मंत्री बतायेंगे कि २३ जनवरी, १९६४ तथा उसके आसपास की तिथियों में देवरिया जिला के रुद्रपुर थाने के किसी दारोगा ने सतासी इंटर कालेज, रूद्रपुर के किसी छात्र को हंटर से पीटा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अभी तक उस पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी ? और यह भी सच है कि छात्रों और रुद्रपुर पुलिस में भयानक तनाव की हालत पैदा हो गयी है और भयंकर विस्फोट की आशंका हो चली है ? तो रोकथाम की कौन-सी कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी हां, २३ जनवरी, १९६४ को सतासी इंटर कालेज के एक छात्र को एक दरोगा ने बेंत से पीटा था जिसके संबंध में उक्त कालेज के प्रिंसिपल ने पुलिस अधीक्षक, देवरिया को एक लिखित शिकायत भेजी थी। इस संबंध में सर्किल आफिसर द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान में प्रिंसिपल ने पुलिस अधीक्षक को यह लिखा कि घटना भ्रमवश हो गयी थी अतः मामले में कोई कार्यवाही न की जाय। अतः इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। छात्रों और पुलिस के बीच कोई तनाव नहीं है।

सहारनपुर के हरिजनों का कथित शिकायती पत्र

*५५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार सहारनपुर में मुहल्ला आबादी, मुत्तिल जेल के रहने वाले गरीब हरिजनों को जो वहां सौ साल से रह रहे हैं और जिन्होंने माननीय मुख्य मंत्री तथा दूसरे अधिकारियों को १७ फरवरी, १९६४ को शिकायत भेजी है कि जमींदार उन्हें मार-पीट कर जोर-जबर तथा पंजाब में झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दे रहे हैं ताकि वह लोग वह बस्ती छोड़ दें, उन लोगों की जान-माल की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—

सहारनपुर में मुहल्ला आबादी मुत्तिल जेल के रहने वाले हरिजनों द्वारा १७ फरवरी, १९६४ का शिकायती-पत्र शासन को नहीं प्राप्त हुआ है। अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

फतेहपुर से आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सों के लिये प्रार्थना-पत्र

*५६—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिन श्री रामपालसिंह वकील, निवासी ग्राम गोंदौरा, थाना किशनपुर हाल मुकीम, शहर फतेहपुर, जिला फतेहपुर के सगे भतीजे का कत्ल लगभग १ साल हुआ था जिनके सगे बड़े भाई पर आग्नेयास्त्र द्वारा प्राणघातक हमला हुआ था, उन्हें व उनके उक्त बड़े भाई को क्रमशः तमंचे व बन्दूक के लाइसेंस पाने की दरख्वास्तों पर जो ६ मास की पुरानी हो गई हैं कोई गौर नहीं किया गया ? यदि हां तो क्यों नहीं ? क्या नामंजूर होने पर उसके कारण भी बतलाने की कृपा की जायगी ?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी नहीं। यह सही नहीं है। रामपाल सिंह की पिस्तौल के लाइसेंस की दरख्वास्त और उसके सगे बड़े भाई गणेश सिंह उर्फ शिवपाल सिंह की बन्दूक के लाइसेंस की दरख्वास्त दिनांक २० मार्च, १९६३ को प्राप्त हुई और उन पर जांच करायी गयी। चूंकि गांव में पार्टी-बन्दी है और प्रार्थियों के खानदान से और गांव के एक अन्य व्यक्ति के खानदान से बड़ी पुरानी शत्रुता चली आ रही है और प्रार्थियों द्वारा आग्नेयास्त्रों का दुरुपयोग किए जाने की सम्भावना है, अतएव उपरोक्त कारणवश जिलाधीश द्वारा उपरोक्त दोनों दरख्वास्तों को अस्वीकार कर दिया गया। प्रार्थियों को आदेश से अवगत करा दिया गया है।

*५७—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिन ठाकुर जयनारायणसिंह, ऐडवोकेट व प्रमुख ब्लाक हथगोले हाल, निवासी फतेहपुर, जिला फतेहपुर के घर में घुसकर बदमाशों ने गत् १५–१६ फरवरी, सन् १९६४ ई० को रात में चोरी करने की कोशिश की और जिन्होंने बहादुरी से एक चोर को पकड़ कर पटक दिया व बदमाशों के हमले से अपने को बुरी तरह घायल हो जाने दिया, उनकी भी पिस्तौल, रिवाल्वर की दरख्वास्त लगभग ६ मास से पुलिस व जिलाधीश की धूल खा रही है और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया? यदि हां, तो इसके कारण बतलाने की कृपा की जाय? यदि उक्त दरख्वास्त नामंजूर हो गयी हो, तो क्या कारण हैं?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी हां। ठाकुर जयनारायण सिंह, ऐडवोकेट की पिस्तौल के लाइसेंस के लिए दी गयी दरख्वास्त दिनांक २५–१०–६२ पर भी जिलाधीश द्वारा निर्णय हो चुका है। दरख्वास्त अस्वीकृत हो गयी है जिसका कारण यह है कि प्रार्थी द्वारा हथियार का दुरुपयोग किये जाने की संभावना है। प्रार्थी को इस आदेश से अवगत करा दिया गया है।

ललौली थाने में ग्राम प्रधान, श्री रामकुमार गुप्ता, का कत्ल

*५८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम जोनिहा, थाना ललौली, जिला फतेहपुर के ग्राम प्रधान, श्री रामकुमार गुप्ता, का कत्ल दिन दहाड़े देवरिया पुल पर दिनांक ४ जून, सन् १९६१ को किया गया, जिसकी रिपोर्ट नामजद उसी दिन थाना ललौली में हुई? यदि हां, तो फिर मुल्जिमान का चालान क्यों नहीं किया गया?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी हां। इस प्रकार की रिपोर्ट थाने पर अंकित कराई गई थी। इस मामले में विवेचना अभी पूर्ण नहीं हुई है।

*५९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या पुलिस मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री सूरज प्रसाद, निवासी जोनिहा, थाना ललौली ने आई० जी०, डी० आई० जी०, और स्वयं मंत्री जी की सेवा में दिनांक ९ जून, १९६१, १३ फरवरी, १९६२ और १५ जून, १९६२ को विवरण सहित प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो उन पर अब तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री हरगोविंद सिंह—

श्री सरजू प्रसाद का दिनांक १३ फरवरी, १९६२ व १६ जून, १९६२ का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गई।

*६०—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या पुलिस मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामकुमार गुप्ता के कत्ल से सम्बन्धित मुल्जिमान द्वारा कत्ल कराने के पूर्व जो प्लान बनाये गये और श्री सरजू प्रसाद के उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में जो रहस्योद्घाटन किया गया, उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा उसका नतीजा क्या निकला ?

श्री हरगोविंदसिंह—

श्री सरजू प्रसाद के प्रार्थना-पत्र की जांच सर्किल इन्स्पेक्टर स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक व बाद में पुलिस अधीक्षक ने की और इन जांचों के परिणामस्वरूप, उक्त मामले की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा के सुपुर्द की गई ।

वाराणसी में हरिजन छात्रावास

*६१—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में कितने हरिजन छात्रावास कहां-कहां हैं ?

डाक्टर सीताराम—

वाराणसी नगर में दो हरिजन छात्रावास सोनारपुरा और शिवाला में हैं ।

*६२—श्री रघुनाथसिंह—

इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की देख-रेख करने की क्या व्यवस्था है और उन्हें छात्रावास में रहने की क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हैं ?

डाक्टर सीताराम—

छात्रों की देख-रेख की व्यवस्था छात्रावासों की प्रबंध समितियां करती हैं । उन्हें भोजन बनाने वाले, बिजली, पानी, समाचार-पत्र तथा सफाई की सुविधायें निःशुल्क मिलती हैं ।

*६३—श्री रघुनाथसिंह—

क्या हरिजन छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कुछ और भी छात्रावासों की व्यवस्था मंत्री जी करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं ।

अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी संस्तुतियों का कार्यान्वयन

*६४—श्री रामसूरतप्रसाद, यादवेन्द्रसिंह (जिला गोरखपुर) श्री माता प्रसाद, श्री जसरामसिंह, श्री रामजीलाल सहायक तथा श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधित श्री राधाकृष्ण, सभापति, लोकसेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के सभापतित्व में गठित समिति, जिसकी रिपोर्ट दिनांक २४ अगस्त, १९६० ई० को प्रस्तुत की जा चुकी है, द्वारा की गयी, हिंदी प्रति के पृष्ठ ७६ से ८० पर क्रम-संख्या १, २, ७, ९, १३ १५, १६, २०, २२, २४, २५, ३०, ३१, ३२, ३७, ४०, ४३, ४६, ५० तथा ५१ सिफारिशों पर कार्यान्वयन करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राधाकिशन समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ ७६–८० पर क्रम-संख्या १, १३, २४, २५ व ४६ में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं, जिनकी एक-एक प्रति †संलग्न है। क्रम-संख्या २, ७, ९, १५, १६, २०, २२, ३०, ३१, ३२, ३७ व ४३ म की गई सिफारिशें अभी शासन के विचाराधीन हैं। क्रम-संख्या ४०, ५० व ५१ में की गई सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया गया है।

*६५—श्री रामसूरतप्रसाद, श्री यादवेन्द्रसिंह, श्री माताप्रसाद, श्री जसराम सिंह, श्री रामजी लाल सहायक तथा श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या समाज कल्याण मंत्री के पास यह शिकायत आयी है कि अनुसूचित जातियों के लिए लघु उद्योग, गृह निर्माण तथा कुओं और कृषि आदि के लिए हरिजन कल्याण विभाग द्वारा दिये गये धन का वर्तमान व्यवस्था की व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण विकास खण्डों में या तो उपयोग नहीं हुआ है और कहीं हुआ भी है तो कोई ठोस काम नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान पद्धति को समाप्त करके पहले की भांति इन अनुदानों को स्वीकृत करने के अधिकार पुनः जिला हरिजन कल्याण समिति को देने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। शासन द्वारा अनुदान वितरण की प्रणाली तथा अन्य संबंधित समस्याओं के विषय में विचार किया जा रहा है।

राजकीय बहुधंधी संस्था, लखनऊ में हरिजनों को छात्रवृत्ति

*६६—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ के राजकीय बहुधंधी संस्था को हरिजन छात्रों की छात्रवृति अभी तक नहीं दी गयी जब कि वर्ष का अंत हो रहा है ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

राजकीय बहुधंधी संस्था के समस्त हरिजन छात्रों को छात्रवृति का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर में अपराध स्थिति

*६७—श्री टम्बेश्वर प्रसाद, श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई), श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री मन्नालाल—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि जनवरी, १९६४ में सीतापुर नगर में चोरियां, डकैती, राहजनी, गुण्डागर्दी आदि की इतनी वृद्धि एकाएक हो गई कि पूरे नगर में एक आतंक तथा असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई और स्थानीय राजकीय अधिकारियों की लापरवाही से क्षुब्ध होकर नगर की सम्पूर्ण जनता ने एक दिन हड़ताल की और ज्ञापन जिलाधीश को दिया तथा सार्वजनिक सभा भी की गई ?

---

*छापी नहीं गई।

श्री हरगोविन्दसिंह—

सीतापुर नगर में जनवरी, १९६४ में चोरी की २५ तथा राहजनी की १ घटना हुई। डकैती की कोई घटना नहीं हुई। अतः यह कहना सही नहीं है कि वहां उक्त अवधि में चोरी, डकैती, राहजनी, गुंडागर्दी आदि अपराधों में एकाएक इतनी वृद्धि हुई कि पूरे नगर में आतंक तथा असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई अथवा स्थानीय राजकीय अधिकारियों ने कोई लापरवाही दिखलाई। यह सही है कि दिनांक २८-१-६४ को नगर में आंशिक हड़ताल तथा एक सभा हुई जिसमें उक्त आशय का एक प्रस्ताव पास किया गया तथा जिलाधीश को दिया गया।

*६८—श्री टम्बेश्वरप्रसाद, श्री शारदाभक्त सिंह, श्री हिम्मतसिंह तथा श्री मन्नालाल—

यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त ज्ञापन में दिये गये आरोपों की जांच करा कर दोषी अधिकारियों को दण्डित किया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या शीघ्र ही वह जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिलाधीश को दिये गये प्रस्ताव में अंकित तथ्यों के बारे में जांच की गई। नगर में अपराध स्थिति असाधारण नहीं पाई गई और न कोई अधिकारी ही दोषी पाया गया। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

उद्योग विभाग, फैजाबाद से चपरासियों का हटाया जाना

*६९—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री जगदम्बा प्रसाद तथा श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६३ में उपक्षेत्रीय कार्यालय, उद्योग विभाग, फैजाबाद के सहायक निर्देशक (हाट) ने कितने चपरासियों को सेवा से मुक्त किया या उनसे इस्तीफा लिया या ट्रांस्फर किया? यदि हां, तो क्या-क्या कारण थे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सन् १९६३ में सहायक निर्देशक (हाट) फैजाबाद ने जिन चपरासियों को सेवा मुक्त किया या उनसे इस्तीफा लिया, ट्रान्सफर किया तथा जिन कारणों से ऐसा किया उसकी सूचना निम्नलिखित है:—

विवरण	चपरासियों की संख्या	कारण
चपरासी निकाले गये	२	अनुशासनीय आधार पर
चपरासी छटनी किये गये	५	पदों की समाप्ति पर
चपरासियों से इस्तीफा लिया गया	—	
चपरासियों ने इस्तीफा दिया	२	स्वेच्छानुसार।
चपरासी ट्रांसफर किये गये	४	दो को अनुशासनीय आधार पर तथा दो को स्वेच्छानुसार।

सुरक्षा निधि

*७०—श्री रक्षपालसिंह, श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ जनवरी, १९६४ तक प्रदेश में सुरक्षा निधि में कुल कितना धन जमा किया जा सका है और उससे कितना पैसा केन्द्र को भेजा गया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश में ३१ जनवरी, १९६४ तक कुल ७,०२,१३,६८४.०३ रु० सुरक्षा निधि में जमा हुआ है तथा उसमें से ५,४४,३२,५१०.६४ रु० कन्द्रिय सुरक्षा निधि में भेजा गया है।

सांगीपुर थाने में रामदुलारे गड़रिया की मृत्यु की जांच

*७१—कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह दिसम्बर, सन् १९६३ में थाना सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़ से मिले हुए कुंयें से लगभग ६ बजे शाम को रामदुलारे गड़रिया की लाश निकाली गयी जिसके विषय में आम अफवाह है कि सांगीपुर के दारोगा ने उपरोक्त मृतक को खुद तथा सिपाहियों द्वारा इतना पिटवाया कि उसकी थाने ही में मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक १७-१२-६४ को शाम को श्री आबिद अली नामक व्यक्ति ने सांगीपुर थाने पर रिपोर्ट लिखाई कि दुलारे गड़रिया, साकिन बौझी, थाने के सामने कुंए में पानी भरते समय आकस्मिक कुंए में गिर गया और मर गया। मामले की पुलिस द्वारा जांच से राम दुलारे का कुंए में आकस्मिक गिरना व मर जाना पाया गया। इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो रही है।

*७२—कुंवर तेजभानसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या उपरोक्त मृतक रामदुलारे का डाक्टर द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया ? यदि हां, तो डाक्टर की क्या रिपोर्ट है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मृतक रामदुलारे की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया था जिसकी रिपोर्ट के अनुसार कोई चोट उसके शव पर नहीं थी और मत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका।

*७३—कुंवर तेजभानसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त मृतक रामदुलारे की असामयिक मृत्यु के कारण जानने के लिये किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा जिलाधीश ने जांच करायी ? यदि हां, तो मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस मामले में अभी मैजिस्ट्रेट की जांच पूर्ण नहीं हुई है। अन्य भाग का प्रश्न नहीं उठता।

इन्चार्ज, थाना मोहम्मदी के खिलाफ शिकायत

*७४—श्री रामभजन (जिला खीरी)—

क्या माननीय गृह मंत्री को अभी हाल ही में एक शिष्टमण्डल मोहम्मदी, जिला खीरी का मिला है, जिसने कि इन्चार्ज, थाना मोहम्मदी के विरुद्ध यह शिकायत की है कि दीनदयाल नाम के एक व्यक्ति को थाने पर इतना मारा गया कि उसकी मत्यु हो गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, शिष्टमंडल ने ऐसी शिकायत की थी। मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच तथा डाक्टर की रिपोर्ट से यह आत्म-हत्या का मामला प्रतीत हुआ।

*७५—श्री रामभजन—

क्या उपरोक्त शिष्ट-मंडल ने श्री रामरतन, सभापति, कचनार एवं जे० पी इण्टर कालेज, मोहम्मदी की प्रबन्ध समिति के सदस्य को भी रात में एक कमरे में बन्द रखने तथा मारने-पीटने और गर्दन पर मूसल चढ़ा कर अपमानित करने की शिकायत भी उक्त दारोगा के खिलाफ की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, यह भी शिकायत की थी किन्तु जांच से शिकायत निराधार पाई गई । श्री रामरतन से थाने पर बुलाकर केवल पूंछ-ताछ की गई थी क्योंकि श्री दीनदयाल ने अपना अपराध स्वीकार करते हुये उन्हें भी अपना साथी बतलाया था ।

*७६—श्री रामभजन—

क्या उक्त दरोगा के विरुद्ध शिष्ट मंडल ने यह भी शिकायत की है कि मानिकचन्द्र, स्थान दिलावलपुर के यहां एक डकैती पड़ने पर जिसमें दो स्त्रियों की मृत्यु हुई, इंचार्ज थाना मोहम्मदी ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, यह शिकायत की थी । घटना की जांच जारी है ।

राजकीय टेलरिंग फैक्टरीज को मंहगाई भत्ता

*७७—श्री दुर्योधन, श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर) तथा श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १६ फरवरी, १९६४ ई० से राजकीय उड्डयन बस्ती, कल्यानपुर, कानपुर टेलरिंग फैक्टरी को जो महंगाई-भत्ता दिया जाता था वह अब बन्द किया जा रहा है ? यदि बन्द किया जा रहा है, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

१६-२-१९६४ से महंगाई भत्ता बन्द कर दिया गया था क्योंकि एकाउण्टेन्ट जनरल की ओर से यह आपत्ति की गई कि फैक्टरी के कर्मचारी महंगाई-भत्ता पाने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि ये कर्मचारी पूर्णकालीन सरकारी नौकर नहीं हैं । परन्तु शासन ने विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये इस विषय पर पुनर्विचार करने का निश्चय किया है और फैक्टरी कर्मचारियों के वेतन आदि के सम्बन्ध में तीन मास के अन्दर जांच पूरी करने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं और यह भी निर्णय ले लिया है कि तब तक के लिये महंगाई भत्ता पूर्ववत् दिया जाता रहेगा ।

थाना कलेक्टरगंज, कानपुर में ४२० के मामले

*७८—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या पुलिस मंत्री जी बतायेंगे कि अगस्त, १९६२ में कानपुर के थाना कलेक्टरगंज में कितने केस धारा ४७१, ४६६, ४६७, ४१९ और ४२० के दर्ज किये गये और उनमें से कितने इस समय अदालत में चल रहे हैं और कितनों का फैसला हो चुका है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना कलेक्टरगंज जिला कानपुर में उक्त अवधि में केवल २ केस भारतीय दंड विधान की धारा ४२० के अन्तर्गत अदम तफतीश दर्ज हुये । अतः पुलिस द्वारा कोई मुकदमा नहीं चलाया गया ।

मोहनलालगंज तथा गोसाईगंज विकास क्षेत्र में हरिजनों को अनुदान

*७९—श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले के विकास क्षेत्र, मोहनलालगंज, गोसाईगंज में १९६२–६३ व १९६३–६४ में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा कितने हरिजनों को किन-किन कार्यों हेतु कितना-कितना धन ग्रान्ट के रूप में दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—

लखनऊ जिले के विकास क्षेत्र मोहनलालगंज, गोसाईगंज में १९६२–६३ व १९६३–६४ में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों को विभिन्न मदों में दिये गये धन का विवरण तालिका (अ) †में संलग्न है ।

*८०—श्री खयालीराम—

क्या मंत्री जी कृपया उनके नामों तथा निवास स्थानों का भी ब्योरा देने का कष्ट करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

अनुदान गृहीताओं के नामों तथा निवास स्थानों का ब्योरा तालिका 'ब'†में संलग्न है ।

हरिजन कल्याण सुपरवाइजर्स

*८१—श्री पातीराम अहरवार—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने-कितने हरिजन कल्याण सुपरवाइजर्स प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में कार्य करते हैं तथा उनमें कितने स्थायी हो चुके हैं ?

डाक्टर सीताराम—

प्रथम श्रेणी के ७५ तथा द्वितीय श्रेणी के ८७ सुपरवाइजर कार्य करते हैं । १६ सुपरवाइजर, अभी तक स्थायी हो चुके हैं ।

*८२—श्री पातीराम अहरवार—

क्या सरकार बतायेगी कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सुपरवाइजर्स को एक से ही कार्य सौंपे गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उनके वेतन में असमानता क्यों है तथा यह असमानता कब तक समाप्त कर दी जायगी ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । १९५४ से पहले हरिजन कल्याण विभाग में विभिन्न योजनाओं के लिये नियुक्त सुपरवाइजरों तथा उसी कोटि के अन्य कर्मचारियों के लिये ६ वेतनक्रम थे जो २०–३० रु० से लेकर ५०–१०० रु० के अन्तर्गत आते थे । १९५४ में प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से इन वेतन क्रमों को पुनः संगठित करके केवल दो ही वेतन क्रम ३०–६० रु० तथा ५०–१०० रु० के निर्धारित किये गये और उक्त कर्मचारियों को उनके तत्कालीन वेतन क्रम के आधार पर इन दो वेतन क्रमों में समाविष्ट कर लिया गया । दोनों श्रेणियों के स्थान पर केवल एक श्रेणी रखना इस समय धनाभाव के कारण संभव नहीं है ।

*८३—श्री पातीराम अहरवार—

क्या सरकार स्थायी करने वाले सुपरवाइजर्स के नाम तथा श्रेणियों को बतलाने की कृपा करेगी ?

---

*छापी नहीं गई ।

डाक्टर सीताराम—

स्थायी किये जाने वाले सुपरवाइजरों के विषय में अभी निर्णय नहीं लिया जा सका है, अतः उनके नाम तथा अन्य श्रेणियों को बताने का प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस विभाग में ए० पी० पी०

*८४—श्री गंगाप्रसाद—

क्या यह सच है कि पुलिस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने ए० पी० पी० का स्थान सब-इंसपेक्टर आफ पुलिस से ऊंचा मानना स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो पहिले किन कारणों से उनको छोटा समझा जाता रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं । ए० पी० पी० का पद सब-इंसपेक्टर के पद के बराबर है ।

*८५—श्री गंगाप्रसाद—

क्या यह सच है कि सब-इन्सपेक्टर आफ पुलिस के सर्विस कन्डीशन में उनको १८·७५ न० पै० मकान किराया मिलने का विधान था और उन को अब ३० रुपया दिया जाने लगा है ? यदि हां, तो ए० पी० पी० को मकान किराया कम क्यों दिया जाता है जब कि दोनों का स्तर व सर्विस कन्डीशन में समान बातें हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं । सब इंस्पेक्टर के सर्विस कंडीशन में उनको १८.७५ नये पैसे या ३० रु० मिलने का विधान न था और न है । किन्तु उनको जहां तक संभव हो फाइनेन्शियल हैन्डबुक, खंड २ के परिच्छेद ४५ फ (५) के अन्तर्गत बिना किराये के सरकारी क्वार्टर दिया जाता है और यदि ऐसा क्वार्टर उपलब्ध नहीं होता है तो उनको निम्नलिखित दर तक मकान का किराया दिया जाता है :

	रुपये प्रति मास
कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ	३०
मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, फैजाबाद, बरेली, झांसी, देहरादून, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस और गोरखपुर	२२·५०
अन्य स्थानों पर	१८·७५

ए० पी० पी० तथा एस० आई० की ड्यूटीज में बहुत अन्तर है । लिहाजा उनको मकान के किराये की तुलना नहीं हो सकती है । फिर भी असिस्टेंट पबलिक प्रासीक्यूटर के मकान किराये की दर revise करने पर सरकार विचार कर रही है ।

*८६—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि पुलिस विभाग में प्रासीक्यूशन ब्रांच को छोड़कर सिपाही से लेकर आई० जी० पुलिस तक को वर्दी एलाउन्स दिया जाता है ! यदि हां, तो प्रासीक्यूशन ब्रांच के कर्मचारियों को वर्दी क्यों नहीं दी जाती है, जब कि दोनों की भर्ती पुलिस ऐक्ट की धारा २ के अनुसार बहैसियत पुलिस आफिसर के की जाती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं । सभी पुलिस कर्मचारियों को वर्दी भत्ता नहीं दिया जाता है । प्रासीक्यूटिंग ब्रांच के कर्मचारियों को वर्दी भत्ता देना सरकार आवश्यक नहीं समझती है ।

फिरोजाबाद कांच उद्योग को टीन व सीमेंट

*८७—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद कांच व चूड़ी उद्योग को १९६१-६२ व १९६३ में किस-किस कारखाने को कितना-कितना सीमेंट व टीन दिया गया तथा किस-किस कारखाने के प्रार्थना-पत्र पर अभी तक विचार होना शेष है तथा ऐसे विचारधीन मामलों में उनको सीमेंट तथा टीन कब तक मिल जायेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

फिरोजाबाद के कांच व चूड़ी उद्योग को सन् १९६१, १९६२ व १९६३ में जितना-जितना टीन व सीमेंट दिया गया उसकी सूची संलग्न है केवल दो कारखानों को जिनकी सूची संलग्न है इस कार्यालय की सिफारिश के बावजूद भी माल की कमी होने के कारण से प्रान्तीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के द्वारा टीन नहीं दी जा सकी। जैसे ही माल केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होगा वैसे ही उपरोक्त विचाराधीन मामलों में टीन वितरित कर दी जायेगी।

प्रान्तीय रक्षक दल में परिगणित जातीय ब्लाक आर्गनाइजर्स

*८८—श्री खेमचन्द, श्री भूपसिंह तथा श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ व जनवरी, १९६४ तक पी० आर० डी० के कुल कितने ब्लाक आर्गनाइजर्स की नियुक्तियां हुईं और उनमें परिगणित जाति के कितने व्यक्ति थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रान्तीय रक्षक दल में १९६३ व जनवरी १९६४ तक कुल ९९३ ब्लाक आर्गनाइजर्स की नियुक्तियां हुईं, जिनमें से ३७ परिगणित जाति के थे।

*८९—श्री खेमचन्द, श्री भूपसिंह तथा श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या इस विभाग में १८ प्रतिशत सुरक्षित स्थानों की पूर्ति हो गयी ? यदि नहीं तो क्यों और क्या सरकार इसे शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। क्यों कि शैक्षिक योग्यता तथा शारीरिक मानक (physical staudard) में कमी होने के कारण व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सके। नियुक्ति के समय सरकारी आदेशों का पूर्ण रूप से सदैव ध्यान रखा जाता है।

*९०—श्री लखीसिंह—

[हटा दिया गया।]

मंत्रियों तथा सभा सचिवों का आवास व भत्ता संबंधी व्यय

*९१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार तृतीय आम चुनाव के पश्चात् गठित श्री चन्द्रभानु गुप्त के मंत्रि-मंडल के सदस्यों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों, तथा सभा सचिवों ने पदत्याग समय तक प्रत्येक ने कितना-कितना टी० ए० तथा डी० ए० प्राप्त किया तथा इसी अवधि में उक्त प्रत्येक पर बिजली, पानी तथा टेलीफोन ट्रंक काल का व्यय शासन को कितना-कितना वहन करना पड़ा ?

---

*छापी नहीं गई।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मंत्रियों, उप मंत्रियों तथा सभा सचिवों के टी० ए०, डी० ए०, उनके सुसज्जित आवासों पर बिजली कंपनी एवं टेलीफोन ट्रंककालों पर व्यय ठीक उन्हीं नियमों के अनुसार होता है जो सदन द्वारा पारित किये गये अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये गये हैं। उक्त व्ययों के आडिट किये जाने का नियम है एवं आडिट रिपोर्ट नियमतः सदन के सामने रखी जाती है।

उक्त व्यवस्था को देखते हुये सरकार के विचार में प्रश्न में मांगी गई सूचना एकत्रित करने में जितने समय तथा श्रम का व्यय होगा उसकी अपेक्षा कदाचित प्रश्न के उत्तर की उपयोगिता उतनी न होगी।

महराजगंज तहसील में अपराध की घटनायें

*९२—श्री दुर्योधन तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में श्याम देउरवा, महराजगंज व कोठी भार थाने में फरवरी, सन् १९६४ ई० में कुल कितनी चोरी डकैती और राहजनी की रिपोर्टें दर्ज हुईं और कितने रुपये का नुकसान हुआ तथा कितने लोग पकड़े गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में श्याम देउरवा, महाराजगंज व कोठी भार थानों में फरवरी सन् १९६४ ई० में कुल १० चोरी व २ डकैती की रिपोर्टें दर्ज हुईं। राहजनी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इन चोरी और डकैतियों में कुल २२,७१८ रु० ९२ न० पै० का नुकसान हुआ और १२ आदमी पकड़े गये।

डाइरेक्टर फारेंसिक लेबोरेटरी

*९३—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि डाइरेक्टर फारेंसिक साइंस लेबोरेटर (Director, Forensic Laboratory), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद की नियुक्ति किस तिथि में हुई ? इस उपर्युक्त पद के लिये कुल कितने प्रत्याशी थे और उनकी योग्यता क्या थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

२१ अप्रैल, सन् १९६२। यह पद आई० पी० एस० केडर (Cadre) में सम्मिलित था। इसलिये इस पद को भरने के लिये प्रत्याशी होने का प्रश्न नहीं उठा।

*९४—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या यह सत्य है कि यह पद डी० आई० जी के समकक्ष का है और इस समय पर पदासीन निदेशक इस पद के लिये काफी जूनियर हैं ? यदि हां, तो उन्हीं को इस पद पर नियुक्त किये जाने का क्या कारण है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, यह पद डी० आई० जी० के समकक्ष का नहीं था। इस समय यह पद उपरोध (abeyance) में रख दिया गया है।

लालगंज बाजार में मकान की कुर्की

*९५—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३० अगस्त, १९६३ को जनपद रायबरेली के अन्तर्गत बाजार लालगंज में दफा १४५, क्रिमिनल प्रोसीजर कांड के अन्तर्गत एक मकान कुर्क किया गया है ? यदि हां, तो क्या कुर्की के समय उस मकान में किसी का कब्जा भी था यदि हां, तो क्या रिमूवल सामान भी कुर्क करा लिया गया था ? यदि हां, तो किस दफा के आधार पर।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। मकान पर कब्जे का विषय न्यायालय के विचाराधीन है। मकान मय सामान धारा १४५ जा० फौ० के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

*९६—श्री गुप्तारसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब कुर्की की रिपोर्ट में यह लिखा है कि मकान सुपुर्दगी में दे दिया जायगा तब फिर पुलिस ने अपनी कस्टडी पर उपरोक्त मकान को क्यों रखा और कुर्की की तारीख से आज तक पुलिस गार्ड इत्यादि का कितना खर्च हो चुका है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कुर्की के आदेश में यह लिखा है कि सम्पति किसी विश्वासयोग्य व्यक्ति की सुपुर्दगी में रखी जायगी, किन्तु यह प्रतिबन्ध नहीं था कि मकान को पुलिस अपनी सुपुर्दगी में नहीं रखेगी। दोनों, पार्टियों को एक दूसरे के पक्ष के व्यक्तियों को मकान सुपुर्दगी में किये जाने में आपत्ति थी तथा कोई निष्पक्ष विश्वसनीय व्यक्ति सुपुर्दगी में लेने के लिये तैयार नहीं था। अतः कुर्क करने के पश्चात् पुलिस ने मकान को अपनी सुपुर्दगी व संरक्षता में रखा। सम्पति की रखवाली पर अब तक ४०९ रु० ३४ न० पै० व्यय हुए हैं।

*९७—श्री गुप्तारसिंह—

क्या सरकार यह बतायेगी कि यह खर्च कौन देगा? क्या यह रुपया वहां के अधिकारियों से वसूल किया जायगा?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह खर्च सरकार वहन करेगी। किसी अधिकारी से नहीं वसूल किया जायेगा।

पुलिस अधीक्षकों व उपाधीक्षकों में हरिजन

*९८—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायगी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में कुल कितने व्यक्ति जिलों के पुलिस अधीक्षक तथा उपाधीक्षक के पद पर इस समय कार्य कर रहे हैं और उनमें से कितने हरिजन हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस समय ५४ अफसर जिलों के पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनमें से ३ अफसर हरिजन हैं। १३४ अफसर उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं। उनमें से ७ अफसर हरिजन हैं।

*९९—श्री सुखरामदास—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त अधिकारियों में से कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उपरोक्त ५४ पुलिस अधीक्षकों में से ३२ स्थाई हैं तथा २२ अस्थाई हैं।

१३४ उपाधीक्षकों में से ८३ स्थाई हैं तथा ५१ अस्थाई हैं।

एस० डी० एम० पाली का आदेश

*१००—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० डी० एम० पाली, रानीखेत नं० ७४३ सन् १९६२ से संबंधित एक सन्दर्भ में दिनांक १८ दिसम्बर, १९६१ को एक वार्निंग कुछ अपराधियों को दी जो अभी तक अधिकारियों ने संबंधित व्यक्तियों को नहीं सुनाई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सन् १९६१–६२ के मुकद्दमा नं० ७/४३ में एस० डी० एम० पाली के दिनांक १८–१२–६१ के आदेश दोनों पक्षों को बता दिये गये थे।

*१०१—श्री महराम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त वार्निंग दो साल से भी ज्यादा रोक देने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है और कब तक उक्त वार्निंग संबंधित व्यक्तियों को दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिला नियोजन अधिकारी द्वारा आत्म-हत्या

*१०२—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बतायेगी कि फैजाबाद जिला नियोजन अधिकारी ने गत ११ मार्च, को लोकोशेड के समीप एक शंटिंग इंजन से कटकर आत्महत्या कर ली ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, यह सत्य है।

*१०३—श्री झारखण्डेराय—

यदि हां, तो उनकी आत्महत्या की परिस्थितियां और उनके कार्यों पर सरकार प्रकाश डालेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रत्यक्ष रूप से कोई भी ऐसी विशेष बात नहीं थी जिसे उनकी आत्म हत्या का कारण बताया जा सके। उनके विरुद्ध न तो किसी प्रकार की कार्यवाही विचाराधीन थी और न ही उन्हें आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक कष्ट था। कहा जाता है कि उन्हें कभी २ depression का दौड़ा-सा आता था और व्यग्र हो जाते थे।

संभवतः इसी के फलस्वरूप उन्होंने आत्महत्या कर ली हो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण ज्ञात न हो सका।

राज्य खादी बोर्ड

*१०४—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या वह मौजूदा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश को मद्रास सरकार के अनुसार स्वतन्त्र संस्था बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मौजूदा राज्य खादी बोर्ड अधिनियम को मद्रास सरकार बोर्ड अधिनियम के अनुसार बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। इस प्रश्न पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जायगा।

*१०५-श्री शिवसम्पति शर्मा--

क्या सरकार को सूचना है कि मौजूदा खादी बोर्ड का कार्य प्रगति नहीं कर रहा है? यदि हां, तो प्रगति न करने का कारण क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं।

*१०६-श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

[हटा दिया गया।]

*१०७-१०९--श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)--

[हटा दिये गये।]

*११०-श्री मुकुटबिहारी लाल--

[हटा दिया गया।]

नोना मिट्टी

*१११--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६४ से १८ मार्च, १९६४ की अवधि में जिला उद्योग अधिकारी, कानपुर एवं उन्नाव में नोना मिट्टी को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किये जाने के लिये सरकार से अनुशंसा की है? यदि हां, तो उक्त अनुशंसा पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां। परन्तु नोना मिट्टी दूसरे खनिज पदार्थों की तरह पहले से ही सरकार की सम्पत्ति है।

*११२--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह कानपुर व उन्नाव में नोना मिट्टी के फैलाव के सम्बन्ध में वह राज्य भूगर्भ एवं खनिज निदेशालय द्वारा व्यापक खोज एवं शोध कराने जा रही है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं। इसका कारण यह है कि निदेशालय इस समय अन्य औद्योगिक उपयोग सम्बन्धी खनिज पदार्थों के अनुसंधान एवं शोध में व्यस्त है।

जिला नियोजन अधिकारी

*११३-श्री भीमाप्रसाद तथा श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिला नियोजन अधिकारी हैं जिनका कार्यकाल एक स्थान पर तीन वर्ष या उससे अधिक हो गया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

तीन।

*११४—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री दौलतलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह ऐसे जिला नियोजन अधिकारियों के जिनका कार्यकाल एक स्थान पर तीन वर्ष या उनसे अधिक हो गया है उनके स्थानान्तरण पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां ।

किच्छा चीनी मिल का आयोजन

*११५—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल किच्छा की चीनी मिल कब तक तैयार हो जायगी और इसके लिये अब तक कितना रुपया किसका-किसका इकट्ठा हुआ और कितना खर्च हुआ ?

*११६—क्या सरकार यह बतायेगी कि मिल के तैयार होने में क्या कठिनाई है और उसको दूर करने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राज्य सरकार ने इस मिल को लगाने के लिये बिस्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को ४० लाख रु० ऋण के रूप में दिया था और बिस्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने भी रु० ३८.४० लाख इस मिल के निर्माण पर लगाया और इस समस्त धनराशि के व्यय का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ हुआ है । इस मिल को चलाने के लिये प्लान्ट व मशीनरी का प्रबंध हो गया है, परन्त इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन से लगभग १ करोड़ रुपये का ऋण भी अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है जिससे इस वर्ष इस मिल का चालू होना संभव नहीं हो सका । आशा है यह मिल १९६४-६५ में उत्पादन कार्य आरम्भ कर देगी ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५८३ पर)

*११७—श्री कैलाश—

क्या यह सही है कि यह मिल किसी व्यक्ति को दी जा रही है जबकि सहकारी ढंग पर चलाने का निर्णय था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बिस्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा आवश्यक फंड्स एकत्रित न किये जा सकने के कारण उन्होंने विभिन्न पार्टियों से आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव रखा और अन्त में श्री डब्लू० एल० कोहली, दिल्ली के सहयोग से इस मिल को चलाने का प्रयास किया जा रहा है । इस मिल को सहकारिता के ढंग पर चलाने का प्रश्न उस समय उठता जब बिस्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को श्री कोहली से आर्थिक सहयोग न प्राप्त होता ।

बिलासपुर थाने में श्री इन्दरसिंह रैकवाल की हत्या

*११८—श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार को पता है कि कुछ गुण्डों ने मिलकर एक शख्स श्री इंद्रसिंह रैकवाल, ग्राम सभा भगवानपुर, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल को बिवासरि थाने के अन्तर्गत कत्ल कर दिया, जिसकी लाश १७ फरवरी, १९६४ को पुलिस को मिली जिसकी सूचना मृतक के घर वालों को हाल में ही मिली ? इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति पकड़े गये, उनके क्या नाम व पते हैं और इस मामले की तफतीश कौन और किस रैन्क का अधिकारी कर रहा है ?

श्री हरगोविंद सिंह—

थाना विवासरि नहीं बल्कि थाना विलासपुर जिला रामपुर के अन्तर्गत तारीख १७–२–६४ को श्री इन्दर सिंह रैकवाल, ग्राम भगवतपुर थाना हलद्वानी, जिला नैनीताल की लाश पाई गई। इस घटना की सूचना मृतक के रिश्तेदारों को दिनांक १८–३–६४ को हो सकी, क्योंकि मरने वाले का पूरा पता पहिले मालूम न हो सका। इस घटना के सम्बन्ध में मेजर सिंह नामका एक व्यक्ति जो ग्राम भगवतपुर, थाना हलद्वानी का रहने वाला है गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच सब इंस्पेक्टर श्री एच० धावन, थानाध्यक्ष, विलासपुर द्वारा की जा रही है।

*११९–श्री देवेन्द्रसिंह—

क्या सरकार इसकी जांच सी० आई० डी० से कराने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविंदसिंह—

सी० आई० डी० से जांच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

मंझनपुर तहसील का गोली कांड

*१२०–श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतलावेंगे कि इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर में दिनांक २८ फरवरी, १९६४ को गोली चली थी, यदि हां, तो वह घटना क्या थी और उसमें कितने आदमी मरे तथा कितने आदमी गिरफ्तार किये गये ?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी हां, घटना तथा उसमें मरे तथा उसके संबंध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५८४ पर)

जुडीशियल आफिसर्स कोर्ट, महोबा

*१२१–श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला हमीरपुर के सब डिवीजन महोबा में जुडिशियल आफिसर्स कोर्ट कायम है, यदि हां, तो क्या उसे अप्रैल से महोबा से उठाकर हमीरपुर लाने के आदेश सरकार की ओर से गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, कायम है। इस कोर्ट को महोबा से हटाने के लिये कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं किया है।

*१२२–श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री मदनपालसिंह—

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि हमीरपुर शहर से महोबा ५३ मील पर है और महोबा क्षेत्र के कई गांव १०० मील के लगभग हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र की आबादी को ध्यान में रखते हुए इस बात की व्यवस्था करेगी कि जुडिशियल आफिसर्स कोर्ट महोबा में ही बना रहे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न १२१ के उत्तर में जो बातें कही गई हैं उनके बाद यह प्रश्न नहीं उठता।

*१२३—श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री मदनपाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महोबा डिवीजन में अपराधों की स्थिति को देखते हुये एक डी० वाई०एस० पी० पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था हुई है और एक एडिशनल जज की भी नियुक्ति वहां हो रही है ? यदि हां, तो ऐसी हालत में जुडिशियल आफिसर्स कोर्ट वहां से हटाने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है ।

भिक्षुक कर्मशालायें

*१२४—श्री गंगाप्रसाद—

क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन तीर्थ-स्थानों में भिक्षुक कर्मशालायें चल रही हैं और उनमें कितने भिक्षुक रहते हैं, उन पर कितना धन प्रतिवर्ष व्यय होता है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । हरिद्वार और वाराणसी में । वर्तमान समय में इनमें क्रमशः ७१ और ७९ भिक्षुक रहते हैं और इन कर्मशालाओं पर औसतन १२,६०० रु० व्यय होता है ।

*१२५—श्री गंगा प्रसाद—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मशालाओं में जो भिक्षुक रहते हैं उनका दैनिक कार्य क्या है और उनमें सबसे ज्यादा किस जाति और धर्म के मानने वाले हैं ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५८५ पर)

*१२६—श्री गंगाप्रसाद—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भिक्षुक को कार्य में लगाने के लिये उनका विचार कितनी और कर्मशालायें खोलने का है ?

डाक्टर सीताराम—

इस समय कोई नयी कर्मशाला खोलने का विचार नहीं है ।

श्री इन्द्राज सिंह मुनीम की जी० टी० रोड पर ट्रक दुर्घटना में मृत्यु

*१२७—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि श्री इंद्राज सिंह, मुनीम की ता० १ सितम्बर, १९६३ को जी० टी० रोड, गाजियाबाद पर ट्रक द्वारा निर्मम हत्या कर दी गयी, जिसकी रिपोर्ट साहिबाबाद पुलिस चौकी पर दर्ज हुई उपरोक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविंद सिंह—

दिनांक १—९—६३ को श्री इंद्राज सिंह मुनीम की जी० टी० रोड पर ट्रक द्वारा मृत्यु हुई थी । इस घटना की रिपोर्ट साहिबाबाद चौकी पर दर्ज हुई और एस० ओ०, गाजियाबाद द्वारा विवेचना की जा रही है ।

*१२८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

[हटा दिया गया ।]

गोरखपुर में सिनेमा बनाने की इजाजत

*१२९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा श्री शिब्बनलाल सक्सेना—

क्या मुख्य मंत्री जांच कराकर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर में २७ अक्तूबर, सन् १९६२ को कोई सिनेमा बनाने की इजाजत दी गयी है ? यदि हां, तो किसको तथा उसके देने का क्या आधार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, २७ अक्तूबर, १९६२ को श्री नवनीत प्रिय दास को मुहल्ला अलीनगर, गोरखपुर में सिनेमा बनाने की इजाजत जिलाशधीश, गोरखपुर द्वारा दी गई थी। यह इजाजत उत्तर प्रदेश सिनेमेटोग्राफ रूल्स, जिनके अधीन सिनेमा बनाने तथा उनको चलाने का लाइसेंस दिया जाता है, के मुताबिक तथा सम्बन्धित अधिकारियों से जांच कराने के उपरान्त दी गई थी।

*१३०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा श्री शिब्बनलाल सक्सेना—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतावेंगे कि उपरोक्त सिनेमा के उस स्थान पर न बनाने देने के सम्बन्ध में उन्हें कोई नागरिकों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, उपरोक्त सिनेमा के उस स्थान पर न बनाने देने के सम्बन्ध में नागरिकों से प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुये हैं। मुख्य रूप से यह शिकायतें की गई हैं कि उक्त सिनेमा बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्र में तथा लड़के और लड़कियों के स्कूलों तथा औषधालयों के निकट बनाया जा रहा है। सिनेमा घर के सामने वाली सड़क बहुत सकरी है जिससे यातायात रुकने की संभावना है तथा साथ ही उक्त सिनेमा के बनने से मुहल्ले की शान्ति भंग होने की आशंका की जाती है।

२—सरकार द्वारा उक्त शिकायतों की जांच कराई गई जिससे यह पता चला कि शिकायतें निराधार हैं।

*१३१—श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित)—

[७ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

मथुरा जिले में कपड़े का कारखाना न खुल सकना

१—श्री लखीसिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की कोसी कलां नगरपालिका में कोई कपड़े का कारखाना बनाने की सरकार की योजना है और क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने नाइलोन के सूत की फैक्टरी की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी

जी नहीं ।

२—श्री लखीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला मथुरा में कोई मिल या कारखाना बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस समय मथुरा के लिये कोई बड़ी मिल या कारखाना खोलने का लाइसेंस इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट ऐण्ड रेगुलेशन ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार की कोई योजना उक्त मिल या कारखाना खोलने की नहीं है। जहां तक निजी क्षेत्र का सम्बन्ध है, उद्योगपति अपने उद्योगों के लिये स्थान का चुनाव कच्चे माल की उपलब्धि, तैयार माल की बिक्री तथा कारखाने में होने वाले लाभ की दृष्टि से करते हैं।

मेसर्स रामन मेलएबिल कास्टिंग एन्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, मथुरा ने अपनी स्माल स्केल फैक्टरी को बढ़ाकर मीडियम स्केल फैक्टरी करने का लाइसेंस प्राप्त करने का एक प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु फैक्टरी बढ़ने के बाद उसकी लागत की धनराशि २५ लाख से कम होगी। अतः फैक्टरी के लिए इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट ऐण्ड रेगुलेशन ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

हायर जुडीशियल सर्विस परीक्षा

३—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६२ में हायर जुडीशियल सर्विस में सीधी भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी, उसका परिणाम कब तक घोषित किया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सिलेक्शन कमेटी ने अभ्यर्थियों के इन्टरव्यू (Interview) के लिये मार्च २३, २४, १९६४ निर्धारित किया है। परीक्षाफल तत्पश्चात् ही घोषित हो सकेगा। निश्चित तिथि बताना इस समय सम्भव नहीं है।

चांदपुर थाने में डकैती

४—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के थाना चान्दपुर के अन्तर्गत ग्राम सिजौली के छोटे से मजरा मांझे का पुरवा नामक ग्राम में इसी जनवरी महीने में किसी विशेष व्यक्ति के मकान पर दिन-दहाड़े निर्दयतापूर्वक सुनियोजित एक गिरोहबन्द व्यक्तियों के दल ने, जो कांता, बल्लमों और लाठियों से लैस था, आतंकवादी ढंग से हमलावर होकर उक्त व्यक्ति के परिवार के कई लोगों को कांता, बल्लमों और लाठियों से आहत कर दिया और घर का बहुत सारा सामान तथा औरतों का जेवर आदि भी उतार ले गये तथा उन्हें मारा भी और घर में आग लगा दी ? यदि हां, तो इस का पूरा विवरण क्या है तथा हमलावर गिरोह में कौन-कौन व्यक्ति वहां के थे और हमलावरों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की या कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

घटना तथा उस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५८६–५८७ पर)

न्योली चीनी मिल में बैल गाड़ियों के लिये रोड

५—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्योली शुगर फैक्टरी, जिला एटा में काश्तकारों की बैलगाड़ियों के लिये टीन शेड की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो उन्होंने जो आदेश का उल्लंघन किया है, उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, किन्तु यह व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण गन्ना आयुक्त ने न्योली चीनी मिल को काश्तकारों की बैलगाड़ियों के ठहरने के लिये उचित व्यवस्था करने के वास्ते आवश्यक निर्देश दिनांक ३१ मार्च, १९६४ को भेज दिये हैं।

मुरादाबाद जिले में थानेदारों का स्थानान्तरण

६—श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला मुरादाबाद में ऐसे कितने थानेदार हैं जिनको ५ वर्ष से अधिक समय रहते हुए हो गया और अभी तक उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसे केवल ९ थानेदार हैं।

७—श्री बिशनलाल यादव—

क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र उनका स्थानान्तरण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिन थानेदारों को मुरादाबाद में ६ साल या उससे अधिक हो गया है उनके स्थानान्तरण के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रान्तीय रक्षक दल, वाराणसी के ब्लाक आर्गनाइजर की अपील

८—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पी० आर० डी० विंग पुलिस, वाराणसी के ब्लाक आर्गनाइजरों में से कितने लोगों को सितम्बर, १९६१ में नोटिस देकर सेवामुक्त किया गया और क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

किसी भी ब्लाक आर्गनाइजर को पी० आर० डी० विंग पुलिस, वाराणसी से सितम्बर, १९६१ में एक माह की नोटिस देकर सेवामुक्त नहीं किया गया। केवल एक को नियमानुसार विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप ६ सितम्बर, १९६१ को पृथक् कर दिया गया।

९—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन लोगों को सेवामुक्त किया गया उनके विरुद्ध क्या आरोप थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उनके विरुद्ध सरकारी कार्य (Government duty) से अनुपस्थित होने का आरोप था।

१०—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या निकाले गये व्यक्तियों ने कोई अपील की थी ? यदि हां, तो उक्त अपील कब हुई और उन्होंने क्या लिखा था तथा उसका उत्तर क्या दिया गया और क्या सरकार अब उनके मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर पुनः उन्हें सेवा कार्य सौंपने का कष्ट करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उक्त कर्मचारी ने सरकार को आवेदन-पत्र (अपील) अक्तूबर, १९६१ में दिया था। उसकी प्रतिलिपि संलग्न है। सरकार ने अपील अस्वीकृत करदी थी तथा उसकी सूचना भेज दी गई थी। उनको पुनः सेवा कार्य सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यह निष्कृत कर्मचारी हैं।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५८८-५८९ पर)

नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दुइज हरिजन की शिकायत की जांच

११---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या १३७-१३९, दिनांक १२ दिसम्बर, १९६३ के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दुइज हरिजन की जो शिकायत थी क्या वह दूर हो गयी है और उपनियोजन अधिकारी की जांच की क्या रिपोर्ट है? क्या मंत्री जी इसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सीताराम---

उपजिला नियोजन अधिकारी ने अपनी जांच में श्री दुइज हरिजन की शिकायत को निराधार बताया था। अतः उसके आधार पर शिकायत दूर करने का प्रश्न नहीं उठता है।

शासन द्वारा उप जिला नियोजन अधिकारी की रिपोर्ट सन्तोषजनक नहीं समझी गई, अतएव पुनः किसी दूसरे अधिकारी द्वारा जांच कराने की आज्ञा दी गयी है। ऐसी स्थिति में उप जिला नियोजन अधिकारी की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

१२---श्री उमाशंकर---

क्या यह सच है कि उपनियोजन अधिकारी ने दुइज हरिजन की जांच की कोई सूचना नहीं दी और न उस गांव पर जाकर के तथ्य की जानकारी करने के लिए किसी आदमी से कोई बयान ही लिये? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपा करके किसी और विभाग से जांच कराने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सीताराम---

जी नहीं। उप जिला नियोजन अधिकारी ने श्री दुइज के बयान भी लिये थे। दुबारा किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

फुटसिल गांव में कन्या पाठशाला की इमारत

१३---श्री खुशीराम---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा फुटसिल, ब्लाक गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ में बन रहे आधारिक कन्या पाठशाला की इमारत के लिए टीन न मिलने के कारण १९६२ के बरसात में गिर गयी थी, उसके पुनर्निर्माण के लिए जिला अधिकारियों एवं शासन से अतिरिक्त अनुदान की २४ मई, १९६२, २६ जुलाई, १९६२, २७ सितम्बर, १९६२, ४ अप्रैल, १९६३ तथा १० दिसम्बर, १९६३ को मांगें की गयी हैं? यदि हां, तो इतने बिलम्ब के पश्चात् तक कोई निर्णय न देने का क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

राजकीय प्राइमरी विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये उत्तराखंड में शासन की नीति यह है कि ५,००० रु० शासन की ओर से दिये जाते हैं बाकी रुपये तथा भूमि का प्रबन्ध उस क्षेत्र की ग्राम सभा को करना पड़ता है जहां कि विद्यालय खोला जाता है।

ग्राम फुटसिल में भी इसी नीति का पालन किया गया। परन्तु ग्राम सभा द्वारा काम ठीक न हुआ जिसके कारण भवन की पिछली दीवार १९६२ की बरसात में गिर गयी। इस क्षतिपूर्ति के लिये शासन से अतिरिक्त अनुदान की प्रार्थना बार बार की गयी, परन्तु अधिक अनुदान देना शासन की नीति के विरुद्ध है। अतः शासन को खेदपूर्वक इस मामले को अस्वीकृत करना पड़ा।

१४—श्री खुशीराम—

क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त इमारत गिरी होने पर भी स्थानीय बी० डी० ओ० ने पूर्ति प्रमाण-पत्र १९६२ ही में किस आधार पर दिया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिस समय क्षेत्र विकास अधिकारी ने कार्य पूर्ति का प्रमाण-पत्र दिया था, उस समय विद्यालय के भवन की चिनाई व लकड़ी का कार्य पूर्ण हो चुका था और ग्राम सभा ने टिन का मूल्य टिन स्टाकिस्ट के पास जमा कर दिया था और यह आशा थी कि भवन शीघ्र ही बन जायेगा। इस आधार पर क्षेत्र विकास अधिकारी ने कार्य-पूर्ति का प्रमाण-पत्र दे दिया।

१५—श्री खुशीराम—

क्या यह सच है कि स्थानीय सरकारी अधिकारियों के आदेशानुसार उपर्युक्त ग्राम सभा द्वारा १९६१ में १,५०० रुपया टीनों के लिए जमा करने पर भी दिसम्बर, १९६३ में पुनः ६०० रुपया जमा करवाये हैं, जब कि इस इमारत का पुनर्निर्माण में अत्यन्त आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो इस कठिनाई के निवारण के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ग्राम सभा फुटसिल ने मार्च, १९६२ में टिन स्टाकिस्ट के पास १।। टन टिन का मूल्य जमा कर दिया था जिसमें से १ टन टिन ग्राम सभा को स्टाकिस्ट द्वारा दिया गया। इसके उपरान्त सारे जिले में टिन के अभाव के कारण स्टाकिस्ट टिन नहीं दे पाया। तब जिला वितरण अधिकारी से प्रार्थना करके शेष टिन प्राप्त किया गया जिसके कारण उसका मूल्य नकद जमा करना पड़ा। अब स्टाकिस्ट द्वारा शेष टिन का मूल्य ग्राम सभा को वापिस किया जा रहा है। शासन की नीति के अनुसार ग्राम सभा को अतिरिक्त अनुदान देना उचित न होगा।

फतेहपुर में डाकुओं की कथित गिरफ्तारी तथा लड़कियों को छेड़ने की घटनायें

१६—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि फतेहपुर शहर में दिनांक २४–२५ अक्तूबर, १९६३ की रात्रि को संदिग्ध स्थिति में दो डकैत पकड़े गये तथा उनके पास से कुछ शस्त्रों के अतिरिक्त १,२०० रु० (बारह सौ रुपया) नकद बरामद हुआ? यदि हां, तो वे किसके मकान में और किस के द्वारा पकड़ गये तथा इस बार में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

१७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोतवाली, फतेहपुर में सन् १९६२ व १९६३ में ३१ अक्तूबर तक अवांछनीय तत्वों द्वारा लड़कियों को स्कूल, कालेज आते-जाते समय छेड़ने, अश्लील शब्दों द्वारा छोटाकशी करने व अन्य तरीकों से अपमानित करने सम्बन्धी

कुछ शिकायतें रजिस्टर करायी गयीं हैं ? यदि हां, तो कितनी संख्या में शिकायतें दर्ज हुईं तथा भविष्य में इस प्रकार की घृणित और अनैतिकतापूर्ण कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने की दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

सन् १९६२ में कोतवाली, फतेहपुर में इस आशय की कोई शिकायत नहीं दर्ज करायी गयी। सन् १९६३ में ३१ अक्तूबर तक एसी केवल दो शिकायतें दर्ज करायी गयी। इन पर मुकदमें चलाये गये और अदालत में दंडित हुए। स्कूल और कालेजों के खुलने तथा बन्द होने के समय पुलिस के कर्मचारी स्कूल व कालेजों के आसपास तथा अन्य स्थानों पर देखभाल के लिए तैनात कर दिये जाते हैं।

फतेहपुर जिले में सुरक्षा फण्ड

१८--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि फतेहपुर जिले में सुरक्षा फंड अधिकांशतः गांव पंचायत की रसीद बहियां, तथा बी० डी० ओज द्वारा छपायी गयी व्यक्तिगत रूप से रसीद बहियों पर ग्राम प्रधानों, ग्राम सेवकों और पंचायत सेक्रेटरियों द्वारा उगाहा गया है ? यदि हां, तो दोनों प्रकार की रसीद बहियों पर अलग-अलग कितनी धनराशि एकत्रित की गयी तथा मुख्य मंत्री प्रतिरक्षा फंड की रसीद बहियों से कितनी ? यदि नहीं, तो वस्तु स्थिति क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं। सुरक्षा फंड अधिकांशतः प्रतिरक्षा फंड की रसीद बहियों द्वारा प्राप्त किया गया है ।

सुरक्षा कोष में फतेहपुर जिले के बी० डी० ओज द्वारा कुल १,०२,३७९.०४ न० पै० एकत्रित हुआ है। इस धनराशि में रूप पत्र ७ द्वारा वसूल किया हुआ रु० ३२,६०६.७८ न० पै० तथा व्यक्तिगत रसीद छपवाकर वसूल किया हुआ रु० ५,०१२.५० न० पै० में शामिल है।

१९--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या सरकार फतेहपुर जिले से कुल कितनी धनराशि सुरक्षा फण्ड में प्राप्त हुई, बताने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

फतेहपुर जिले में ३१ मार्च, १९६४ तक कुल रु० ४,२१,२५०.४६ न० पै० सुरक्षा फण्ड में प्राप्त हुआ है।

फतेहपुर जिले में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति

२०--श्री रघुबीरसहाय कंधवार--

क्या हरिजन कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फतेहपुर जिले के हरिजन कक्षा १० तक के छात्रों एवं छात्राओं को वहां के प्रत्येक कालेज के प्रिंसिपलों ने जुलाई, १९६३ से अब तक की छात्रवृत्ति नहीं दी ?

डाक्टर सीताराम--

जी नहीं। फतेहपुर जिले के समस्त कालेजों के हरिजन छात्रों को १० वीं कक्षा तक की छात्रवृत्ति का भुगतान प्रिंसिपलों द्वारा किया जा चुका है।

बरवार नवयुवक संघ, गोंडा का प्रार्थना-पत्र तथा विमुक्त जातियों का उत्थान कार्य

२१—श्री गंगाप्रसाद—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा बरवार नवयुवक संघ, गोंडा के मंत्री श्री काशीराम ने बरवार जाति (विमुक्त जातियों) गोंडा, को वन विभाग द्वारा मुफ्त लकड़ी दिये जाने के विषय में माननीय मंत्री जी को दिनांक १६ फरवरी, १९६४ को प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो इस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। जिलाधीश से जांच करायी गयी थी।

२२—श्री गंगाप्रसाद—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विमुक्त जातियों के उत्थान के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उन्नति के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी योजना बनायी गयी है और उक्त योजना किस किस जिले में चालू की गयी है?

डाक्टर सीताराम—

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना काल में विमुक्त जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए गृह निर्माण, कुटीर उद्योग, कृषि उत्पादन व लघु सिंचाई, कूप निर्माण के लिये आर्थिक सहायता देने की योजनाएं हैं जो प्रदेश के सभी उन जिलों में लागू हैं जहां विमुक्त जातियां पाई जाती हैं।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित जिलों में पुनर्वास एवं आश्रम टाइप स्कूल की योजनाएं चालू की गई हैं :—

१—बहराइच, २—मुरादाबाद, ३—खीरी, ४—मैनपुरी, ५—आगरा, ६—गाजीपुर ७—फर्रुखाबाद, ८—वाराणसी, ९—गोरखपुर, १०—बरेली, ११—हरदोई, १२—मेरठ, १३—इलाहाबाद, १४—प्रतापगढ़, १५—मिर्जापुर, १६—बाराबंकी और १७—इटावा।

आश्रमरीति स्कूल

१—इलाहाबाद, २—लखनऊ, ३—रामपुर, ४—गोरखपुर और ५—सहारनपुर।

२३—श्री गंगा प्रसाद—

क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में हरिजन तथा विमुक्त जातियों और पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति अभी तक वितरण नहीं की गयी है जिस के कारण छात्रों में बड़ी बेचैनी फैली हुई है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। सब छात्रवृत्तियां वितरित की जा चुकी हैं।

२४—श्री गंगाप्रसाद—

क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला गोंडा में आश्रम टाइप का स्कूल खोलने जा रही है? यदि हां, तो किस माह से खुल जायगा?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं।

२५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[१०वें गुरुवार के लिये निर्धारित।]

जरीफनगर थाने में अपराध

२६—श्री उलफतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६४) के ५वें गुरुवार के लिये श्री उलफत सिंह यादव के अतारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में मन्त्री द्वारा जिन अपराधों की सूचना दी गयी है उनमें से वह अपराध कौन-कौन हैं जो कि श्री आशाराम की इन्चार्जशिप में हुए ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री आशाराम की इंचार्जशिप के दौरान २ डकैती की, २ मवेशियों की चोरी की और १ साधारण चोरी की घटनाओं की रिपोर्ट हुई।

२७–२८—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

[हटा दिये गये।]

पुलिस कर्मचारियों का वेतन

२९—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, सन् १९३५ में सर्किल इंसपेक्टर एस० ओ०, हेड कांस्टेबिल, कांस्टेबिल और चौकीदार के वेतन-क्रम क्या-क्या थे और अप्रैल, १९४९ में उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन-क्रम क्या-क्या हो गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५९० पर)

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

हमारे प्रश्न करीब-करीब आखिर में आते हैं जिससे प्रश्न करने का मौका नहीं मिलता। आजकल हमारे बहुत आवश्यक प्रश्न हैं तो हमको समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दें, तो मैं देख लूंगा ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

मुझे अभी तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है ?

श्री अध्यक्ष—

कल आपको बुलाया था, आप नहीं आये ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

मैं आपसे मिला और लिखकर भी दिया' लेकिन फिर भी स्वीकृति नहीं मिली ।

श्री अध्यक्ष—

मैं देखूंगा ।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण नियमावली, १९६३*

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एच० ५७६७/१२—बी—११३४—६३, दिनांक २० दिसम्बर, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण नियमावली, १९६३ को उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल-संरक्षण अधिनियम, १९६३ की धारा ३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन†

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ में, उद्योग विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३१२९ एस०/१८—सी—१६०१—६३, दिनांक २८ अप्रैल, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २८ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का तृतीय प्रतिवेदन†

‡श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

मैं, सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति, समिति की तरफ से उसकी यह तीसरी रिपोर्ट पेश करता हूं।

दूसरी रिपोर्ट पेश करने के बाद समिति ने तीन बैठकें कीं और उसने यू० पी० हायर जुडिशियल सर्विस रूल्स, १९५३ पर विचार किया। कमेटी जब इन रूल्स पर गौर कर रही थी तब वह इस बात को जानती थी कि ला कमीशन आफ इंडिया ने अपनी १४वीं रिपोर्ट में यह कहा है कि यू० पी० में जुडीशियरी और एक्जीक्युटिव का अलगाव सिर्फ दिखावा है, उसमें असलियत नहीं है और एक बड़ी तादाद में जुडीशियल अफसरों के सेक्रेटेरियट में तैनात कर दिये जाने की वजह से उनके ऊपर हाई कोर्ट का कंट्रोल कम हो जाता है और एक मामले में हाई कोर्ट की यह सिफारिश कि सेक्रेटेरियट में तैनात ३ जुडीशियल अफसरों का प्रोमोशन न किया जाय, न मान कर हाई कोर्ट की सिफारिश के खिलाफ उन अफसरों को तरक्की दे दी गयी। इसका नतीजा यह होता है कि जुडीशियल सर्विसेज अपनी तरक्की के लिये एक्जीक्युटिव का मुंह ताकने लगती हैं और उनकी इंडिपेंडेंस में काफी कमी हो जाती है। ला कमीशन आफ इंडिया ने यह भी सिफारिश की है कि जुडीशियल सर्विस के मेम्बरों को ५८ साल में रिटायर होने के बाद न तो कोई एक्सटेंशन दिया जाय और न उन्हें एक्जीक्युटिव या क्वासी-जुडीशियल जगहों पर रिइम्प्लाय किया जाय।

कमेटी को यह देख कर ताज्जुब हुआ कि हायर जुडीशियल सर्विस में न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशंस जज हैं बल्कि उनमें लीगल रिमेम्ब्रेंसर टु गवर्नमेंट, डिप्टी लीगल रिमेम्ब्रेंसर टु गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट जैसी एक्जीक्युटिव पोस्ट और दो डेपुटेशन रिजर्व भी हैं। इन जगहों पर नियुक्ति के मामले में जिसके साथ लंबी लंबी स्पेशल तनख्वाहें हैं, भत्ते और दूसरी सहूलियतें हैं, एक्जीक्युटिव को काफी डिस्क्रीशनरी ताकत दी गयी है और कुदरतन सारी जुडीशियल सर्विस में इन जगहों पर तकर्रुरी के लिये होड़ लगी रहती है और वे इन्हें ललचाई निगाहों से

---

*छापी नहीं गयी।

†छापे नहीं गये।

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखते रहते हैं। ऐसी सर्विस जिसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्टों और उनसे नीचे की सिविल जुडीशियल पोस्टों को भरने के लिये आदमी न हों उन्हें संविधान के पार्ट ६ के चैप्टर ६ के मतलब के लिये जुडीशियल सर्विस नहीं कहा जा सकता और अगर इस तरह एक्जीक्यूटिव जगहों को जुडीशियल सर्विस में मिलावट कर दी जाय तो आर्टिकिल २३५ के प्राविजन बेमानी और बेकार हो जायेंगे। मैं इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह सर्विस आर्टिकिल २३५ और कांस्टीट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपिल आफ स्टेट पालिसी, जो आर्टिकिल ५० में दिये हुए हैं की, नाफरमानी करने की जीती जागती मिसाल है।

आपकी कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि स्टेट की जुडीशियल सर्विसों के बारे में कांस्टीट्यूशन के जो प्राविधान हैं उन्हें स्टेट की सारी मैजिस्ट्रेसी पर लागू कर दिया जाय ताकि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के अलगाव का मकसद पूरा हो सके।

हायर जुडीशियल सर्विस के उम्मीदवारों का चुनाव एक चुनाव कमेटी के सुपुर्द किया गया है जिसमें हाई कोर्ट के दो जज और जुडीशियल सेक्रेटरी होंगे और हाई कोर्ट से सिर्फ यही चाहा गया है कि वह इस कमेटी द्वारा तैयार की गयी लिस्टों को गवर्नर को पेश कर दें। कमेटी समझती है कि इस तरह कांस्टीट्यूशन के उन प्रावीजंस को सरकमवेंट करने की कोशिश की गयी है जो डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्त के बारे में हैं।

इन दोनों नियमावलियों में कुछ संशोधन रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से किये गये हैं। समिति सबार्डिनेट लेजिस्लेशन को रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट बनाने को नाराजगी से देखती है। एक ऐसा संशोधन हायर जुडिशियल सर्विस रूल्स के नियम २० में किया गया है जो सीनियारिटी को एम्प्लायमेंट की तारीख के बदले कंफरमेंशन की तारीख से फिक्स करता है। यह संशोधन सीधी भरती से आने वाले उम्मीदवारों को बहुत कठोर होगा, क्योंकि उन्हें दो वर्ष के प्रोबेशन पर रखा जाता है और प्रोबेशन पीरियड के संतोषपूर्वक खत्म हो जाने के बाद ही उनका कनफरमेशन होता है।

इन दोनों नियमावलियों में जो हायर जुडीशियल सर्विस तथा पी० सी० एस० (जुडीशियल) ब्रांच के बारे में हैं रूल ३२ का सबरूल (१) हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब गवर्नर को डिस्क्रीशनरी पावर्स थीं। अब ऐसा प्राविजन वर्तमान कांस्टीट्यूशन में बदली हुई परिस्थितियों के कारण बिलकुल बेकार हो गया है। इन दोनों नियमावलियों के रूल ३२ का सबरूल (२) गवर्नर को नियुक्ति की बहुत वाइड और स्वीपिंग पावर्स देता है और इसमें यह कहा गया है कि गवर्नर जहां कहीं इन नियमों के खिलाफ कोई नियुक्ति करे वहां यह समझा जायेगा कि वह नियुक्ति इन रूल्स के रिलेक्सेशन में की गयी है। ऐसा रूल उन लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है जो रूल्स के मुताबिक नियुक्ति के लिये क्वालीफाइड हों, लेकिन गवर्नर द्वारा इस नियम के अन्तर्गत डिस्क्रीशनरी पावर का इस्तेमाल करके की गयी नियुक्ति के फलस्वरूप पास-ओवर हो जाते हैं। इस प्रकार यह नियम आर्टिकिल १४ और १६ में गारंटीड फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है।

समिति इस बात को फिर दोहराती है कि स्टेट की पब्लिक सर्विसेज की भरती और कंडीशंस आफ सर्विस को रेगुलेट करने के लिये लेजिस्लेशन जल्दी से जल्दी आना चाहिये और स्टेट की जुडीशियल सर्विस के संबंध में भरती और नौकरी की शर्तों के बारे में ऐसा विधान बनाने के लिये तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

आखिर में मैं विशेषतया श्री के० पी० गुप्त, सेक्रेटरी लेजिस्लेचर और विधान सभा के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्होंने समिति को उसके कामों में सहायता पहुंचाई और सरकारी पदाधिकारियों को जिन्होने समिति के सामने उपस्थित होकर समिति को अपनी मूल्यवान सम्मतियों से लाभ पहुंचाया, धन्यवाद देता हूं। मैं, विशेषतया, श्री के० एन० गोयल, डी० एल० आर० का जो सर्विस मैटर्स के विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने इस विषय पर प्रामाणिक किताब भी लिखी हैं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने समिति के सामने आई हुई बहुत सी कांस्टीट्यूशनल गुत्थियों को सुलझाने में समिति की बहुत सहायता की।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि आपको एक हिंदी जानने वाले असिस्टेंट की जरूरत है (हंसी)।

श्री बृजभूषणशरण--

कुछ टेक्नीकल शब्द अंग्रेजी में आ गये, हैं, उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं।

विनियोग लेखे १९६१-६२ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६३ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन *

श्री जेड०ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, अध्यक्ष लोक लेखा समिति, विनियोग लेखे १९६१-६२ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट १९६३ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति का सातवां कार्य सम्परीक्षण प्रतिवेदन*

श्री जेड०ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं, अध्यक्ष लोक लेखा समिति, यंत्र सज्जित राजकीय कृषि क्षेत्रों से संबंधित लोक लेखा समिति का सातवां कार्य-सम्परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष--

ले रहा हूं उसे। एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध है। मुझे सूचना यह मिली है कि वे यहां हैं नहीं। आपने कापी उनके पास भेज दी है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार--

जी हां, मैंने कापी भिजवा दी है। आप पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष--

आज वह नहीं हैं, उनसे मैं पहले बात कर लूं।

स्थानीय निकायों के चुनाव पुनः अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, जब कार्य-स्थगन प्रस्ताव आता है तो उसके संबंध में सब मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी होती है, आप उसे स्वीकार करें। उसकी प्रतिलिपि मंत्री जी को भेज दी गयी है।

---

*छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आये हैं। यह माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी, माननीय उग्रसेन जी का है। माननीय मायर जी और माननीय रियासत हुसैन, का नियम ५२ का भी है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

आपके निर्णय के पूर्व में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं, आप कृपया अभी बैठिये। नियम ६१ इस प्रकार है प्रश्नों के अनन्तर और कार्य-सूची में दिये हुये कार्य के आरम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष प्रस्ताव को लेंगे और यदि उनका यह विचार हो कि प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है और नियम ५८ के अन्तर्गत वे अपनी सम्मति दें तो वे सम्बद्ध सदस्य को पुकारेंगे जो अपने स्थान पर खड़ा होकर सदन के स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा मांगेगा।

२--यदि अनुज्ञा देने पर आपत्ति की जाय, तो अध्यक्ष उन सदस्यों से, जो अनुज्ञा प्रदान करने के पक्ष में हों, अपने स्थानों में खड़े होने की प्रार्थना करेंगे।

तो आप पहले अनुज्ञा मांगें। अगर आपत्ति हुई तो दूसरी कार्यवाही की जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, इसके साथ हम लोगों का भी तो है। वह भी इसमें जोड़ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

जी हां।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

मैं निम्नलिखित कार्यस्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की सदन से अनुज्ञा चाहता हूं--

"मान्यवर, सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव पुनः अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिये गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने यह स्पष्ट घोषणा की थी कि इस बार चुनाव नहीं टाले जायेंगे। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कल चुनाव स्थगित करने की आज्ञा सरकार ने जिले के संबंधित अधिकारियों को भेज दी है। सरकार का यह कदम लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं के विकास में बाधक एवं जनहित के विरुद्ध है। अस्तु, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलंबनीय प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

श्रीमन्, इस विषय में मैं बहुत संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार के इस चुनाव को स्थगित करने से यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि लोगों का उसमें विश्वास नहीं रहा है। १९५७ में चुनाव हुए जो ६१-६२ में पुनः होने चाहिये थे, लेकिन अब ६४ भी चला गया। जब उन्होंने देखा कि उनके पांव हिल गये, सरकारी दल को जब यह विश्वास हो गया कि म्युनिसिपैलिटी में उनको एक भी स्थान न मिल पायेगा तो चुनाव स्थगित कर दिये गये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी इसी तरह से चुनाव स्थगित किये गये और एक आदमी को मनोनीति करके जनतंत्र के अधिकारों का हनन किया गया। इस प्रकार चुनावों को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करना जनतंत्र की अवहेलना करना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा--

(स्वायत्त शासन मंत्री के खड़े होने पर) माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया और उसको तोड़ दिया। सदन में मंत्री जी घोषणा करते हैं और उसके विरुद्ध १०-१२ बजे ही अधिकारियों को तार भेज दिया। क्या ऐसी गलत बात कहने वाले मंत्री जी को आप सदन में बोलने की आज्ञा देंगे?

श्री अध्यक्ष--

अभी तो कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश है। उसके संबंध में मैं सदन की राय जानना चाहता हूं। इस सदन में माननीय मंत्री जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इस संबंध में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न अथवा कोई और चीज आप मुझे लिख कर देंगे तब मैं उसको देखूंगा।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी जी ने जो बातें कहीं उनके संबंध में जो तथ्य है उसको मैं सदन के सामने विचारार्थ रखना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं तथा नम्रतापूर्वक विनती करता हूं कि पहले आप उन तथ्यों को, वाकयात को देख लें और फिर देखें कि किसका दोष है, कितना दोष है और फिर आप निर्णय करें या सदन जो निर्णय करे उसे मैं मानने के लिये तैयार हूं। माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि यह हमने अपनी पार्टी के हित में किया, चूंकि हमारी पार्टी के लोग चुनाव में हार जाते। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक उनको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी पार्टी के लोगों के कहने पर हमने इस चीज को मना किया। यह सदन जब ४ तारीख को बैठा उसके पहले मेरे पास बहुत सी जगहों के कई डेपुटेशन आये, हिल एरिया और पूर्वी क्षेत्रों से तथा और जगहों से भी ढेरों तार आये व तमाम दरख्वास्तें आयीं कि ऐसे समय में आप इसको स्थगित कर दीजिये। सब को मैंने "न" में जवाब दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपको जो कुछ कहना हो मुझसे कहें। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

४ तारीख को सदन प्रारम्भ हुआ और माननीय ऊदल ने यह सवाल उठाया कि इसको स्थगित कर दिया जाय, तो माननीया मुख्य मंत्री ने यह कहा कि हम इस पर अगर माननीय सदस्यगण चाहते हैं तो विचार करेंगे। ५ तारीख को इस तरह की एप्लीकेशंस....

श्री अध्यक्ष--

यह सब बाद में बहस में कह दीजियेगा। बहुत संक्षेप में ही कहें।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मेरे पास कई जगह से पत्र आये।

(व्यवधान)

विरोधी दल के सदस्यों ने कहा। अपनी पार्टी के लोगों के कहने पर हमने इस चीज को नहीं माना, लेकिन जब विरोधी दल के लोगों ने लिख कर दिया तब हमें मजबूरन यह करना पड़ा। इसमें जनतंत्र की हत्या नहीं हुई, बल्कि जनतंत्र की इच्छा के विरुद्ध न जाकर, विरोधी दल के माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुसार मैंने इस बात को मंजूर किया।

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

एक बात मैं निवेदन कर दूं। आपको पेश करने का अधिकार है तो उनको भी आपत्ति करने का अधिकार है।

श्री उग्रसेन--

उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो मुझे भी कुछ बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं, प्रस्तुत करने वाला ही बोल सकता है।

प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(सदन के द्वादशांश से अधिक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब इस पर दो घंटे विवाद होगा ४ बजे से, और अगर ४ बजे से पहले हमारी कार्यवाही समाप्त हो गयी तो उसी वक्त यह ले लिया जायगा और इस पर दो घंटे बहस होगी।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

अगर आप विशेषाधिकार का प्रश्न पढ़ दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--

नियम ६४ के अन्तर्गत मुझे अधिकार है कि अगर किसी सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न हो तो पहले उस सदस्य से बातचीत करके मैं उसकी अनुमति दूं। अभी मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है इसलिये उसको मैं अभी पढ़ नहीं सकता।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, यह जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है, वह सब के सामने का है। सदन के सामने माननीया मुख्य मंत्री ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और सदन को कुछ बतलाने से पहले ही उन्होंने तार द्वारा आर्डर सब जगह भेज दिया।

श्री अध्यक्ष--

यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। यह तो उनसे पूछने की बात हो गयी। आपने उनके ऊपर एक आक्षेप लगाया है कि उन्होंने इस तरह का उत्तर दिया है, तो पहले मैं उसको देख कर ही अनुमति दूंगा।

इलाहाबाद जिले में पाले से फसल नष्ट हो जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने श्री नाथूराम शिक्षक की एक सूचना स्वीकार की है। वह इस प्रकार है--

सचिव, विधान सभा—

श्री अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश । आजकल इलाहाबाद जिले के किसानों की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है । पिछली फसल पाले के करण बिलकुल नष्ट हो गई थी । उस से जो पैदावार हुई है उस में इतना भूसा भी नहीं है कि किसान १ माह भी अपने पशुओं को जीवित रख सके । सिंचाई के साधनों के अभाव में जायद फसल भी न हो सकी । जिस के लिये सदन में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पूरा प्रयत्न करने का आश्वासन दिया गया था । परन्तु कुछ भी नहीं किया गया । किसान का बीज आदि भी बरबाद हुआ जो कि उसने कर्ज लेकर बोया था । आजकल हालत अत्यन्त चिन्ताजनक होकर भुखमरी की स्थिति व्याप्त है ।

सरकार के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार से जनता में घोर असन्तोष एवं उत्तेजना व्याप्त है । अस्तु, लोकमहत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय इन पर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री इस पर कल वक्तव्य दे दें ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

यह सारे जिले का है, इतनी जल्दी कैसे हो सकेगा, स्पेसिफिक क्षेत्र होता तो कल दे देते ?

श्री अध्यक्ष—

यह केवल इलाहाबाद के सम्बन्ध में है, जितना हो जाय कल दे दीजियेगा ।

आजमगढ़ जिले में शारदा कैनाल में पानी न होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक यह और है श्री अमजद अली का आजमगढ़ जिले का, इस में है कि "शारदा कैनाल में महीनों से इस साल पानी नहीं आया और गन्ना और जायद फसल नहीं बोई जा सकी और जो बोई गई वह सूख रही है ।" इस पर भी कल वक्तव्य दे दीजियेगा ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, हमारा भी वक्तव्य दिला दें । कल सदन उठ जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

जब फिर असेम्बली बैठे तब हो जायगा ।

श्री रामआसरे वर्मा पर प्राणघातक हमले के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब गृह मंत्री जी ११ नवम्बर का वक्तव्य दे दें ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह प्रश्न ऐसा है जिस पर माननीय गृह मंत्री जी को स्वयं रहना चाहिये था । पांडेय जी तो रामबाण चूर्ण है, जहां जरूरत होती है इनको लगा दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

यह आवश्यक नहीं है कि गृह मंत्री जी स्वयं ही रहें । गृह और उप गृह दो हैं ।

श्री शोधर पांडेय--

श्रीमन, २ और ३ मई, १९६४ के बीच की रात्रि में कुछ व्यक्तियों द्वारा श्री रामआसरे वर्मा, विधायक, पर फतेहपुर जिला बाराबंकी में प्राणघातक हमला किया गया । श्री रामआसरे वर्मा द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार वे करीब साढ़े बारह बजे रात को बन्दूक दगने की आवाज सुनकर जाग पड़े और उन्होंने, अपनी पोती कुमारी माया देवी को जख्मी होकर चिल्लाते हुए पाया। कुमारी माया देवी उनकी चारपाई की बगल में लेटी थी । उनका यकीन था कि यह हमला उन्हें मारने के लिये बन्दक से किया गया । कुमारी माया ी को उन्होंने उपचार कराने के लिये अपने ुत्र श्री सुरेश चन्द्र वर्मा के साथ लखनऊ मेडिकल कालेज में भिजवा दिया ।

मौके की जांच से और छर्रों की बरामदगी से यह ज्ञात होता है कि एल० जी० १२ बोर की कारतूस का इस्तेमाल किया गया था ।

इस दुर्घटना के बाद श्री रामआस वर्मा तथा उनके परिवार की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध कर दिया गया है । उनके घर पर सशस्त्र सिपाही लगा दिये गये हैं और श्री रामआसरे वर्मा के साथ भी एस्कोर्ट का प्रबन्ध कर दिया गया है । इस मामले की जांच की जा रही है और पुलिस अधीक्षक भी स्वयं मौके पर हो आये हैं ।

स्थायी समितियों तथा अन्य समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मुझे एक सूचना देनी है कि आज १२ से साढ़े ६ बजे तक चुनाव होंगे और कल १० बजे प्रातः से सायं साढ़े ६ बज तक होंगे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अब तो साढ़े बारह बज गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

वह पहले से निश्चित था, घोषणा म अब कर रहा हूं ।

श्री रामआसरे वर्मा पर प्राणघातक हमले के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस दिन, २, ३ की रात को रामआस वर्मा जी पर हमला हुआ तब से और आज के बीच में एस० पी० या जिलाधीश घटना-स्थल पर गये हैं और किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी हुई है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

जी हां, गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

किसी की गिरफ्तारी हुई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, आज अभी फ्रेश मेसेज आया है कि एक आदमी गिरफ्तार हुआ है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार की घटना के बारे में १९६२ में वर्मा जी ने एक रिपोर्ट लिखायी थी कि हमारे ऊपर २२ आदमियों ने हमला किया और हमारी जान का खतरा है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जो मेरी सूचना है वह यह है कि एक दरोगा के बारे में कोई रिपोर्ट थी, लेकिन कोई ऐसी रि ोर्ट नहीं थी कि हमें डर है कि हमारी कोई हत्या करेगा ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

जिस दरोगा के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट करायी उसमें कौन-कौन-सी मुख्य बातें थीं ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो बताया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

वक्तव्य में अभी कहा है कि एक दरोगा के बारे में उन्होंने कोई रिपोर्ट की है । तो मैं जानना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

वह दरख्वास्त मेरे पास नहीं है, लेकिन करप्शन वगैरह के बारे में थी । उस दरोगा का तबादला मेरठ रेंज में हो गया है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह घटना जब हुई उससे पहले कितनी रिपोर्टें माननीय रामआसरे वर्मा ने अपनी जान-माल की रक्षा के बारे में की ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इसका उत्तर पहले ही दे दिया कि ऐसी कोई रिपोर्ट इसके पूर्व नहीं थी ।

श्री उग्रसेन---

क्या मंत्री जी को सूचना है कि मैं स्वयं माननीय राम आसरे वर्मा को लेकर माननीय राज्यपाल के यहां गया, माननीय मुख्य मंत्री से मिला और माननीय गृह मंत्री से मिला और कहा कि इनको जान का खतरा है। फिर भी इंतजाम नहीं किया जा रहा है और यह एक दिन मार डाले जायेंगे ? क्या यह सही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

मुझे अफसोस है कि मुझे याद नहीं है ।

श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)---

२२ अप्रैल को ुलिस गोष्ठी हो रही थी वहां सारे दल के विधायक मौजूद थे उसमें हमने एस० ी० से कहा कि माननीय रामआसरे वर्मा की जान का खतरा है उनकी हिफाजत की जाय । इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

क्या प्रश्न कर्त्ता का मतलब यह है कि मुझसे कहा था ?

श्री अध्यक्ष---

वह कहते हैं कि एस० पी० से कहा था।

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी नहीं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब जब से इस घटना की जांच हो रही है और २२ आदमियों के खिलाफ जो उन्होंने रिपोर्ट लिखायी थी उनके खिलाफ भी कोई सबूत मुहैया कर रहे हैं या नहीं? उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, २२ आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट की या नहीं मैंने अभी उत्तर दिया है कि मुझे कोई इत्तला नहीं है। मैंने कल जब सुपरिन्टेन्डेन्ट, बाराबंकी से फोन पर बात की उससे यह मालूम आ कि वहां पर आपस की दुश्मनी इतनी है कि कई वर्षों से एक दूसरे की हत्या हो रही है और उनकी बातों से मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वहां आपस की दुश्मनी और पार्टीबन्दी इतने जोरों से है कि मुकदमें चलते हैं, कत्ल भी होते हैं। अभी थोड़े ही दिन हुए २६ तारीख को एक पार्टी के ४-५ आदमियों को, जिन्हें फांसी की सजा हुयी थी हाई कोर्ट से छोड़ दिये गये हैं। तो वहां पर ऐसी ही घटनायें अक्सर हुआ करती हैं। अब वहां पर पी० ए० सी० का प्रबन्ध कर दिया गया है श्री रामआसरे को एस्कोर्ट भी दे दिया गया है। जितना संभव हो सकता है प्रबन्ध किया जा रहा है और किया जायगा, मैं विश्वास दिलाता हूं।

श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)---

श्रीमन्, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि १९६२ में और अभी तक भी मैं मानता हूं कि घरेलू झगड़े होते हैं, मुकदमें चलते हैं फिर भी ऐसी अवस्था में सरकार ने क्या कार्यवाही की है? इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि गुण्डे और बदमाशों ने जो कि अभी हाल में हाईकोर्ट द्वारा छोड़े गये हैं, वहां आतंक मचा रखा है और जिन आदमियों ने उनके खिलाफ पैरवी की थी उनको सताया जा रहा है। वे लोग बल्लम, पिस्तौल फर्जी बन्दूकें लिए घूम रहे हैं और सा लोगों को आतंकित और परेशान कर रहे हैं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने जा रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह---

सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस से बात करने पर मैं कहता सकता हूं कि अगर यह चीजें होती हैं तो एक पक्षीय नहीं हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

आदरणीय शुक्ल जी की ५७ से पहले और उसके बाद भी बहुत घटनाएं हुईं। इन वारदातों को देखते हुये जो वहां होती जा रही हैं उन दोनों पक्ष के लोगों को बल्लम गंडासा और पिस्तौल न रखने का माननीय मंत्री जी हुक्म करने की कृपा करेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इस मुकदमें की तफसीस हो रही है और जिन लोगों के नाम लिए उनकी हिस्ट्री शीट भी खुली हुई है। फिर भी जो संभव हो सकेगा कार्यवाही की जायगी जिससे कि जो अवस्था आज है, वह न रहे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

माननीय मंत्री इस बात को देखते हुए कि बाराबंकी जिले में तमाम राजनीतिक हत्यायें होती जा रही हैं और जिले में और राजनीतिक क्षेत्र में आतंक व्याप्त है। श्री भगवती प्रसाद वर्मा की घटना हुई, श्रीकान्त गुबरहा (कांग्रेस) मार दिये गये।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ला (कांग्रेस) मार डाले गये। इसी प्रकार से श्री सियाराम सोसलिस्ट कार्यकर्ता मार डाले गये, श्री अवधशरण (एक्स-एम० एल० ए०) मार डाले गये और इसी प्रकार से तेज शंकर पांडेय मार डाले गये। इस प्रकार की हत्याओं को राजनीतिक क्षेत्र की ओर से भी बढ़ावा मिलता है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने भूमिका दी है उससे मैं असहमत हूं। यह कह देना कि ये राजनीतिक हत्यायें है और उनमें राजनीतिक पार्टियों के सदस्य रहते हैं मैं नहीं मानता। लेकिन और कारणों से हत्यायें हुई हैं। मेरा मत है कि मैं जो प्रयास हो सकेगा मैं करूंगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या जिन व्यक्तियों के विरुद्ध १०७ / १५१ की कार्यवाही हुई है उनको बहुत हैवी जमानतों में बांध कर छोड़ा जाय यह व्यवस्था की गयी है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इतने विस्तार से मुझे इसकी इत्तला नहीं है। लेकिन मैं इसको स्वयं देखूंगा और जैसा मैंने कहा इस वक्त इसकी जांच हो रही है उसके बाद यदि आवश्यकता होगी तो अफसरों को बुला कर बातचीत करूंगा और खुद जा कर देखूंगा कि क्या-क्या सम्भव है और क्या-क्या होना चाहिये।

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री को यह ज्ञात होगा कि सोशलिस्ट पार्टी के सियाराम, अवधशरण वर्मा जो रामआसरे वर्मा के भाई थे और विधायक थे जिन्दा जलाये गये और दिन-दहाड़े मारे गये। ५२ में रामआसरे वर्मा पर हमला हुआ। भगवती प्रसाद वर्मा का रिवाल्वर छीन लिया गया और अब रामआसरे वर्मा के घर में घुस कर हमला किया गया। भगवती प्रसाद शुक्ल भूतपूर्व विधायक भी हमारे साथ रहते थे इस लिये मारे गये। ये सब हमारी पार्टी के लोग हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि एक पक्षीय यह घटनायें नहीं हो रही हैं। तो कृपा करके वह बतलायें कि उस पार्टी के लोग कौन से मारे गये?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मेरे शायद कहने में गलती थी। यह कैसे कहूं कि उनकी समझने में गलती रही। उन्होंने कहा कि गवाहों से प्रोनोट लिखाये जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। उस पर मैंने कहा कि यह वास्तव में वहां हो रहा है तो मेरा विश्वास है और सुपरिन्टेन्डेन्ट से जो बातचीत की थी उससे अनुमान है कि यह एक पक्षीय नहीं है, दो पक्षीय है।

श्री उग्रसेन—

लोक तंत्र की रक्षा हेतु और मानवता के नाते क्या पुलिस मंत्री वहां के जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक को हटायेंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जिलाधीश को हटाने का अधिकार मेरा नहीं है। पुलिस अधीक्षक के लिये अधिकार जरूर है, लेकिन मैं उसको नहीं हटाऊंगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

आपने मुझे दो दफा बुलाने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। आपको बाद में सुन लूंगा। (श्री उग्रसेन के अपनी सीट पर बैठे-बैठे कुछ बोलने पर) नियम ५२ के अन्तर्गत यह तरीका नहीं है। इस तरीके से जो बात आप कर रहे है यह बिल्कुल अनियमित है। (व्यवधान)

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

एक व्यवस्था का प्रश्न। जब इससे पहले आपने माननीय दीपनारायण जी को बुला लिया।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनसे कह रहा हूं कि बैठ जाइये।

जालौन जिले की उरई नगरपालिका के अन्तर्गत महात्मा गांधी की मूर्ति के अनावरण के संबंध में की गई गिरफ्तारियों के विषय में वक्तव्य

मुख्य मंत्री के (सभा सचिव श्री बंशीधर पाण्डेय)—

जालौन नगर में नगरपालिका द्वारा महात्मा गांधी की मूर्ति चार, पांच महीने हुये बस स्टैंड के पास बनायी गयी थी। किन्हीं कारणों से इस मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया था। २६-४-६४ को श्री आनन्द भगवान द्विवेदी, मंत्री, जालौन जनसंघ, श्री नरेन्द्र सिंह, मंत्री, समाजवादी पार्टी तथा श्री गट्टू लाल माहेश्वरी, मंत्री प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की से इस आशय के पर्चे बांटे गये कि नगर पलिका ने अभी तक मूर्ति का अनावरण नहीं किया है और इसलिये विरोधी पार्टी के सदस्य २८-४-६४ को छः बजे सायंकाल उसका अनावरण करेंगे। यह भी कहा गया कि जालौन नगर के प्रमुख विरोधी नेता इसमें भाग लेंगे। इसी बीच में २७-४-६४ को अध्यक्ष, नगरपालिका की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें शान्ति भंग होने की आशंका प्रकट की गयी थी और मूर्ति के अनावरण को रोकने की प्रार्थना की गयी थी। इस पर २७-४-६४ से जालौन नगर में धारा १४४ लागू कर दी गयी और मूर्ति को गार्ड करने के लिये की कार्यवाही भी कर दी गयी। जनता को घोषणा करके तथा पर्चे बंटवा कर यह भी बता दिया गया कि मूर्ति का अनावरण २८-४-६४ को उचित न होगा और इसके अनावरण के लिए नगरपलिका ने ६-५-६४ नियत कर दी है।

२८-४-६४ को प्रातः काल विरोधी पार्टियों की एक मीटिंग जिला अधिकारियों द्वारा बुलायी गयी जिसमें श्री बनवारी लाल, एम० एल० सी० तथा श्री गोविन्द नारायण तिवारी, एम० एल० सी० के अतिरिक्त और लोग भी उपस्थित थे। इस मीटिंग में उपस्थित व्यक्तियों को यह बता दिया गया कि मूर्ति नगरपालिका द्वारा बनायी गयी है, अतः उन्हीं को इसका अनावरण करना उचित होगा। उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया कि नगरपालिका द्वारा ६-५-६४ को अनावरण करने का समारोह नियत कर दिया गया है और अब इसे स्थगित नहीं किया जायगा। मीटिंग में उपस्थित लोग इस बात पर सहमत हो गये कि वे अनावरण का कार्य क्रम रद्द कर देंगे, अगर उन्हें जालौन में सभा करने तथा जनता को यह बताने की आज्ञा दे दी जाय कि अनावरण ६ मई को हो जायगा और स्थगित नहीं किया जायगा। उन्हें यह भी बताया गया कि मूर्ति के स्थान पर सभा करने की आज्ञा देना उचित न होगा, परन्तु अगर वे मूर्ति से कुछ दूर सभा करना चाहे तो उन्हे इसकी आज्ञा दी जा सकती है। फलस्वरूप उन्होंने झन्डा मैदान में जो मूर्ति से

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

लगभग दो तीन फर्लांग दूर है, सभा करने की अनुमति मांगी और उनको इसकी अनुमति दे दी गयी।

२८-४-६४ को लगभग पांच बजे सायंकाल एक लड़का जिसका नाम सन्तोष कुमार पुरवार है, आंख बचाकर मूर्ति पर चढ़ गया और उसने उसको अनावरण कर दिया। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लड़के के इस कार्य से नगर में तनाव की स्थिति पैदा हो गयी इसलिये यह निर्णय किया गया कि यदि अब सभा होती है तो उससे शान्ति भंग हो जाने की संभावना हो सकती है। हाकिम परगना ने जीप पर लाउड स्पीकर द्वारा नगर में यह घोषणा करा दी कि सभा की अनुमति रद्द की जाती है। इस बीच में जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गये और उन्हे पता चला कि विरोधी पार्टियों ने सभा का प्रबन्ध अनुमति वापस लेने पर भी किया है। लोग वहां पहुचे जहां सभा हो रही थी। हाकिम परगना ने लाउड स्पीकर पर यह घोषणा की कि यह सभा अवैध है तथा लोगों को इसमें भाग नहीं लेना चाहिये। यदि इसमें भाग लिया जाता है तो भीड़ को शक्ति प्रयोग से तितर बितर किया जायगा और आज्ञा न मानने वाले गिरफ्तार भी किये जा सकते हैं। कई बार घोषणा के उपरान्त भी सभा चलती रही और इसमें वक्ताओं ने उत्तेजनात्मक भाषण दिये इस पर : व्यक्ति, सर्व श्री गोविन्द नारायण तिवारी, जमींपाल सिंह, बद्री प्रसाद पुरवार, द्वारका प्रसाद तरसोलिया, श्यामसुन्दर गुप्ता और आनन्द भगवान द्विवेदी पकड़ लिये गये। भीड़ ने इनके पकड़े जाने के उपरान्त हटना शुरू कर दिया। सन्तोष कुमार पुरवार और उन छः व्यक्तियों को जेल भेजा गया जहां से उनको जमानत बाद में हो गयी। नगर में अब पूर्ण शान्ति है।

श्री रामआसरे वर्मा पर प्राणघातक हमले के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि बाराबंकी में तो कत्ल होते रहते हैं और कहा कि पुलिस कप्तान को नहीं हटाऊंगा। इसके लिये सोशलिस्ट पार्टी के सभी सदस्य सदन का परित्याग करते हैं और अगर इनको नहीं हटाया गया तो कृपालानी की सरकार को हटना पड़ेगा वरना हम लोग जेल में होंगे।

श्री अध्यक्ष---

हो गया, अच्छा-अच्छा।

श्री उग्रसेन---

यह कहते हैं कि हटाऊंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा-अच्छा।

(व्यवधान)

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों के कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन को एक सूचना दे दूं जो माननीय नरसिंह नारायण पांडेय तथा श्री दुर्योधनप्रसाद के द्वारा प्राप्त हुई है.....

सूचना इस प्रकार है कि—

"समाजवादी संयुक्त दल ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री के० कामराज के समाजवादी शक्तियों को कांग्रेस में आह्वान कर कांग्रेस को मजबूत समाजवादी दल बनाने के निश्चय का स्वागत करते हुये अपने दल को कांग्रेस में शामिल करने का निश्चय किया है। इस हेतु दल ने अपने गोरखपुर कांग्रेस में इस विलयन को अन्तिम रूप देने हेतु प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना को अधिकृत किया था जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस संसदीय दल ने अपनी पिछली बैठक में हमारे इस निश्चय का स्वागत किया था। भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने व्यक्तिगत पत्र द्वारा कांग्रेस संसदीय दल के निश्चय से अवगत कराया है। अतः इन परिस्थितियों में हम लोगों ने निश्चय किया है कि अब समाजवादी संयुक्त दल को कांग्रेस में पूर्ण रूपेण विलीन कर उन समाजवादी शक्तियों को कांग्रेस के अन्दर मजबूत करें जिससे देश में प्रतिक्रियावादी पूंजीपरस्त रजतपसन्दी ताकतें जो जोरों से देश की राजनीति में अपना सिर उठा रही हैं उनका मुकाबला कर जनतांत्रिक समाजवादी शक्तियों को मजबूत किया जा सके।

अतः हम संयुक्त समाजवादी दल के तीनों सदस्य अपने को कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा करते हैं। प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना जो इस समय दिल्ली में है उन्होंने भी कल रात्रि अपने निश्चय से हमें अवगत करा दिया है जिससे उनके नाम की भी घोषणा कांग्रेस दल में शामिल होने की हो जाय। अतः आप से अनुरोध है कि "आप विधिवत् इसकी घोषणा सदन में करने की कृपा करें।"

कतिपय विषय

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां की प्लेट हमारे रूम में अभी तक नहीं पहुंची है। यह किस की गलती है?

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, अच्छा।

संविधान के अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को निर्दिष्ट विषय के संबंध में श्री अध्यक्ष की सूचना

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की पैरवी के लिये वकील रखे जायेंगे, उसके लिये सदन के वकीलों को इकट्ठा किया था। क्या तय पाया, आपने बताया नहीं, इसलिये आप इसकी घोषणा कर दें ताकि हम लोग जान लें कि कौन पैरवी करेगा।

श्री अध्यक्ष—

कल भी मैंने निवेदन किया था और उसके पूर्व भी किया था और ३० तारीख की कार्यवाही को देखें मैंने घोषणा की थी कि विभिन्न दलों के नेता आकर मिलें ताकि हम निश्चय कर लें कि हम किस तरह से कार्यवाही करेंगे, किस को वकील करेंगे। मैं समझता हूं कि ३० तारीख की कार्यवाही के अनुसार इस सदन ने अपना मौन अधिकार उन लोगों को दे दिया था कि उनके नेता इस विषय पर निश्चय करें। विभिन्न दलों के नेताओं ने यह निश्चय किया कि जिस वकील को हमारे प्रदेश के एडवोकेट जनरल उचित समझें, सुझाव दें, उसको करने का यत्न किया जाय। उन्होंने श्री सीरवाई के लिये हम से कहा। उनकी संस्तुति के अनुसार हम सीरवई से मिले। सीरवई ऐडवोकेट जनरल, महाराष्ट्र के हैं। उनसे जो बातचीत हुई उससे हम पूर्ण संतुष्ट हैं। हम समझते हैं कि हमारी तरफ से पैरवी बहुत अच्छी तरह से वह कर सकेंगे। अतः इस समय यही

[श्री अध्यक्ष]

निश्चय है कि सीरवई हमारे वकील रहेंगे। मुख्य मंत्री, पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मंत्री तथा हमारे ला मिनिस्टर, की भी अनुमति प्राप्त कर ली है और विभिन्न नेताओं की भी मुझे अनुमति थी कि श्री कन्हैयालाल मिश्र जिसकी संस्तुति करें उसको किया जाय और उससे हम संन्तुष्ट हो गये हैं। इस वजह से इस समय वह हमारे वकील हैं। अगर आगे चल कर हमें यह आवश्यकता महसूस हुई कि हम किसी और को करें और उनके साथ कर दें तो उसके ऊपर विचार किया जायगा इस समय हमारे वकील सीरवई हैं और उन्हीं के परामर्श से कार्यवाही हो रही है।

कतिपय विषय (क्रमागत)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, एक बात आपके द्वारा मैं जानना चाहता हूं। पिछले पाले से जब क्षति हुई तो उस समय माननीय माल मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था.....

श्री अध्यक्ष—

आपकी फाइल है हमारे पास। जवाब आ गया है। आप मुझ से कमरे में मिलियेगा देख लीजियेगा।

५ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न ३–४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

*विद्युत् उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ५ मार्च, १९६४ को सर्वश्री हरीशकुमार गंगवार तथा नरसिंह नारायण पांडेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३–४ के सम्बन्ध में श्री हरीशकुमार गंगवार ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो २४ हजार ५ सौ का मुआवजे का चेक भेजा है उनमें दो व्यक्ति जिनकी हालत सुधर रही है, क्या उनका मुआवजा भी शामिल है? अगर है तो कितना?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "इनका इसमें नहीं है। एक जिसकी डेथ हो गयी है उसके लिये ३० रुपया महीना पेंशन दे दी गयी है। दो अस्पताल में हैं: उनका बाद में देखा जायगा।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है "इनका इसमें नहीं हैं। दो घायल व्यक्तियों में से जो ८–२–६४ को डिस्चार्ज कर दिया गया है उसकी चोटें मामूली थीं। दूसरा जिसकी हड्डी टूट गयी है और जिसका अभी अस्पताल मे इलाज हो रहा है उसको ३० रुपये प्रति मास का भुगतान अपंगता की अवधि या ५ साल जो भी कम हो तक किया जायगा।"

(मूल प्रश्नोत्तर के लिए देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ५९१ पर)

न्यायालयों में भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में मुकर्जी समिति का प्रतिवेदन†

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, अधीनस्थ न्यायालयों में भ्रष्टाचार, विलम्ब इत्यादि के कारणों की जांच करने तथा इन दोषों को दूर करने के सुझाव देने के लिये सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

मिस्टर जस्टिस बी० मुकर्जी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की थी। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये इसके प्रतिवेदन की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखवा दी गयी हैं।

उपर्युक्त प्रतिवेदन पर विचार हो रहा है।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९६४ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के अधीन कर दिया जाय, जिसमें विधान परिषद् के ८ सदस्य और विधान सभा के १६ सदस्य हों और जो अपना प्रतिवेदन विधान परिषद् के आगामी वर्षाकालीन सत्र के प्रारम्भ होने से एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, यह विधेयक कुछ कारणों से जरूरी हो गया है। इस वक्त ज्यादा समय में सदन का नहीं लेना चाहता। बाद में अर्ज करूंगा। इस समय इसमें मुख्य-मुख्य संशोधन जो हैं उनका जिक्र मैं करूंगा। पहली बात कि अभी हम जो म्युनिसिपैलिटीज को सस्पेंड करते थे तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा कंसिडरेशन यह होता था कि उसकी फायनेंन्शियल कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन अभी तक म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी रखना, यह कोई आब्लिगेटरी ड्यूटीज में से नहीं था जैसे कि सैनिटेशन ठीक रखना या रोशनी का प्रबन्ध ठीक करना आदि आदि तो थे लेकिन वह काम बिला आर्थिक स्थिति अच्छी होने से नहीं हो सकते और वह आब लिगेटरी नहीं था। तो करते हम यही थे कि जिस बोर्ड की आर्थिक स्थित अच्छी नहीं है उसी को सुपरसीड करते थे और और कारणों से। लेकिन वह अच्छा नहीं मालूम होता था। तो अब यह किया गया है कि फाइनेंन्शियल कंडीशन अच्छी रखना, साउंड रखना, यह म्युनिसिपैलिटीज की आब्लिगेटरी ड्यूटीज में रख दिया गया है, उनका आवश्यक कर्तव्य कर दिया गया है, इसको ठीक न रखने पर उनको निलम्बित किया जा सकता है।

दूसरी चीज यह कि हम कुछ संख्या म्युनिसिपैलिटीज के मेम्बरों की कम कर रहे हैं। यह मससूस किया जा रहा है कि उनकी संख्या जरा अधिक हैं जिसके कारण जातीयता और छोटी-छोटी बातें भड़काकर लोग अपना रिप्रिजेंटेशन कर लेते हैं। इसलिये कुछ अगर थोड़ा वाइडर बड़ा-बड़ा क्षेत्र हो तो यह चीजें कम आयेंगीं और अच्छा रिप्रिजेन्टेशन होगा। इसलिये कुछ मेम्बर कम किये जा रहे हैं।

तीसरी बात यह है कि जो हमारी बहुत दिनों से मांग थी इस हाउस में भी और विधान परिषद् में भी बार-बार यह कहा गया कि जो सर्विसेज है म्युनिसिपैलिटीज की, उसमें जो ऊंचे अधिकारी हैं, उनका प्रदेशीकरण किया जाय, प्रांविशियलाइज किया जाय। तो इसमें इसका प्राविधान किया गया है कि इसको प्रांविशियलाइज किया जाय। इसी तरह से और एक प्राविजन था अभी तक कि जो मेम्बर गड़बड़ी वगैरह करते थे, उनको हम सस्पेंड करते हैं, उनके ऊपर कार्यवाही करते हैं। लेकिन अगर कार्यवाही के दौरान में ही चुनाव हो गया तो वह कार्यवाही खत्म हो जाती थी और अब दुबारा भी वही मेम्बर चुनकर आ जाय तो चाहे जितना खराब काम उसने पहले किया हो, हम उस पर कोई ऐक्शन नहीं ले सकते। तो अब हमने यह प्राविजन रखा है कि जिन मेम्बरों के खिलाफ कार्यवाही चलती होगी वह फिर चुन कर आ जायेंगे तो उन पर ऐक्शन लिया जा सकेगा और वह रिमूव किया जा सकेगा।

यह खास-खास संशोधन है जो कि इस विधेयक में लाये गये हैं। अब मैं माननीय सदस्यों की बातें सुन कर अन्त में अपनी बात कहूंगा। . मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं और वहां ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में जाने पर काफी विस्तार से वहां पर विवाद हो जायगा और हमें माननीय सदस्यों

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

की राय जिन्हें आप लोग चुन कर भेंजेगे मिलेगी, उसके बाद सदन में आयेगा तो आपकी राय मिलेगी, इसलिए मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन रखता हूं कि "संयुक्त प्रवर समिति" तथा "के अधीन" के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:

"जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो।" श्रीमन्, इसके बारे में हमारे माननीय मन्त्री जी याद करेंगे कि १९१६ के बाद आज तक, जहां तक मुझे मालूम है, कोई ऐसा मौलिक संशोधन इस ऐक्ट में नहीं हुआ। आज पहली बार एक तरह से जिसको अधिक से अधिक संशोधन करना सम्भव कह सकते हैं, वह सरकार करने जा रही है। इस संशोधन को पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि या तो हमारी सरकार ने भलीभांति हर चीज पर ध्यान नहीं दिया, हाई कोर्ट की रूलिंग पर ध्यान नहीं दिया, तमाम प्रान्त के प्रेसीडेंट से राय नहीं मांगी जो नित्यप्रति इसकी कार्यप्रणाली से संबंधित है कि उनको क्या कठिनाई है, क्यों म्युनिसिपैलिटीज के फाइनेंसेज अच्छे नहीं होते, क्यों सफाई नहीं होती, क्यों कानून को कानून की शक्ल नहीं देते और क्या-क्या उनकी कठिनाइयां हैं इसको हमारी सरकार ने जानने की कोशिश नहीं की। इसका पब्लिकेशन भी नहीं हुआ। सरकार के लिये यह उचित था कि जितनी म्युनिसिपैलिटी हमारे प्रदेश में है उनसे उनकी राय मांगी जाती और लीगल एक्सपर्ट की राय से कुछ सेक्शन बनवाकर यहां सदन में न रखती। इसके देखने से पता चलता है कि यह संशोधन जो बना वह केवल इसलिये बना कि सरकार के हाथ म्युनिसिपैलिटी के ऊपर मजबूती से बने रहें।

मैं इस सम्बन्ध में २,३ बातें निवेदन करना चाहता हूं। सरकार के विचार आज तक निश्चित नहीं हुए हैं तो इसलिये वह निश्चित बात नहीं बतलाती है। आज से ४ वर्ष पहले किसी मन्त्री जी ने यह कहा था कि हम म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट को पूरी तरह से संशोधित करेंगे परन्तु आज तक वह नहीं हो सका। हमारे सामने केवल इतना ही आया जो आज यहां पर बतलाया जा रहा है। वह इसलिये नहीं आया कि कोई संशोधन तैयार नहीं हो सका। वह संशोधन सन् १९६२ में नहीं आया, सन् १९६३ में नहीं आया और अब यह ६४ में संशोधन आ रहा है। अब भी वह संशोधन सरकार की मंशा के मुताबिक नहीं आया है तो इलेक्शन को स्थगित करने की बात की जा रही है। आज ४ वर्ष से मालूम नहीं हो सका कि कौन-सा संशोधन सरकार करना चाहती है। विरोधी पक्ष का आरोप है कि सरकार समझ बूझकर संशोधन नहीं करती है। इसी प्रकार से सरकार ने इस पर भी विचार नहीं किया। सरकार कहती है कि हमने लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर यह संशोधन रखा है। लीगल एक्सपर्ट क्या कहते हैं और क्या राय देते हैं इसका उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसी कारण से मैंने परिधि बढ़ाने के लिये कहा है। जिस तरह से सरकार संशोधन करना चाहती है उससे म्युनिसिपैलिटी का अहित होने वाला है। इसी कारण से मैं परिधि बढ़ाने की बात करता हूं।

मैं आपको बतला दूं कि एक सेक्शन ३२६ है जिसमें यह दिया है कि यू० पी० म्युनिसिपैलिटी को अकाउन्ट कोड के अनुसार ६ महीने के अन्दर अपने क्लेम को एडमिट कराने का अधिकार है। जब वह एडमिट हो जाय तो तब वह एप्रूव्ड होगा। अगर ६ महीने की अवधि निकल जाय तब वह एडमिट नहीं होगा और जब वह एडमिट नहीं होगा तो वह क्लेम खत्म हुआ समझा जायगा। हाई कोर्ट में एक मुकदमा बलरामपुर म्युनिसिपैलिटी से एक व्यक्ति का चला तो हाई कोर्ट ने एक जजमेंट म्युनिसिपैलिटी के पक्ष में दिया। हाई कोर्ट ने यह कहा कि वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदमी जो ६ हजार मांगता है वह मांग नहीं सकता लेकिन उन्होंने हमारे प्रजातंत्र के बारे में क्या कहा यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं:—

The U. P. Municipal Account Code Rule 180 provides: 'claims for refunds shall be promptly dealt with and when a claim has been admitted the payment of refunds shall be made on demand."

उसमें है :

"Before we part with the case we would like to observe that the Municipal Board of Balrampur has not set a good standard of conduct in first lulling the Plaintiff respondent into the belief that the payment would be made and then after the period of limitation had expired to come out and contest the suit on the ground that it was barred by limitation. If representative bodies act in a manner in which the Municipal Board of Balrampur has acted, it is obvious that public confidence would be under-mined in the authority of the Govt. and the result would be disastrous.,,

तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार पर एक बहुत बड़ा आक्षेप था और इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपके पास बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स हैं। मैं बार-बार कहता रहा कि हमको इन बाडीज का काम डिपार्टमेंटल आफिसर्स से नहीं, योग्य वकीलों से कराना चाहिये और तभी पब्लिक की मांग पूरी की जा सकती है। मैंने यह खिचड़ी का एक चावल आपके सामने रखा है जो आप ए० एल० जे० १९६२ के पेज ८११ पर देख सकते हैं। तो सरकार का इन बातों की तरफ ध्यान जाना चाहिये। वह किसी एक व्यक्ति का रुपया नहीं है, जनता का रुपया है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसमें भेदभाव करती है।

१९१६ से लेकर आज तक म्युनिसिपल बोर्ड पर हुई नजीरों को अगर आपने पढ़ा होता तो अन्य प्रकार के अमेंडमेंट भी हमारे सामने आते। इसलिये आपको चाहिये कि आप इसकी परिधि बढ़ाने की बात भी अपने सामने रखें और इन बातों पर विचार करके अन्य संशोधन भी लायें।

(इस समय १ बज कर ९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय, पीठासीन हुये।)

प्रेसीडेंट्स के एलेक्शन के बारे में कहना चाहता हूं कि वह डाइरेक्ट होने चाहिये। इस प्रकार का कोई प्राविधान इसमें नहीं किया गया है। आपने १९३८ में एक खेर कमेटी बनायी थी और उसने अपनी रिपोर्ट में चेयरमैन के लिये डाइरेक्ट एलेक्शन की सिफारिश की थी क्योंकि जो लोग चुन कर आते हैं उनको एक असरदार व्यक्ति अपनी तरफ कर के स्वयं चेयरमैन बन जाता है और फिर लोग उसके इशारे पर नाचने लगते हैं। डाइरेक्ट एलेक्शन में एक साधारण, किन्तु योग्य व्यक्ति भी चुना जा सकता है और सफलतापूर्वक कार्य संचालन कर सकता है। उसे जनता का विश्वास भी प्राप्त होगा। इन्डाइरेक्ट एलेक्शन से पार्टीबाजी बढ़ती है और इसलिये उसकी कोई गुंजाइश इसमें अब नहीं रहनी चाहिये।

तीसरे, सुपरसेशन के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आज मिर्जापुर के भगवानदास का केस हमारे सामने है। कई बार वह म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन हुए और कई बार सरकार ने उनको अपदस्थ किया। आज हमारी सरकार बहुमत में है और वह इसलिये जो चाहे वह कर सकती है। अभी हरगोविन्द सिंह जी ने जिस प्रकार कहा सोशलिस्ट पार्टी के लिये उससे मुझे दुख हुआ। हालांकि मैं उस समय खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मुझे दुख हुआ उनकी यह बात सुन कर कि अगर वह उचित समझेंगे तो एस० पी० को हटायेंगे नहीं तो नहीं हटायेंगे। इस बात से दंभ टपकता है और यह ठीक नहीं है। राजमद में व्यक्ति अंधा हो जाता है, आंखों से भी और दिमाग से भी। वही भावना आज मंत्री जी की भी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि चेयरमैन से एक्सप्लेनेशन मांगा जाय और उस पर सरकार अपनी रिपोर्ट दे और फिर वह सारा

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

केस किसी हाई कोर्ट के जज के सामने भेजा जाय जो उसे देख कर फैसला दे कि उसे अपदस्थ किया जाना चाहिये अथवा नहीं। खेर कमेटी ने जो लोकल सेल्फ कंट्रोल बोर्ड की बात कही थी वह इसी भावना से कही थी। आज हमारे मंत्रिगण केवल कांग्रेस के मंत्री नहीं है, मंत्री होने के बाद वे हम सब के मंत्री है और सब के प्रति और प्रजातंत्र के प्रति उनकी अलग से जिम्मेदारी है। अगर इस अव्यवस्था को दूर करना है तो आप लोकल सेल्फ कंट्रोल बोर्ड बनावें और इस प्रकार के मामलों को जजों के सुपुर्द कर दें ताकि वह निष्पक्ष होकर निर्णय कर सकें कि सुपरसेशन होना चाहिये अथवा नहीं।

आज उस म्युनिसिपैलिटी से जो संबंधित विधायक हैं वह उसके पदेन सदस्य हों इस बात की कहीं व्यवस्था नहीं है इस कारण वहां की गड़बड़ियां यहां पर आ नहीं पातीं। कलेक्टर उनको वहीं दबा देता है और इस कारण उनका पता नहीं चल पाता। यदि विधायक उसके पदेन सदस्य हो जायं तो बड़ा फायदा हो सकता है और बहुत सी खराबियां इस कारण भी दूर हो सकती है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में एक स्त्री रहती है। हमने देखा है कि म्युनिसिपल बोर्ड में आप फैमली प्लानिंग लाना चाहते है, बच्चों के संबंध में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इन सब के संबंध में स्त्रियों से परामर्श की आवश्यकता होती है और इसलिये मेरा सुझाव है कि उसमें स्त्रियों को कोआप्ट किया जाना चाहिये।

आज की व्यवस्था में म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट मैजिस्ट्रेट की अदालत में जाकर खड़ा होता है, शहादत देता है और इस प्रकार उसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि उसे मैजिस्टीरियल पावर भी दी जानी चाहिये। आप यह कर सकते हैं कि उसकी योग्यता परख लें और कुछ समय तक, महीने दो महीने उन पावर्स को होल्ड किये रहें। लेकिन यदि वह काबिल हो तो मैजिस्टीरियल पावर्स उसे दे दी जानी चाहिये।

तीसरी बात मैं कह रहा था कि म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन हटाये जाते हैं मैजारिटी से। अगर १५ मेम्बर हैं और ८ ने हाथ उठा दिया तो म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन जिनको लाखों ने चुना वह हटा दिये जाते हैं। सेक्रेटरी टू थर्ड्स से हटाये जाते हैं। मैं दूसरी सिफारिश करूंगा कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन माना जाता है तो इस पर भी विचार किया जाय कि वह टू थर्ड्स से कम में न हटाये जायं और ५-६ महीने नो-कॉफिडेंस मोशन न आवे। कम से कम ढाई या दो वर्ष या जो संयुक्त प्रवर समिति उचित समझे उतनी अवधि का एक प्राविधान बनाये।

दूसरी बात यह है कि अगर म्युनिसिपैलिटी ने कोई ऐक्शन किसी के खिलाफ किया तो अगर वह दो महीने के अन्दर नोटिस नहीं देता है तो इंजंक्शन का सूट तुरन्त नहीं ला सकता। उस पर ऐसा भी विचार करना चाहिए कि म्युनिसिपल बोर्ड का नुकसान भी न हो और जो नोटिस देना अनिवार्य रखा गया है वह न रखा जाय बल्कि उसके लिये ऐसा उपाय किया जाय कि इन-इन सूरतों में देना आवश्यक नहीं होगा और इनमें होगा। जैसा कि ३२६ के बारे में मैंने कहा कि कम से कम एप्लीकेशन देने के ३ वर्ष की अवधि रखी जाय जिसमें सूट फाइल हो सके।

चौथी बात यह है कि म्युनिसिपैलिटी में कहीं प्राविजन नहीं है कि एक गड़बड़ी जो होती रहती है उसको चेक किया जाय। होता यह है कि एक कंट्रेक्टर इस नाम पर कि यह म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम पर सारा सामान छुड़ा लेता है उसका एक चौथाई जाकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या संबंधित संस्था को देता है और सारा खा जाता है। होना यह चाहिये पहले वह सब पर चुंगी चुकाये और जितना वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बताता है उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए और सर्टिफिकेट देखा जाय और इसके लिये कोई मियाद न रखी जाय। इससे पचासों हजार रुपया आप बचायेंगे। दूसरे, अगर रेलवे की हद के अन्तर्गत कोई सामान उतरे और रखा जाय और सड़क-सड़क ले जाया जाय तो उस पर चुंगी नहीं लग पाती, इस तरह से टैक्स की चोरी होती है। इसके लिये भी प्राविधान होना चाहिए कि म्युनिसिपल एरिया के अन्दर अगर रेलवे

प्रेमिसिस आ जाती हैं तो उसमें घुसने पर भी देनदार हो जाता है, इस पर भी विचार करें। टैक्सेज के रियलाइजेशन के अधिकार बहुत सीमित हैं म्युनिसिपल बोर्ड के। सरकार इस पर विचार करे। मैं सारे सेक्शंस को पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इतने उदाहरण इसलिए दिये कि इसकी परिधि बढ़ाने की आवश्यकता है।

मंत्री जी ने जो फाइनेंसेज के प्राविधान की बात कही तो मुझे हंसी आती है। उन्होंने चार प्वाइंट्स बताये। लेकिन आप देखें कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लगा हुआ था, उसी को लोग नहीं दे पाते, सरकार भूमि और भवन कर लेकर पहुंच गयी। किस खूबी से मजबूत किया है फाइनेन्सेज को। अगर बढ़ाना था तो लोकल बाडीज के रिप्रेजेन्टेटिव्स बढ़ाते। सरकार को कितनी जरूरत है पैसे की, वह दूसरी चीज हैं। सरकार को पैसे की जरूरत है इसलिये उसने म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्ध में बोर्ड के फाइनेंस पर हमला किया। हमारी पार्टी की तरफ से सुझाव दिये जाते हैं, मगर उन पर यह सरकार ध्यान नहीं देती। हमने सुझाव दिया कि इंटरटेनमेन्ट टैक्स, यदि पूरा नहीं तो १२ आने ही सही, म्युनिसिपल बोर्ड को दे दिया जाय। मोटर वेहिकिल्स टैक्स भी जितना आप उचित समझें वह उनको दे दें। यह सुझाव हमने दिये। इससे उनकी आर्थिक हालत अच्छी हो सकती है। मगर उन सुझावों पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं नहीं समझता कि फिर कैसे आप उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं। आपने इसलिये म्युनिसिपल बोर्ड की संख्या कम कर दी कि जातिवाद कम हो जाय। मगर हुआ क्या ? जातिवाद के बारे में मैं पहले एक बात कह चुका हूं, उसको फिर दोहराऊंगा नहीं, मगर उसकी सबसे बड़ी शिकार यह सरकार हुई है। जो बलवान और सेठ लोग हैं आज वही जीत कर आ जायेंगे। जो योग्य और ईमानदार हैं, वे जीत कर नहीं आ पायेंगे। इस तरह से आप तो प्रजातंत्र की जड़ ही काट रहे हैं। इस सरकार ने जो भी काम किये हैं वह अप्रजातांत्रिक हैं और सरकार को उस पर विचार करना चाहिये।

सस्पेंशन के बारे में भी मैं पहले ही अपनी बात कह चुका हूं। जो बातें मैंने कही हैं, सरकार को उन पर विचार करना चाहिये। इस बिल को अगर संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जायेगा तो मैं समझता हूं कि इसमें दो-तीन महीने का समय लग जायेगा, उससे पब्लिक को भी इस पर सोचने का अवसर मिल जायेगा। यह भी हो सकता है कि इस बीच पब्लिक के सुझाव सरकार के पास आ जायें और सरकार उन्हीं बातों को मान जाये। बाद को हो सकता है सरकार हमारी बातों को ही उचित मान ले। इसलिये मैंने इसमें इस बिल की परिधि भी बढ़ाने के लिये संशोधन रखा है। हमारा तो, श्रीमन्, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी ने इस बिल को पढ़ा नहीं है। अगर उन्होंने स्वयं इस विधेयक को पढ़ा होता तो कुछ दूसरा विधेयक ही हमारे सामने आता आज तो विधि ही ऐसी है कि ला डिपार्टमेन्ट जैसा विधेयक तैयार करके सामने रख देता है, मंत्री जी उसी को यहां रख देते हैं। जब मैंने इस विधेयक को कुछ लोगों को पढ़ने के लिये दिया तो उन्होंने यही कहा कि यह विधेयक अपूर्ण है। कुछ बातें इसमें छूट गयी हैं। उन्हें इसमें आना चाहिये। इसलिये मैंने बहुत सोच समझ कर अपना संशोधन रखा है। वैसे तो बहुमत के बल पर जैसा मंत्री जी चाहेंगे वैसा पास करा लेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है मंत्री जी इसकी परिधि बढ़ाने वाली बात को अवश्य मान लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन रखता हूं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माधोप्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, सरकार ने ५, ६ कारणों से इस विधेयक को पेश किया है, जैसा कि उसने उद्देश्य और कारण में कहा है। उनमें केवल इस बात को छोड़ कर कि सरकार सर्विसेज को प्राविंशियलाइज करने जा रही है जिससे उनका ट्रांसफर हो सके, बाकी में सरकार ने प्रजातंत्र में जो अधिकार बोर्ड को या चुने हुए व्यक्तियों को होने चाहियें, उनको समाप्त करने का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहा है, भले ही कहने के लिये वह कुछ भी कारण बतावें। पहला अधिकार

[श्री रक्षपालसिंह]

सरकार यह चाहती है कि धन के अभाव में नगरपालिका को सस्पेंड कर सके। पिछले दिनों में जो घटनायें घटी हैं उनका उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूं। केवल वही नगरपालिकायें सरकार द्वारा सस्पेंड हुई जिनके अध्यक्ष विरोध पक्ष के थे या जिनमें बहुमत विरोध पक्ष वालों का था। मिर्जापुर की नगरपालिका को इस सरकार ने एक ही टर्म में ३,३ बार सस्पेंड किया मगर हाईकोर्ट ने उसे बहाल कर दिया वहां के चेयरमैन, श्री भगवान दास जी बर्नवाल, जो विधायक भी हैं, को हाईकोर्ट ने फिर उस पद पर बैठाल दिया। सरकार कहती है कि वह आर्थिक स्थिति देखेगी और उसकी व्यवस्था वह नियमों द्वारा करेगी, ऐक्ट में उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। सरकार उन नियमों को कैसे लागू करेगी, यह सब अधिकार सरकार को होगा। वृन्दावन नगरपालिका में जनसंघ के १ या २ सदस्य कांग्रेस से ज्यादा थे। उनका बहुमत कम करने के लिये सरकार ने जनसंघ के सदस्यों का निलम्बन किया यद्यपि बाद में वे अपने स्थान पर रख दिये गये। सदस्यों को निकालने का अधिकार जो सरकार लेना चाहती है यह अप्रजातांत्रिक है और वहां अपने दल विशेष के लोगों को मजबूत करने के लिये सरकार यह अधिकार ले रही है।

सदस्यों की संख्या के बारे में अभी माधो बाबू ने कहा। विधान सभा में जहां डबल मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी थीं उन्हें सिंगिल मेम्बर कर दिया गया और नगरपालिका के बारे में उसका उलटा किया जा रहा है। जहां कोई २ मेम्बर की सीट हरिजन होने के कारण हो जाया करती थी और थोड़े पैसे में गरीब भी चुनाव लड़ देता था, वहां सरकार ने बड़ी वार्ड बना दी हैं। जिससे पैसे वाले ही चुनाव लड़ सकें। फतेहपुर में ही ८ की जगह वार्डों की संख्या ६ कर दी गई। इससे गरीब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा। यह इसलिये विरोध करने की बात है और इसमें परिवर्तन होना चाहिये।

सरकार को इस कानून के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था करनी होगी, जिसका थोड़े शब्दों में उल्लेख माधो बाबू ने भी किया, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और इस प्रकार के सभी टैक्सों का एक्सक्लूसिव राइट नगरपालिकाओं को होना चाहिये। भूमि-भवन-कर प्रदेशीय सरकार ने लगा दिया, ऐसे सेंटर भी लगा सकता है। ये अधिकार केवल नगर पालिकाओं को होना चाहिये वरना उनकी हालत नहीं सुधर सकेगी। नगरपालिकाओं में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स आदि ५,६ परसेंट लगा रहे हैं और उनके वसूल करने में दिक्कत होती है। भूमि और भवन-कर के विरोध में जनसंघ के काल पर सब जगह हड़तालें हुई और पान तक नहीं मिला। आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा। यह बतलाता है कि यह कर जनता की कमर तोड़ने वाला है और उसे वापिस लेना चाहिये।

इसमें खंड ८ के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार सरकार लेने जा रही है, इसमें बड़ा घपला होने वाला है। सेक्शन १३ (ए) बढ़ा कर सरकार ने व्यवस्था की है कि जब कभी चुनाव न हो सकें तो सरकार को अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार होगा जो हर हालत में बोर्ड समझा जावेगा। इसके द्वारा सरकार अपने हाकिम परगना और जिलाधीशों से काम कराना चाहती है और इसमें सरकार की नीयत ठीक नहीं मालूम होती है। निर्वाचित स्थानों पर सरकारी अधिकारियों को रखने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये।

मेम्बरों और चेयरमैन के चुनाव के बाद पेटीशन की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट जज के यहां है और सेक्शन २३ (ए) में सरकार ने डाइरेक्टर आफ इलेक्शन्स आफ लोकल बाडीज को यह अधिकार रखा है कि वह किसी पेटीशन को एक जज के यहां से दूसरे के यहां भेज दे। इसमें मेरी आशंका है कि राजनीतिक ढंग से प्रभाव डाला जा सकेगा। जज के यहां तो प्रभाव नहीं चलेगा लेकिन डाइरेक्टर महोदय मन्त्री जी के कहने से काम करेंगे। इसलिये जज के ऊपर अधिकार केवल हाई कोर्ट को ही रहना चाहिये कि जिला जजों के सुनवाई के खिलाफ ट्रान्सफर सम्बन्धी सुनवाई कर सके। डाइरेक्टर को यह अधिकार किसी प्रकार नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, माधव बाबू का यह सुझाव उचित ही है कि एम० एल० एज० को पदेन सदस्य होना चाहिये। बहुत-सी ऐसी नगरपालिकायें हैं जिनमें इस सदन का कोई सदस्य नहीं और उसके कारण हमें वहां की कुछ बात मालूम नहीं पड़ती है और वहां पर तमाम गोलमाल होता रहता है। अगर जिला परिषदों की तरह वहां भी सदन के सदस्य पदेन सदस्य होंगे तो वहां की सब बातों की भी हमें जानकारी हो सकेगी। महिलाओं के बारे में जो सुझाव दिया है वह भी बहुत अच्छा है। उनका नामीनेशन होना चाहिये। इसके अतिरिक्त हमारे यहां प्राइमरी शिक्षा के लिये नगरपालिकायें व्यवस्था करती हैं लेकिन शिशु शिक्षा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है जहां कि उनको आदर्श बच्चा बनाया जा सके। शिशुओं के लिये विभिन्न प्रकार की विदेशी संस्थायें हैं जो बच्चों को विदेशी सभ्यता के ढांचे में ढालती हैं। इसलिये शिशु शिक्षा के बारे में भी इस ऐक्ट में व्यवस्था होनी चाहिये। यह बिना विधेयक की परिधि को बढ़ाये नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा अभी सरकार ने जो नगरपालिकाओं के चुनाव स्थगित करने के बारे में नीति अपनाई है वह अप्रजातांत्रिक है। इसके अलावा भूमि भवन-कर का लगाना, महंगाई न रोक सकना, इन कारणों से सरकार के खिलाफ जनता में एक वातावरण बन गया है। इस कारण सरकार चुनावों को ६ महीने के लिये टालना चाहती है ताकि वातावरण ठंडा हो जाय। इनकी अन्दरूनी गुटबाजी से भी इसका सम्बन्ध है। इन्हें डर है कि उसके कारण कहीं ये चुनाव हार न जायं। इसीलिये बिना जनता को बताये सरकार ने चुनावों को स्थगित कर दिया जब कि सदन में यह कहा गया कि चुनावों के बारे में निर्णय लिया जायगा। यह जनतन्त्र के खिलाफ और एकपक्षीय फैसला है। नगरपालिका ऐक्ट की मियाद भी जून में समाप्त होने वाली है। फिर सरकार आर्डिनेन्स लायेगी, तब दूसरा बिल लायेगी। इसलिये क्योंकि इसी समय एक, दो दिन का समय बढ़ा कर दूसरा बिल इसके संशोधन करने के लिये ले आती है। मेरा यह भी सुझाव है कि नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के पास विधेयक को भेज दिया जाय ताकि दो महीने के अन्दर वे भी इस पर अपनी राय दे दें। यह इसकी परिधि बढ़ा कर ही किया जा सकेगा।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक ओर तो सदन में यह आश्वासन दिया कि हम इस पर अभी विचार कर रहे हैं लेकिन दूसरी ओर चुनावों को स्थगित कर दिया। इस बिल के बारे में ही सरकार क्या करने जा रही है। सरकार अपने बहुमत के आधार पर भले ही इसको पास करा ले लेकिन उसे लागू करने की ताकत आप में नहीं है, तो बेकार में सदन का समय भी व्यय होता है और रुपया भी खर्च होता है, उससे फायदा ही क्या है। अगर सही माने में आप कुछ चेंजेज करके प्रान्त की सेवा करना चाहते हैं तो उसको लागू करने के लिये आप में ताकत चाहिये, आप में हिम्मत चाहिये। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बजाय इसके कि बार-बार आपकी तरफ से यहां संशोधन लाये जायं, जो-जो भी संशोधन आप करना चाहते हैं उनको एक दफा ही कर लें। चुनाव तो आपने स्थगित कर ही दिया है, कानूनी तौर पर या गैर-कानूनी तौर पर। पिछले साल भी आपने यहां से एक संशोधन पास कराया कि ३० जून को चुनाव होगा और अब नया संशोधन ला रहे हैं और तीन, चार महीने के बाद फिर एक और नया संशोधन ला सकते हैं। तो आपको चाहिये कि जो भी सुझाव आपके हों उनको संशोधन के रूप में एक दफा हमारे सामने पेश कर दें और खुले तौर से इस बात का निश्चय कर लें कि दो, तीन साल तक आपको म्यूनिसिपैलिटीज के एलेक्शन्स नहीं करवाने हैं जब तक कि आपकी नीयत साफ न हो जाय और आप यह न समझ लें कि आपके पिट्ठू व आपके निजी आदमी उन पर काबिज हो जायेंगे। इस सदन का समय बड़ा कीमती है और अगर आप अपने मतलब के लिये इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसे एक दफा कर लीजिये। बार-बार एक-एक, दो-दो और छः छः महीने बाद आप नया संशोधन लाते चले जायेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

आज जो म्युनिसिपैलिटीज की हालत है वह सब को मालूम है। बार-बार यहां प्रश्न होते हैं और रोज-रोज मांग की जाती है लेकिन होता वही है जो आप चाहते हैं। पहले जब विचित्र भाई इस मुहकमे को सम्भाले थे तो उनके सामने सैकड़ों बातें रखी गईं और उनकी तरफ से आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता रहा लेकिन होकर कुछ नहीं आया। जब से आप इस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं उसके बाद ६–७ महीने में जो कुछ हुआ है उसे आप देख लें। आप सन्तुष्ट हैं कि इस मुहकमे में भ्रष्टाचार है, आप सन्तुष्ट हैं कि इस मुकहमे में बहुत बुराइयां हैं लेकिन आप अपने आपको कमजोर महसूस करते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको प्रवर समिति के हवाले कर दें और साल दो साल के बाद निश्चित रूप से इसको एक नया रूप देकर नये रूप में सदन के सामने रखें ताकि जो-जो जरूरतें आपकी हैं, जो-जो सुरक्षा आप चाहते हैं वह एक दफा तय हो जाय ताकि आगे चल कर किसी तरह की दिक्कत न हो। आप इसके बारे में भी सोचें कि जो म्यूनिसिपैलिटीज आप से बार-बार कर्जा लेती हैं और उस कर्जे का वहां अपव्यय है और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर क्या हालत होगी। आप बाजऔकात यह कह देते हैं कि यह हमारे हाथ में नहीं है, हमने रुपया दे दिया, वे जिस तरह से चाहें उसे व्यय करें। यह लोगल इम्पार्टेन्स का सवाल है।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, शहर के जो एम० एल०ए० हैं उनको अपने यहां से सम्बन्धित म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर जरूर समझा जाना चाहिये ताकि जो मुश्किलात हैं म्युनिसिपैलिटीज की, उनका हल तलाश हो सके। जहां तक म्युनिसिपैलिटीज के फंड को बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाने की बात है वे जरूर उठाने चाहिये और नये-नये टैक्स लगाने के उपाय सोचना चाहिये लेकिन साथ ही साथ यह भी सोचना चाहिये कि म्युनिसिपैलिटीज अंधाधुंध ऐसे टैक्स न बढ़ावें जिसकी वजह से वहां की बिजनेस, वहां की दस्तकारी, वहां की इंडस्ट्रीज तबाह हो जायं जैसे मिसाल के तौर पर सहारनपुर म्युनिसिपैलिटी में तमाम जितनी वहां पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज हैं, स्टार पेपर मिल आदि उनको छूट दिलायी है। जितनी वहां पर इंडस्ट्रीज हैं कपड़ा, शुगर, मशीनरी आदि की सब पर अंधाधुंध टैक्स लगाने की आपने इजाजत दे रखी है और अगर शिकायत की जाती है तो हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने कह दिया कि जाकर अध्यक्ष से बात करो। हमारे यहां लाखों रुपया इसी तरह रिश्वत में गया। सिगरेट फैक्ट्री का ताल्लुक हमारे यहां के एक नेता से था लाखों मन डस्ट सालाना जो निकलती है उसका सौदा करवाया। ३, ४ साल के अन्दर उस पार्टी ने बेइन्तहा बेईमानी की उसके बाद वह असन्तुष्ट हुए सिगरेट फैक्ट्री वाले कि हम इनसे व्यापार नहीं करेंगे। सरकारी दबाव पड़ा लेकिन वह तैयार नहीं हुए। इसी तरह से दूसरी इंडस्ट्रीज से लिया जाता है तो आपके पास शिकायत आयी लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया।

इसी तरह से जितनी सड़कें बनीं जिले में २, ४ साल में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो ६ महीने में रिपेयर न हुई हो। लेकिन आपके पास कोई कानून नहीं है, आपका कोई इत्मीनान का आदमी नहीं है जो जाकर देखे कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। झांसी म्युनिसपैलिटी के चेयरमैन के बारे में सेशन कोर्ट के अन्दर मुकदमा चल रहा है भ्रष्टाचार और गबन का लेकिन आपने उसको वापस ले लिया और उस अध्यक्ष को अलग करने के बाद आपने फिर नियुक्त कर दिया। मुकदमा चलता रहा लेकिन दबाव दे कर आपने मुकदमा वापस करवाया। जैसा पहले मैंने कहा आपको जो करना है जो भरकर कर लीजिये, हमको तो किसी तरह जीना ही है, जी लेंगे। लेकिन सरकार के आदमियों का पेट भरना चाहिये। तो मैं कहना चाहता हूं कोई जल्दी नहीं इस बिल को, क्योंकि ६ महीने में जो बिल बना था उस पर स्वयं कुठाराघात किया आपने। आप जो-जो बिल हमारे सामने लाये हैं उसको पास तो करा लेंगे मैजोरिटी के बल पर, लेकिन अगर हारते हुए नजर आये तो कुर्सी के सामने प्रार्थना करेंगे कि हाउस एडजर्न कर दिया जाय। १५ तारीख को इसी तरह जान बची। तो मैं चाहता हूं कि सरकार एक दफा निश्चित कर ले कि क्या करना चाहती है और उसके बाद जिस तरह का प्रस्ताव हमारे सामने रखें हम उसके अन्दर अपनी बुराई भलाई देखने के बाद मैदान में जम कर खड़े तो हो सकते हैं। लेकिन यह तो आये

दिन जो तलवार लटकी रहती है इसने तो हमें जाल में फंसाकर सत्यानाश कर दिया। इसलिये आप एक लम्बा समय दे दीजिये ताकि यह बिल सही रूप में आपकी मर्जी के मुताबिक बन जाना चाहिये और उसके बाद आप भी संतोष से बैठें और हम भी संतोष से बैठें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और इसलिये कर रहा हूं कि बहुत दिनों के बाद आज सरकार इस ऐक्ट में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रही है। जैसा मन्त्री जी ने कहा कई बार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हम व्यापक पैमाने पर इस ऐक्ट में संशोधन करना चाहते हैं लेकिन जो बातें संशोधन में दी गयी हैं उससे उन बातों की पूर्ति नहीं होती जिनकी हम सब लोग आशा करते थे। श्रीमान् जी, हालत यह है कि म्युनिसिपैलिटियों की दशा आज इतनी खराब है और उसी खराबी का नतीजा यह होता है कि आये दिन सरकार को कहीं-कहीं पर म्युनिसिपैलिटीज को भंग करना पड़ता है और अपने हाथ में अधिकार लेना पड़ता है। पर अगर म्युनिसिपैलिटी की आर्थिक हालत खराब है और अनियमितताओं से काम हो रहा है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं होती। सरकार को चाहिये कि वह म्युनिसिपैलिटियों की जो आर्थिक हालत है उस पर विचार करे क्योंकि उसके अन्दर जो रहने वाली जनता है, उसकी जो कठिनाइयां हैं और उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिये जैसे पानी की, रोशनी की, सड़कों की और इन सब के अलावा शिक्षा की, वह उसे प्राप्त नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर गौर करेंगे। अक्सर म्युनिसिपैलिटियों में गबन भी हो जाते हैं। इन सब बातों पर सरकार को गौर करना चाहिये।

(इस समय १ बज कर ५३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

एक समस्या सफाई मजदूरों की है कि उनसे कितने घंटे काम लिया जाता है। उनकी तनख्वाहें क्या हैं, उनका रहन-सहन क्या है। उनके रहने के लिये जो सरकार अनुदान देती है उसकी क्या दशा है। मेरा ऐसा ख्याल है कि ज्यादातर म्युनिसिपैलिटीज ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। सरकार से अनुदान लेने के बाद जो मकान सफाई मजदूरों के लिये बनाने थे वे नहीं बनाये गये बल्कि उस रुपये को दूसरी मदों में खर्च कर दिया गया।

दूसरी समस्या, जैसा मैंने कहा, शिक्षा की है। वह भी बहुत जटिल है। आज शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। हर वर्ष जुलाई के महीने में स्कूलों में भर्ती की समस्या खड़ी हो जाती है। उनके जो टीचर्स हैं न तो उनके रहने का कोई प्रबन्ध है और तनख्वाहें बहुत कम हैं। उनकी जो आवश्यकतायें हैं वे भी एक समस्या है और मैं समझता था कि उनका भी समाधान होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिये आवश्यकता है कि इसकी परिधि को बढ़ाने का अधिकार भी उस समिति को दे दें जैसा कि माननीय माधो प्रसाद त्रिपाठी जी का संशोधन है।

माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि चुनाव ३० जून के पहले करा देंगे। दुर्भाग्य से मैं भी उसका शिकार हो गया और शिकार इसलिये हो गया कि ६ तारीख सरकार ने तय की थी और फिर बदल कर अखबारों में एक स्टेटमेंट दिया कि ११ तारीख को नामिनेशन पेपर दाखिल होंगे लेकिन उसमें पहला काम जो सरकार की तरफ से नोटीफिकेशन होना चाहिये था वह ६ तारीख के लिये भी और ११ तारीख के लिये भी नहीं किया गया था। अब अखबारों में जो बयान निकला उससे शंका होना जरूरी था कि चुनाव म्युनिसिपैलटियों में नहीं होंगे। उन तथ्यों के आधार पर मैंने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से चीफ मिनिस्टर से पूछा था कि चुनाव टलेंगे या नहीं टलेंगे। अगर आपकी मंशा टालने की हो तो दुविधा में न रख कर सितम्बर या अक्तूबर में करा लिये जायें। उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे। फिर हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने लिख कर दिया लेकिन कल यहां पर स्टेटमेंट दिया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने ऐसा किया है।

[श्री ऊदल]

मेरे कहने की मंशा तो सिर्फ यह है कि दुविधा में इस चीज को क्यों रखा जा रहा है ? जनता को नहीं बतलाया जा रहा है, गजट नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। सरकार को यह स्टेटमेंट डेफिनिटली देना चाहिये कि वह चुनाव करायेगी या नहीं करायेगी। जो हमने लिख कर दिया था उसे वापस ले लिया और सारे अपोजीशन के लोगों ने लिख कर फिर दे दिया कि हम लोग चुनाव कराने के लिये तैयार हैं। मोहर्रम की बात भी मानने के लिये तैयार हैं। २८ तारीख को मोहर्रम खत्म होगा। विरोधी दल के सभी नेता और मैं स्वयं मंत्री जी के यहां हाजिर हुआ था और तय हुआ कि २९ जून तक चेयरमैन के इलेक्शन और तमाम म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हो जायेंगे। इसलिये मैं इस हाउस में उस पोजीशन को साफ कर देना चाहता हूं। इधर से इस बात को कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, खास कर मेरा नाम लिया गया, यह प्रस्ताव रखा था। मैंने सरकार की दुविधापूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रस्ताव को रखा था लेकिन सरकार ने गुमराह कर रखा है। इसलिये मैं अपनी जिम्मेदारी से हट जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में नहीं है।

श्री ऊदल--

इसी सम्बन्ध में है। अब मैं आता हूं चुनाव के सम्बन्ध में। म्युनिसिपल बोर्ड्स में डायरेक्ट इलेक्शन चेयरमैन का होता है। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें सरकार ने संशोधन कर के उसे इनडायरेक्ट कर दिया। सरकार प्रजातंत्र और जनतंत्र की दुहाई देती है। सरकार जो लोगों के अधिकार हैं उनको भी सीमित करना चाहती है और उनको सीमित करने के बाद भी सरकार की यह मंशा है कि हम ज्यादा से ज्यादा आदमियों को चेयरमैन बनवा दें। चाहे जिला परिषद् हो, चाहे म्युनिसिपल बोर्ड हो सब जगह इनडायरेक्ट चुनाव होने चाहिये।

मैं उदाहरण के लिये मंत्री महोदय के सामने एक बात रखना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री उस वक्त थे। सन् १९६२ से पहले जब जिला परिषद् ऐक्ट बनने वाला था तो बाबू सम्पूर्णानन्द जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने सब की मीटिंग की और कहा कि हम जिला परिषदों को संगठित करना चाहते हैं। उन्होंने बतलाया कि जो प्रमुख ब्लाक का होगा वह पदेन सदस्य जिला परिषद् का होगा और एक चुनाव हर ब्लाक से डायरेक्ट करायेंगे। वह प्रतिनिधि होगा जिला परिषद् का। लेकिन उनके चीफ मिनिस्टर पद से हटने के बाद ही जब यह सरकार आई तो जो फैसला उनके कमरे में बैठ कर हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। इस सरकार ने डायरेक्ट चुनाव के अधिकार को छीनकर अपने पक्ष में किया और उसी पर जिला परिषदों का गठन हो गया। केवल दो जिला परिषदें अपोजीशन के हाथ में हैं। कांग्रेस की फूट से एक जगह और शुद्ध रूप से दूसरे जगह एटा में विरोधी दलों के हाथ में दो जिला परिषदें हैं। और जिलों में उन्हीं के चेयरमैन हैं। वही हालत म्युनिसिपल बोर्ड की भी है। टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया में संशोधन नहीं किया गया है। वहां डायरेक्ट चुनाव होते हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस प्रश्न पर फिर से विचार करना चाहिये और सिलेक्ट कमेटी जो बनेगी उसमें परिधि बढ़ाने का अधिकार होना चाहिये। उसमें इसका कुछ न कुछ समाधान निकल सकेगा।

इसके अलावा आप देखें कि आय की जहां तक बात है और मंत्री जी ने भी उत्तर में उसके कारण दिये हैं, उस में उन्होंने कहा है कि इन स्थानीय इकाइयों की आर्थिक हालत खराब है। मैं भी मानता हूं कि वह बहुत खराब है लेकिन उस खराबी के लिये सरकार कम जिम्मेदार नहीं है। आप बराबर उन के अधिकार क्षेत्र में दखल देते हैं और आप के अधिकार क्षेत्र में कोई दखल देता है तो आप को बरदाश्त नहीं है। माननीय सदस्यों ने कहा कि भवन और भूमि-कर

आप ने लगाया और उनके अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार आप ने दखल दिया। अगर आप सच-मुच में उनकी आर्थिक दशा सुधारने के फेवर में हैं और हम समझते हैं कि आप के हृदय में उन की हमदर्दी कम नहीं है, हम से ज्यादा ही है और आप वाकई चाहते हैं कि उनकी माली हालत सुधरे, अगर आप यह भूमि और भवन-कर लगाने का अधिकार स्वयं न लेकर उन को ही देते और उनकी आय बढ़ाते और कहते कि यह १५ प्रतिशत कर लगाकर म्युनिसिपैलिटी की आय बढ़ाते तो कौन-सा पहाड़ टूट जाता कौन बहुत बड़ी आय आप की कम हो जाती ? वाटर टैक्स, हाउस टैक्स लगा है, वह उनको मिलता है लेकिन एन्टरटेनमेंट टैक्स, आय-कर, बिक्री-कर सब आप ले लेते हैं और उनको उसमें भाग नहीं देते। आप को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये, केवल यह कह कर आप बरी नहीं हो सकते कि उनकी आर्थिक हालत खराब है। मैं चाहता हूं कि आप वह रास्ता अपनायें कि जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे।

इसी तरह से चुंगी की समस्या है, वहां पर चोरी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, बहुत से तरीके वहां चोरी के हैं, हर तरह की तिकड़मबाजी होती है और जितने बड़े आदमी हैं वह उतनी ही ज्यादा तिकड़म करते हैं। चालबाजी कर के लोग चुंगी से बचते हैं। आप करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं बनारस कारपोरेशन के बारे में बताऊं कि वहां की सीमा बहुत बढ़ा दी गई है। वहां नदी से बहुत माल आता है, रात को नाव से लाद कर माल लाया जाता है और उसकी चुंगी नहीं दी जाती। कार वाले लोग कीमती सामान लाद कर लाते हैं। कहीं पर चुंगी कीमत पर ली जाती है कहीं पर तौल पर ली जाती है। यह क्या समाधान है ? इस पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करें और प्रवर समिति को उसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार दिया जाय, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। सन् १९१६ का यह कानून हो गया और ४०-५० साल का लम्बा समय बीत चुका और नई चीजें दुनियां में हो रही हैं इसलिये सोच समझकर इस में संशोधन किये जायं। मुजफ्फरनगर की कांधला तहसील में मैं गया २-३ घंटे के लिये अपने एक दोस्त के यहां, वहां की हालत मैंने देखी तमाम नालियों का ढाल नहीं है टूटी नालियां और सड़कें पड़ी हैं, कोई लोहे की गाड़िया मेहतरों के पास नहीं है गधों पर कूड़ा लाद कर ले जाया जाता है। नालियां बह रही हैं। आप को इन सब चीजों पर विचार करना पड़ेगा तभी आप म्युनिसिपैलिटीज की हालत को सुधार सकेंगे। मैं समझता हूं कि माल मंत्री का महकमा बहुत आसान है लेकिन इसका काम बहुत जटिल है और इस जटिल काम को आसान बनाना है। इतने मोटे-मोटे ऐक्ट, अंग्रेजों के बनाये हुए, जिन्हें न हम समझते हैं, न आप समझते हैं और न जनता समझती है, इनको ढोने की क्या आवश्यकता है। इसकी जगह पर अगर आप एक १०, २०, सेक्शन का सीधा सादा कानून बना कर एक नयी स्कीम दे देते उत्तर प्रदेश में तो मैं समझता हूं कि पूरा देश उसका अनुकरण करता। अगर आप ऐसा कर दें तो मैं समझता हूं कि जनता को बहुत कुछ राहत मिल सकती है।

एक बात आप ने बहुत अच्छी की कि वहां की सर्विसेज का प्रान्तीयकरण कर दिया। इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं और मैं आप को बधाई देता हूं।

अब जो म्युनिसिपैलिटीज का सस्पेंशन होता है उस में कहीं-कहीं गलती हो जाती है। हाथरस को ले लीजिये। वहां के सेक्रेटरी के ऊपर गबन के चार्जेज थे। ६ महीने पहले वह हटाया गया। पता नहीं क्यों आपने यह रस्ता अपनाया कि पी० ए० सी० को लेकर के आपने उस म्युनिसिपैलिटी को जब्त कर लिया और उस आदमी को जिसके खिलाफ गबन के चार्जेज थे आपने एग्जीक्यूटिव अफ़सर मुकर्रर कर दिया। यह बहुत गलत काम हो गया। इसलिये सस्पेन्शन वगैरह को थोड़ा पार्टी लेविल से ऊपर उठ कर आप देखा करिये क्योंकि यह काम सब से संबंधित है। ये सब बातें तभी हो सकती हैं जब आप परिधि बढ़ाने का अधिकार देंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। ४-६ महीने बैठकर इसमें आप और तरमीम कर लीजिये ताकि एक बार संशोधन हो जाय तो कम से कम दो-चार साल तो चले, आये दिन संशोधन तो न करना पड़े।

इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि आप मेरे परिधि बढ़ाने के निवेदन को स्वीकार करेंगे।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है और जिस रूप में माननीय त्रिपाठी जी का संशोधन है, मैं उस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें बहुत सी चीजें हैं, उनके लिये मंत्री जी को बधाई देना चाहिये। अब तक म्युनिसिपैलिटीज का काम बेढब तरीके का रहा है, रोज एन क्रोचमेंट क मुकदमें होते थे और पब्लिक परेशान होती थी। सब से बड़ी चीज इसमें मास्टर प्लान को इंट्रोड्यूस करने की की गई है। मंत्री जी ने यह बहुत अच्छा काम किया है।

दूसरी चीज यह है कि अब तक म्युनिसिपैलिटीज के एक्जीक्यूटिव आफिसर्स तथा अन्य बड़े आफिसर्स अपनी मोनोपोली बनाये हुये थे और अपनी जिन्दगी यहीं से शुरू करते थे और खत्म होने तक इसके मालिक बने रहते थे और पार्टीबंदी करके अपना कब्जा बनाये रखते थे। इसलिये जरूरी था कि नियमों में परिवर्तन किया जाय और इनकी सर्विसेज ट्रांसफरेबिल होनी चाहिये जिससे किसी की मोनोपोली न रहे। शिक्षा के संबंध में यह है कि इसका काम बहुत बढ़ रहा है और स्कूलों की तादाद बहुत कम है, बिल्डिंग्स की हालत खराब है और टीचर्स की ट्रेनिंग का कोई इंतजाम नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि म्युनिसिपल स्कूलों में एजूकेशन का स्टैंडर्ड गिर रहा है। इस को ठीक करने का उपाय होना चाहिये। इसके लिये इस विधेयक में कुछ नहीं किया गया है।

जहां तक सफाई का सवाल है बड़ी म्युनिसिपैलिटीज में तो कारपोरेशन कर दिया गया है लेकिन छोटी म्युनिसिपैलिटीज में भंगियों की हालत बहुत खराब है आजकल मेहतर जो गंदा काम कर रहा है, हो सकता है कि उसमें चेतना आ जाय और उस काम को करना बंद कर दे। उस आंदोलन का आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। म्युनिसिपैलिटीज की तरफ से चाहे लोन देने का इंतजाम कर दिया जाय लेकिन मकानों में फ्लश लैटरिन्स होने चाहिये।

मंत्री जी ने यह भी बताया कि बोर्डों की हालत बहुत खराब है। इस प्रकार का प्राविधान होना चाहिय जिससे म्युनिसिपैलिटीज का काम ठीक तरह से हो। लेकिन जो सुझाव यहां दिया गया है उस से मैं समझता हूं और मुझे शुबहा है कि आप को उस में सफलता नहीं मिल सकेगी। पहला कारण यह है कि जो ट्रैफिक बाहर जाता है उस पर चुंगी वापसी का कोई इंतजाम नहीं है इससे बड़ी गड़बड़ी होती है। नतीजा यह होता है कि बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज जो पहले सम्पन्न थीं, आज उनकी हालत गिरती जा रही है। तीसरी चीज यह है कि जो चुंगी वगैरह है, अधिकारीगण खुद खा जाते हैं। इसके अन्दर वह कार्यवाही होनी चाहिए जिससे जितनी चुंगी मिले वह म्युनिसिपैलिटीज के खजाने में जाय।

उसके बाद यह भी देखा जा रहा है कि म्युनिसिपैलिटीज को भूमि, भवन-कर लेने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया। नतीजा यह हुआ कि भूमि भवन-कर के अन्दर १५ परसेन्ट लगाया गया है उसका कम से कम ५० परसेंट दिया होता तो एक बात समझ में आती। म्युनिसिपैलिटीज का जो मेन सोर्स रहा है भूमि भवन कर अगर उस को सरकार खुद ले लेगी, और सिर्फ पांच परसेंट वसूली के लिए देगी तो आप किस हालत में म्युनिसिपैलिटीज को छोड़ रहे हैं। सारा रुपया आप की जेब में जा रहा है। अगर सरकार खुद ही सारा रुपया ले लेगी तो म्युनिसिपलिटीज के पास रह क्या जायगा? मेरा सुझाव यह है कि भूमि भवन कर का सारा रुपया म्युनिसिपलिटीज को देना चाहिये।

उसके बाद यह देखा जा रहा है कि एक प्रवृत्ति इस सरकार की बढ़ती जा रही है। वह है सजा देना। पहले जो कानून था उसमें दंड की व्यवस्था शेड्युल ८ में थी। अगर आक्ट्राय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का इवेजन हो तो उसमें पांच रुपया जुरमाना या आक्ट्राय का दस गुना, इसमें जो ज्यादा हो वह वसूल होगा। २१३ में यह दिया है कि ट्री कटिंग या बिल्डिंग आपरेशंस में गलत बात की हो तो ५० रुपया जुरमाना, और पांच रुपया हर दिन के लिए अगर आफेंस कंटीन्यू करता है। लेकिन मौजूदा जो कानून बनाया जा रहा है, उसमें और भी इस तरह की बातें हैं, जैसे यह है कि कोई भी इंट्री इन प्रापर्टी में रिपोर्ट करने में गड़बड़ी करे, या बिल्डिंग का आल्टरेशन करे या नई बिल्डिंग बनाये, उसमें पचास रुपये जुरमाना या टैक्स तीन महीने का, उसका दस गुना इस तरीके पर एक परिपाटी हमारी सरकार ने बना लिया है कि सिर्फ जुरमाना और डंडे के बल पर शासन करे। आप का सजा और जुरमाने की ओर इतना ध्यान नहीं जाना चाहिए आप को खोज करनी चाहिए कि वाकई जो दिक्कत हो रही है, जो उनकी हालत गिरती जा रही है उस की तह में क्या चीज है। उस को पकड़ना चाहिए कि यह आफेंस क्यों हो रहा है।

दूसरी चीज यह है कि जुरमाना जो आप वसूल करते हैं सारा सरकार ले लेती है। तो मेरा अनुरोध है कि जुरमाना म्युनिसिपैलिटीज के कोष में जाना चाहिए ताकि म्युनिसिपैलिटीज की हालत सुधर सके वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

निर्वाचन प्रणाली का जहां तक सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार ने हर जगह डबल कांस्टीट्यूएंसी को सिंगिल कर दिया है और यहां पर हम देख रहे हैं कि वह परिपाटी जो पुरानी चली आ रही थी कि एक-एक वार्ड से तीन-तीन, चार-चार आदमी उठते थे वह अभी तक चली आ रही है। तो मैं समझता हूं कि चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे असेम्बली हो, चाहे टाउन एरिया हो, प्रत्येक के एलेक्शन में एक नीति सब जगह होनी चाहिए। जैसा कि पार्लियामेंट ने माना भी है सिंगिल कांस्टीट्यूएंसी हर जगह होनी चाहिए डबल कांस्टीट्यूएंसी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा-सा एरिया रहेगा और उससे मेम्बर चुने जायेंगे तो खर्च घटेगा और और बहुत-सी दिक्कतों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छे आदमी चुनकर आ सकेंगे। अगर डबल या ट्रिपिल मेम्बर्स की कांस्टीट्युएंसी बना रहे हैं तो उससे ग्रुपिज्म फैलेगा और बड़े आदमी ही एलेक्शन लड़ सकेंगे। गरीब आदमी अगर अच्छा वर्कर भी है तो भी वह चुनकर नहीं आ सकेगा। दूसरी चीज---एलेक्शन पेटीशन की हालत जो है वह भी बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा कर रही है। वह भी दिन ब दिन खर्चीली होती जा रही है। जैसे कि पंचायतों में हम लोगों ने एलेक्शन पेटीशन का इंतजाम किया था, हमें कोशिश यह करनी चाहिये कि बिला किसी कोर्ट फीस के जजेज को आप रख दें कि जज के यहां लोग एलेक्शन पेटीशन दाखिल करें और वह फैसला कर दे। अगर आप इसे खर्चीला बना देंगे तो नतीजा यह होगा कि गरीब आदमी अगर किसी तरह से चुन भी लिया गया तो उसे उस जगह से हटना पड़ेगा। इसलिये जब कि हर एक को राइट है एलेक्शन पेटीशन दाखिल करने का तो उसमें आप रोड़ा न लगावें। उसको ज्यादा खर्चीला न बनावें, कोर्ट फीस इतनी न रखें कि कोई एलेक्शन पेटीशन न दाखिल कर सके। एलेक्शन पेटीशन के फैसले में बड़ी देर लगती है। तो उसमें आप को यह कोशिश भी करनी चाहिए कि जितनी जल्दी फैसला इस का हो सके वह होना चाहिए।

इसके बाद जहां तक प्रेसीडेंट्स का सवाल है, उनका चुनाव डाइरेक्ट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पहले प्रेसीडेंट का डाइरेक्ट चुनाव होता था और मैं समझता हूं कि वह अच्छी चीज थी, जो आदमी डाइरेक्ट चुनाव से आता है उसमें हरएक का कान्फिडेंस होता है। लेकिन यहां तो सरकार दूसरी तरह सोचती है कि एक बार प्रतिनिधि चुनकर आ गये तो वह जिसको चुनेंगे वह सर्वसम्मत होगा। यह नीति मेरी समझ से अच्छी नहीं है और सरकार को प्रेसीडेंट का एलेक्शन कम से कम डाइरेक्ट जरूर करना चाहिए जैसा कि बराबर होता रहा है।

एक बात हम लोग देख रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटीज के पास पैसा नहीं है कि वह अपनी सड़कों वगैरह के काम कर सकें और सड़कों में एन्क्रोचमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। जब सरकार से ये लोन लेती है तो लोन अदा करने या इन्टरेस्ट पे करने की भी स्थिति इनकी नहीं

[श्री कमलासिंह यादव]

रहती। वाटर सप्लाई स्कीम कोई कायम करना चाहे तो उसके सामने भी एक कठिनाई है और वह यह है कि अरबन एरिया और रूरल एरिया में जहां पर टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया चलती है उसके बारे में मन्त्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह टाउन एरिया जो कागज पर अरबन एरिया है लेकिन वास्तव में वहां के रहने वाले तीन चौथाई एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो उन को भी सहायता दी जाय यानी तीन चौथाई जल वितरण की इमदाद उनको दी जायगी तो वह भी प्रफुल्लित होंगे। इस तरीके से सरकार को चाहिये कि जितनी सहायता उनको दे सके उतनी दी जाय। जो पावर म्युनिसिपल बोर्ड की है उनको आप लेने की कोशिश न करें बल्कि कोशिश इस बात की करें कि म्युनिसिपल बोर्ड खुद अपने टैक्स, जिन पर उन को अधिकार है, लगा कर अपनी ताकत बढ़ायें और उनकी जितनी योजनायें हैं उनकी सफलता के लिये काम करें तो मैं समझता हूं ज्यादा सुन्दर होगा। जो विधेयक जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसके लिये मैं डिटेल में न जा कर जो खामियां हैं उनकी तरफ ही मैंने ध्यान आकर्षित कराया है। अगर उस प्रकार से इसमें संशोधन किया जा सके और उसके लिये प्रयत्न हो सके तो यह सुचारुरूप से चल सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माधो प्रसाद जी त्रिपाठी के संशोधन के प्रति अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने यह अच्छा किया कि आज यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया परन्तु जिस रूप में आपने यह प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया है उस रूप में यह कहा जा सकता है कि जैसा माधो प्रसाद त्रिपाठी जी ने बतलाया कि प्रस्ताव सेक्रेटेरियट से बन कर आते हैं और यहां पर मन्त्री जी के द्वारा पेश कर दिये जाते हैं ताकि वहां पर उनको दुरुस्त किया जा सके। जैसा इस पर अभी माननीय सदस्य ने प्रकाश डाला है इसमें और भी खामियां हैं। उनको दूर करने के लिये इसकी परिधि को यदि नहीं बढ़ाया गया तो फिर बाद में संशोधन करने की आवश्यता पड़ेगी। तो मंत्री जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि यदि परिधि की उचित मांग है तो आप को मानने में कष्ट नहीं होना चाहिये।

मन्त्री जी ने बतलाया कि बहुत से म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड हो जाते हैं उनकी माली हालत खराब हो जाने की वजह से। मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं अक्सर होती है। मन्त्री जी जानते होंगे कि मिर्जापुर और फैजाबाद की म्युनिसिपैलिटीज को सुपरसीड किया गया जहां पर दूसरे कारण थे। वहां पर दूसरे दल का प्रभाव था। सरकार दलगत भावना के आधार पर उनको सुपरसीड करती है। ऐसी बात नहीं होती है कि उनकी माली हालत खराब हो जाती है।

दूसरी बात बतलाई कि वार्ड की सीमा बढ़ा दी गई है। वोटरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है क्योंकि जातिवाद का वहां पर अधिक प्रभाव होता था। मन्त्री जी अगर ध्यान से देखेंगे तो मालूम होगा कि जिन वार्ड्स की सीमा बढ़ा दी गई है उनमें कौन से व्यक्ति चुनकर गये थे, वह किसी जातीयता के आधार पर नहीं गये थे। मंत्री महोदय उनकी सीमाओं को इसलिये बढ़ा रहे हैं कि उनको उनके दल के लोगों ने सुझाव दिया है कि अगर इस तरह से वार्ड्स की सीमायें बढ़ा दी जायं तो संभव है कि उनके दल के लोग अधिक संख्या में सफल हो जायं। पहले वार्ड्स छोटे होते थे और छोटी हैसियत के लोग भी उसमें चुनकर आ जाते थे। अब वार्ड्स बढ़ा देने के बाद ऐसे लोग ही आ पायेंगे कि जो काफी पैसा खर्च कर सकें। इसलिये वार्ड्स बढ़ाने की बात न्यायसंगत नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे, प्रेसीडेंट्स का डायरेक्ट एलेक्शन होने की बात है। पहले यह होता था, लेकिन जब सरकार ने देखा कि उसके दल के आदमी नहीं पहुंच पाते हैं तो इन्डाइरेक्ट एलेक्शन का तरीका अपनाया गया। एक व्यक्ति इसमें कुछ लोगों पर अपना प्रभाव जमा लेता है और फिर अपनी मनमानी करता है। इससे पार्टीबाजी बढ़ती है और म्युनिसिपैलिटी में विकास कार्य ठीक से नहीं हो पाता। इसमें सरकार को सुधार करना चाहिये और चेयरमैन के लिये डाइरेक्ट एलेक्शन की पद्धति अपनानी चाहिये।

कमलासिंह जी तथा रक्षपाल सिंह जी ने जो खामियां बतलायीं, उनके अलावा एक बात यह है कि अपील में कुल रुपया जमा करने के बाद अपील करने की बात रखी गयी है। जिला परिषद् विधेयक में है कि अगर कर का आधा रुपया जमा कर दिया जाय तो अपील की जा सकती है। इसी प्रकार की व्यवस्था इस विधेयक में भी होनी चाहिये। आशा है संयुक्त प्रवर समिति इस पर विचार कर के इस सुझाव को स्वीकार कर लेगी।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय माधो प्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माधोप्रसाद जी ने जो परिधि बढ़ाने का संशोधन रखा है उसके समर्थन में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। मैं किसान भी हूं और आप की पोलें भी जानता हूं। शर्मा जी ने बहुत सोच समझ कर ही इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है और यह समझदार मंत्रियों का ही काम है। लेकिन और समझदारी तब हो जब इसकी परिधि बढ़ाई जाय और अच्छी तरह से विचार किया जाय। मैं तो इस विधेयक को देख कर बड़े ताज्जुब में रह गया कि सारा विधेयक अंग्रेजी में है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह भी हिन्दी में है।

श्री लखीसिंह--

इसमें तो सब खिचड़ी हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा संशोधन तो यही होना चाहिये आइंदा नगरपालिका का विधेयक हिन्दी में आना चाहिये। मेरे क्षेत्र में भी एक नगरपालिका है कोसी कलां। जिले मथुरा में तो तीन हैं--मथुरा, वृन्दाबन और कोसी कलां। इनकी बड़ी दयनीय दशा है। सरकार की नीति से इनकी दशा बड़ी खराब हो रही है। सरकार उनको अधिकार तो देना नहीं चाहती। सोशलिस्ट पार्टी ने बताया है चौखम्भा की नीति जब तक अख्तियार नहीं की जायगी तब तक काम नहीं चलेगा। यह मैं मान लेता हूं कि आपने पचखंभा किया है, ब्लाक के आंकड़े और बना डाले, उससे कुछ होता हवाता नहीं है।

सन् १९४८ में जिला बोर्डों के चुनाव हुए, नगरपालिकाओं के भी। कांग्रेसी बेचारे जो कई-कई बार जेल गये थे वह कामयाब हो गये चेयरमैनी के चुनाव में, क्योंकि जो मतदाता थे उनमें ज्यादातर ऐसे थे जो इनकम टैक्स देते थे, बालिग मताधिकार तो था नहीं। लेकिन अब तो २१ साला वोटिंग होगा। तो ऐसा संशोधन करना चाहिये कि जो चेयरमैन बने वह २१ साला वोटिंग से आवे, उनके मत से आवे। नहीं तो ये मेम्बर तो खरीद लिये जाते हैं। नगरपालिका का चुनाव चुनाव ही नहीं रह गया है। सौदा करने के लिए बीच में अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता है। तो तुम संशोधन में इसको उलट डालो कि चुनाव बिलकुल प्रत्यक्ष होना चाहिये, अप्रत्यक्ष नहीं। अब तो मानोगे कि किसान की बात कितनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

बारीकी की है जो हमने बता डाली आपको । अगर नहीं मानोगे तो हमारा क्या कसूर है ? कांग्रेस का ही चेयरमैन नहीं हो, और भी जो अच्छी पार्टियां हैं जो देश के ऊपर लड़ी और मरी हैं और अंग्रेजों को भगाया है उनका भी चेयरमैन बन जाय तो क्या नुकसान है ? कब तक टालोगे चुनाव को । अक्तूबर से थोड़े ही बचोगे ? अक्तूबर या नवम्बर में टालने से बचत नहीं होगी ।

आज आपके अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं हैं । डाक्टर और कम्पाउन्डर पानी दे दिया करते हैं । उनके टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा तो सरकार के हाथ में रहता है । उनको कोई अधिकार ही नहीं है । फिर वह किस तरह से अपना काम चला सकते हैं । मेरा निवेदन है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये । मथुरा नगरपालिका में हमें तमाम शिकायतें मिलती हैं । वहां पर चौथी श्रेणी के जो कर्मचारी काम करते हैं वे २०-२० साल की मेहनत के बाद भी अस्थायी ही रहते हैं । मेहतर, भिश्ती तथा चपरासी २०-२० साल तक सेवा करने के बाद भी स्थायी नहीं होते । जब वहां का अध्यक्ष चाहता है उनको निकाल बाहर करता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस विधेयक में यह जोड़ दिया जाना चाहिये कि छोटे छोटे कर्मचारियों को स्थायी किया जाय ।

मथुरा सबसे बड़ी नगरपालिका है । वहां पर पानी तक का प्रबन्ध नहीं है । जहां तक उसकी सीमा है, वहां तक पानी का प्रबन्ध नहीं है । छोटे-छोटे हैन्ड पम्प लगा दिये हैं, उन्हीं से लोग पानी पीते हैं । सिविल लाइन में भी पानी का इन्तजाम नहीं है । न मालूम यह टैक्स कहां जाता है । सरकार ने जो भूमि और भवन कर लगाया है उसका हमने घोर विरोध किया है । सरकार को अगर यह टैक्स लगाना ही था तो बड़े-बड़े भवनों पर लगाती । मगर सरकार ने तो छोटी-छोटी झोपड़ी तथा खंडहरों पर टैक्स लगाया है । इससे लोगों में बहुत बेचैनी है । मैं कहता हूं कि इसी के कारण अगली बार यह कांग्रेस सरकार नहीं आ पायेगी और कांग्रेस को हार खानी पड़ेगी । एक कांग्रेसी भी लौट कर नहीं आ पायेगा । पी० सी० सी० के चुनावों में झगड़ा पड़ गया और उनको इसकी याद नहीं रही और मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि चुनाव हो जायं । लेकिन फिर बाद में खयाल आया । सोचा कि बैलों की जोड़ी का चिन्ह अगर हटाया तो उसके बदले में कुछ तो होना ही चाहिये, गदहा, बकरा, भेड़ा ।

इसलिये आपके द्वारा मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक की परिधि को इतना बढ़ाया जाय जिसमें माननीय माधो प्रसाद जी के सब सुझाव आ जायं । आशा है मंत्री जी इसको मान लेंगे ।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस म्युनिसिपैलिटी संशोधन विधेयक का स्वागत करते हुए जो प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का पेश हुआ है, उसका स्वागत करता हूं । वास्तव में इस संशोधन विधेयक के द्वारा म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की बहुत सी कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है मिसाल के तौर पर बिल्डिंग की परिभाषा पर काफी झगड़ा होता था उसको काफी विस्तार के साथ कर दिया गया है और आशा की जाती है कि जो झगड़े होते थे वह कम हो जायेंगे ।

इसी प्रकार से आर्थिक व्यवस्था ठीक रखने का कर्त्तव्य उनका रख दिया गया है वह तो ठीक ही किया है और हरिजनों और पिछड़ी जाति के सुधार के लिये सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिये जो कुछ किया गया है, वह मुनासिब बात है । आपने इसके अन्दर इलेक्शन बाडीज तथा ट्रिबुनल की व्यवस्था की, वह यद्यपि एक अच्छा कदम है, लेकिन हाल्टिंग कदम है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसमें कहा गया है कि म्युनिसिपैलिटीज की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन यह उनके पास साधनों की कमी की वजह से नहीं है लेकिन मेरा निजी तजुरबा है कि वह असेसमेंट की पद्धति और उनको वसूल करने की पद्धति में जो खराबी है उसकी वजह से है। म्युनिसिपैलिटीज के अधिकारी हाउस और वाटर टैक्स का असेसमेंट करते हैं लेकिन उस पर जो ऐतराजात होते हैं वह म्युनिसिपल कमेटी सुनती है। इसका नतीजा यह होता है कि असेसमेंट बहुत नीचा कर दिया जाता है। मैंने स्वयं इसको देखा है कि जब आब्जेक्शन कमेटी के सामने जाते हैं तो असेसमेंट आधे के कम कर दिया जाता है। मैंने जब एक आफीसर से इसके बारे में जवाब तलब किया कि उसने क्यों असेसमेंट कम किया। मेरे पास आज तक वह जवाब रखा है उसने साफ तौर पर कहा है कि मेरा असेसमेंट ९९ परसेंट ठीक है लेकिन आपके मेम्बर ने जिनको आगे फिर उस क्षेत्र से चुन कर आने की सम्भावना है, फेवरिटिज्म करके उस असेसमेंट को नीचे करा दिया। मुझे खुद भी एक असेसमेंट कमेटी में बैठने का मौका मिला है गोकि मैं उसका मेम्बर नहीं था, ऐसे ही बैठ गया था। वहां एक असेसी से एक कमेटी के सदस्य ने पूछा कि तुम्हारी दूकान कितने रूपये किराये पर उठी हुई है, तो उसने कहा कि २० रु० महीने पर। इस पर उसी वार्ड के संबंधित मेम्बर ने कहा कि नहीं, इसको मालूम नहीं है, वह दुकान तो १० रु० महीने किराये पर है और इस तरह से २० रुपये के बजाय १० रुपये किराये पर उस दुकान का असेसमेंट हो गया और इस तरह से उस पर कम टैक्स ही बंध सका। मेरा खयाल है कि अगर सही असेसमेंट किया जाय तो टैक्स से दुगुनी तिगुनी आमदनी हो सकती है और म्युनिसिपैलिटीज की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो सकती है।

दूसरी खराबी जो मैंने म्युनिसिपैलिटीज के कामों में देखी वह इनक्रोचमेंट की है। आये दिन नजूल, सरकारी लैन्ड एवं म्युनिसिपल बोर्डस् की लैन्ड को भी लोग दबाते चले जा रहे हैं और आज तमाम मुकदमे कोर्ट में दायर होते हैं। म्युनिसिपल बोर्डस् उनमें कामयाब भी होती है लेकिन कामयाब होने के बाद भी मेम्बरान उन मिसिलों को प्रेसीडेंट से कह कर दबवा देते हैं। इस किस्म की हजारों, सैकड़ों मिसिलें आज भी तीन-तीन साल से कोल्ड स्टोरेज में दबी पड़ी है। अगर असेसमेंट की स्थिति ठीक हो जाय और इनक्रोचमेंट के मुताल्लिक स्पष्ट जिम्मेदारी रख दी जाय तो म्युनिसिपल बोर्डस् की बहुत कुछ दुरुस्ती हो सकती है।

तीसरी बात यह है कि आज म्युनिसिपल बोर्डस् भी राजनीतिज्ञों व पार्टीबाजी का अखाड़ा बनी हुई हैं। आज वहां पार्टीबाजी बड़े जोरों पर है। उसका कारण सीधा यह है कि वहां के एक्जीक्यूटिव आफिसर, सेक्रेटरीज, व दूसरे बड़े-बड़े आफिसर जिनको बोर्ड की दो तिहाई से कम मेजारिटी से नहीं निकाल सकते, वे वहीं के रहने वाले हैं अर वे उन पर हावी होते हैं। वे किसी न किसी तरह से मेम्बरों को खरीद कर अपने कब्जे में रखते हैं और इस तरह से अपनी सर्विस को सुरक्षित रखे हुये हैं। इसलिये भी जनता की तरफ से बार बार यह मांग की गयी है कि बोर्ड्स की इस किस्म की सर्विसेज का सेंट्रालाइजेशन किया जाय। मुझे याद है कि सन् ३७ में लोकलबाडीज के संबंध में एक कमेटी बनी थी और उसने अपनी कुछ सिफारिशें भी की थीं लेकिन आज २७ वर्ष हो गये, उन पर कोई भी ऐक्शन नहीं लिया गया, यह बड़े ही अफसोस की बात है। मैंने माना कि सेक्शन ६९ (बी) के अनुसार आप कुछ प्रबन्ध करने के लिये प्रयत्नशील हैं लेकिन उस सेक्शन के अन्तर्गत भी आप अपने हाथ में ही अधिकार लेना चाहते हैं। अगर उनकी सर्विसेज को प्रोविंशियलाइज कर दिया गया तो आज म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर जो राजनीतिज्ञों का अखाड़ा बना हुआ है वह कम हो जायगा और वहांका इन्तजाम भी ठीक हो जायगा। बड़े दुख की बात है कि जो सर्विस में हैं उनको तो आप दो तिहाई वोट होने पर ही निकाल सकते हैं लेकिन जो जनता द्वारा चुन कर प्रेसीडेंट आया है उसे आप मेजारिटी वोट से, १-२ वोट से निकाल सकते हैं। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि इस में भी तरमीम की जरूरत है।

जहां तक मुझे मालूम है, जब आप बहुत दिनों के बाद यह संशोधन विधेयक लाये हैं तो आपको चाहिये कि इसमें जो भी त्रुटियां हों उनको दूर करने की कोशिश करें और इसकी क्वालिटी को बढ़ावें अगर आवश्यक हो तो उसके लिये एक कमेटी बैठावें जो इस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे सके।

[श्री केशव गुप्त]

मुझे दुख है कि माननीय ऊदल जी ने कांधला म्युनिसिपैलिटी का जिक्र किया। मैं कहता हूं कि कांडला की म्युनिसिपैलिटी का इन्तजाम आप की सैकड़ों म्युनिसिपैलिटीज से बहुत सुन्दर है और उसने बहुत अच्छा काम किया है। वहां पर सुन्दर नालियां व सीमेंट की सड़कें हैं, १६ हजार की आबादी वहाँ की है, सीवेज, वाटर, पम्पिंग सेट का इंतजाम वहां मौजूद है और कांधले के बोर्ड ने वहां की हालत को और व्यवस्था को बराबर ऊंचा करने की कोशिश की है। इसलिये जो कुछ कांधले के संबंध में उधर से कहा गया वह ठीक नहीं कहा गया, उन्होंने वहाँ जाकर नहीं देखा बाहर से देख कर ही कह दिया।

दूसरी बात यह है कि जो घरों का कूड़ा होता है और जो मैला उठाने का काम है वह म्युनिसिपल बोर्ड ठीक से अपने द्वारा कराये। बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज में आज भी भंगियों का यह हक है कि वह कूड़ा उन का होता है और वह उस को जगह जगह डम्प करते हैं और उसका काफी पैसा उन को मिलता है लेकिन वह उसको शहर के पास ही डालते हैं जिस से बस्ती में गंदगी फैलती है और उससे संक्रामक रोग फैलते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि बिल में इस बात की भी व्यवस्था हो कि म्युनिसिपल बोर्डस् कूड़ा उठाने का और उसका सारा अधिकार अपने हाथ में भंगियों से लें और उसको डम्प करने का ऐसा तरीका अख्तियार किया जाय ताकि कोई गन्दगी न फैले और शहर में सफाई रह सके। इससे तरह-तरह की बीमारियां जो आये दिन फैलती हैं उनसे बचत हो जायगी।

इसके अलावा म्युनिसिपल बोर्ड की परिधि में बहुत से ऐसे गन्दे काम होते हैं जिनसे बहुत बदबू और गन्दगी फैलती है। बहुत से ऐसे कारखाने होते हैं जिनसे बहुत खराब और अधिक धुआं निकलता है जिससे पास के लोगों को कष्ट होता है और बीमारियां फैलती हैं। लोग हड्डी गोदाम बना लेते हैं या चमड़ा साफ करने के कारखाने बीच बस्ती में बना लेते हैं। इन से स्वास्थ्य खराब होता है और गन्दगी फैलती है। इसके लिये भी इस संशोधन विधेयक में प्रबन्ध होना चाहिये ताकि ऐसी चीजें बस्ती से बाहर रखी जा सकें। अतः मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इनके अलावा भी इसमें जो त्रुटियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयत्न करें और यह तभी हो सकता है जब कि इसकी परिधि को भी बढ़ाने की बात को मंत्री जी स्वीकार करें।

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी ऐक्ट में बार-बार संशोधन लाना कोई बुद्धिमानी का परिचय नहीं है और जब संशोधन लाये जायं तो सोचसमझ कर ही लाने चाहिये। आपने बिल को संयुक्त प्रवर समिति को भेजने का विचार तो किया है लेकिन आप के प्रस्ताव में यह कहीं नहीं है कि इसमें और चीजें भी लाई जा सकती हैं इसलिये श्री माधो प्रसाद जी के संशोधन को माना जाय। आप ने कुछ चीजें इस विधेयक में रखी हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि जरूरी हैं और इसमें नहीं रखी गई हैं। आप ने तो वकील होकर इस कानून पर कुल्हाड़ा चलाया है। वकील अक्ल देने वाले होते हैं। यह आप की विधान सभा है आपके यह मंत्री हैं सब अक्लमन्द लोग हैं। कांग्रेस पार्टी में बड़े लोग हैं। अब विधान सभा का मुकदमा पड़ गया हाई कोर्ट से लेकिन आपके चराये हुये पट्ठे पाठक जी आपकी तरफ से नहीं एपीयर हो रहे हैं। उनको आप नहीं हटा सकते। सरकार विधान सभा के प्रति जिम्मेदार है आपका प्रस्ताव जब पास हुआ था २१ मार्च को वह कैरीआउट नहीं हुआ और ऐडवोकेट जनरल आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप उनको नहीं हटायेंगे पर जनता द्वारा चुना हुआ आदमी जो म्युनिसिपैलटी का सदस्य है अगर म्युनिसिपैलिटी द्वारा चलाये गये मुकदमे में जनता की तरफ से एपीयर होता है तो उसको हटा दो, यह अन्याय है। द्रौपदी का चीर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भगवान ने खूब बढ़ाया, लेकिन आपने २ की जगह ४ साल कर दिया फिर ४ की जगह ५ साल कर दिया। यह अधिकार आप अपने पास क्यों रखे हैं। ५ साल तक आपका कार्यकाल है, माननीय मंत्री जी इस बीच में हटाये भी जा सकते हैं, दूसरा पोर्टफोलियो उनको दिया जा जा सकता है, लेकिन आपकी सरकार ४ साल की जगह ५ साल बढ़ावे यह समझ में नहीं आता। स्थानीय निकायों को चुने हुये लोगों का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाय यह समझ में नहीं आता। यह आपने गलत रखा है।

१३ (ए) में आपने संशोधन रखा है अगर आप समझते हैं किसी कारण से बोर्ड जब तक कांस्टीट्यूट न हो तब तक आप जनरल इलेक्शन के लिये आगे बढ़ा सकते हैं। आपने दोनों तरह के चुनाव के तजुर्बे को देखा, जिला परिषद में भी हो गया, आप ईमानदारी से बतायें कि इसमें वोट खरीदे जा सकते हैं या जनरल इलेक्शन में कोई खरीद सकता है। जाहिर है थोड़े वोट खरीदे जा सकते हैं, जनरल इलेक्शन में किसकी हिम्मत है जो वोट खरीद सके। इसलिये प्रेसीडेंट और मेम्बर डायरेक्ट इलेक्शन से आवें। यह विधेयक में नहीं है। अगर आप चाहते हैं आम जनता चुनाव करे और हटावे तो आप कर दीजिये। अगर प्रेसीडेंट गलत हो जाय तो उसको ३–४ मैजोरिटी से हटाया जाय। लेकिन अगर जनता से चुनकर आता है तो डायरेक्ट चुनाव होना चाहिये।

आये दिन मेहतरों की हड़ताल होती है, मैं मेहतर यूनियन का फतेहपुर में कार्यकर्ता रह चुका हूं। उन दिनों खेर साहब मिनिस्टर थे। ८ रु० महीना मेहतर पाता था। मेहतरों का कोई प्रतिनिधि चुन कर नहीं आया है, किसी भी म्युनिसिपैलिटी में नहीं आया है। आप इस विधेयक में १ प्रतिनिधि हर म्युनिसिपैलिटी में रख दीजिये जो उनकी आवाज बोर्ड में पहुंचा सके। अगर ऐसा कर देंगे तो हड़ताल की सम्भावना कम हो सकती है। जो कर्मचारी हैं, जमादार तक, मेहतरों में से बनायें जायं। १९४७–४८ में कोई रेजोल्यूशन हाउस में आया। ऐक्ट में नहीं आया। इन रेजोल्यूशन को इन्कारपोरेट करें और जो भी भविष्य में जमादार बनाया जाय वह मेहतरों में ही से बनाया जाय और कोई दूसरा नहीं। कुछ तो आप सहूलियत दीजिये। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि हर मेहतर से जमादार और इंस्पेक्टर का कुछ बंधा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप केवल २ मिनट में समाप्त कीजिये। समय बहुत कम है केवल १/२ घंटा बाकी है।

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, मैं शीघ्र समाप्त करूंगा। माननीय शर्मा जी ने स्वयं यह महसूस किया है कि कुछ कमियां अवश्य हैं। इसी कारण से तो इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रखने का प्रस्ताव रखा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इतना संशोधन मान लीजिये कि इसका स्कोप इतना होगा कि और और चीजें भी इसमें आ सकती हैं। मैं समझता हूं माननीय शर्मा जी स्वयं एक नेता रहे हैं और स्थानीय म्युनिसिपल बोर्ड के वकील भी रहे हैं। इस तरीके का संशोधन न लाकर ऐसा संशोधन लायें कि जिससे कोई सुधार हो सके। अन्त में मेरी प्रार्थना है कि माननीय माधो प्रसाद त्रिपाठी जी का जो नया तुला संशोधन है उसको स्वीकार कर लिया जाय कि समिति को इस विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और इसका स्वागत करता हूं। इस म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट को हमने १९१६ में पास किया था और तब से आज तक कुछ छुट पुट संशोधन होते रहे, किन्तु वह ऐक्ट ज्यों का त्यों पड़ा है। आज इसकी आवश्यकता कई दृष्टियों से हम अनुभव कर रहे हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिये। इसमें जो संशोधन किये गये हैं वे आमूल परिवर्तन हैं, इतना कहना ही

[श्री बृजबिहारी]

पड़ेगा कि कुछ संशोधन बहुत ही प्रशंसनीय हैं, आशा है कि इस ऐक्ट में जो हमारी बहुत सी खामियां हैं वे दूर हो जायेंगी। म्युनिसिपैलिटियों का इंतजाम बहुत त्रुटिपूर्ण हो गया है। इसके प्रबन्ध में बहुत सी खामियां आ गयी हैं। चुनाव को ही ले लीजिये। हम यह अनुभव करते हैं कि चुनाव में जातिवाद और सम्प्रदायवाद का इतना प्रचार होता है कि मुश्किल हो जाता है कि अच्छे-अच्छे आदमी इस चुनाव में आ सकें, और बहुत से ऐसे लोग म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स हो जाते हैं जिनका आना अवांछनीय होता है। इस विधेयक द्वारा इसमें प्राविधान किया जा रहा है कि सदस्यों की संख्या कम कर दी जाय और उनका क्षेत्र बढ़ा दिया जाय। इससे आशा की जाती है कि जो त्रुटियां आ गई हैं वे कम हो जायेंगी।

दूसरी सबसे बड़ी खामी इसमें जो रही है जसका उल्लेख माननीय केशव गुप्त जी ने किया है वह है एन्क्रोचमेंट का, सब तरफ आज कल एन्क्रोचमेंट है। सड़कों के एन्क्रोचमेंट को ही देखें जितनी उसकी भूमि रहती है उन सब पर एन्क्रोचमेंट हो जाता है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। यदि म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष भी चाहते हैं कि उस एन्क्रोचमेंट को हटावें तो उसको हटाने में उन्हें बड़ी कठिनाई मालूम होती है। चुन कर जो लोग आते हैं वे समझते हैं कि उसे हटाने में वे अनपापुलर हो जायेंगे और उनकी अनपापुलैरिटी बहुत बढ़ जायेगी। इन इन्क्रोचमेंट के हटाने में हमारी अनपापुलरिटी हो जायगी

दूसरा प्रश्न टैक्सों का है। एसेसिंग अथारिटी ने टैक्स लगा दिया। कमेटी उसे छोड़ देती है क्योंकि मेम्बरान की दृष्टि बराबर इलेक्शन पर रहा करती है। इसके लिये प्राविजन यह होना चाहिये कि जो आब्जेक्शन कमेटी में सदस्यगण न रहें, टैक्सों का निर्णय सदस्यों के द्वारा न किया जाय। इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है।

इस समय जो प्रस्तुत विधेयक है उसका मैं स्वागत करता हूं। माननीय त्रिपाठी जी ने प्रस्ताव किया है कि प्रवर समिति को इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार दिया जाय इस को सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये। असंगत बात जो होगी उसे हम वहां अस्वीकार कर ही सकते हैं। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। १०१ धाराओं का यह एक बड़ा विधेयक है और बहुत सोच समझकर लाया गया है। मैंने यह देखा कि इसमें जिन दिक्कतों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है इसमें वही दिक्कतें हैं जो कर्मचारियों अथवा अधिकारियों के सामने आती हैं। मैं यह मानता हूं कि इसको पास करने से अवश्य नगरपालिका की प्रगति में अन्तर पड़ेगा और कुछ सुधार होगा परन्तु वह सुधार उसके कार्य संचालन में ही होगा।

दो, तीन बातें इसमें छोड़ भी दी गयी हैं और उन तथ्यों को छोड़ना राष्ट्र हित में नहीं होगा। उदाहराणार्थ हमारी नगरपालिकाओं का यह आभारिका बन गया है कि हर साल नगरपालिका में अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता है। चार साल की उसकी आयु होती है। चाहे अच्छा काम किया हो चेयरमैन ने या बुरा लेकिन लोगों का संबंध इसी बात से होता है कि उसे हर साल हटाया जाय। इसका परिणाम यह होता है कि ४,६ महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है और फिर सेटिल होने में कुछ समय लगता है जिससे काम सफर करता है। प्रजातंत्र के विकास के लिये यह सोचना होगा कि जिस पर उत्तरदायित्व डालें उसे काम करने का अवसर दें।

मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि इसकी परिधि बढ़ाई जाय और वहां इस तथ्य पर विचार किया जाय वर्ना कार्य संचालन ठीक से नहीं हो सकेगा। नगरपालिका की स्थिति यह हो गयी है कि चेयरमैन और सदस्य चुन कर जाते हैं। वहां ऐसा तरीका वे निकाल

लेते हैं जिससे उनको मासिक, दैनिक और वार्षिक आय होती रहे और साल भर में अपने-अपने हिसाब से रुपया कमा लेते हैं और उस रुपये को एलेक्शन लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकार से इन स्थानीय निकायों में वेस्टेड इंटरेस्ट्स क्रियेट हो गये हैं जो उनको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देते। नगरपालिकाओं में यह भ्रष्टाचार इतना व्यापक नहीं है जैसे कि सारे प्रदेश और देश में है जिसके लिये यह कहा जाय कि इसे रोकने में बहुत समय लगेगा। जिनका नगरपालिकाओं के कार्य संचालन से कुछ भी संबंध है और मैं समझता हूं इस माननीय सदन के बहुत से सदस्यों का संबंध है। वे जानते हैं कि कुछ गिनी चुनी बातें हैं जिनमें रुपया लिया जाता है और यदि हम उनका नियंत्रण करें तो उनको रोका जा सकता है।

तीसरी बात यह सोचने की है कि नगरपालिकाओं को इस तरह से आगे बढ़ाया जाय कि वे हमें विकास में सहयोग दे सकें। आज उनका काम केवल ऐडमिनिस्ट्रेशन का रह गया है। चिकित्सा, शिक्षा, इन चीजों के विकास से उनका कोई संबंध नहीं रह गया है। ऐसा प्राविधान हो कि इनके विकास का उत्तरदायित्व उन पर हो। एक और बात अभी मिश्राजी ने कही कि सड़कों पर म्युनिसिपैलिटीज में एन्क्रोचमेंट है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे-ऐसे रास्ते मिलेंगे कि जो चौड़े हैं लेकिन आदमी के निकलने में दिक्कत पड़ती है। चूंकि यह एक काम्प्रिहेंसिव विधेयक कहा जा सकता है बहुत सोचने के बाद रखा गया है इसमें ऐसी चीजों का समावेश किया जा सकता है जिससे वे दिक्कतें जिनसे नगरपालिकाओं का विकास नहीं हो रहा है, जिनसे उसमें रुकावट पड़ रही है उनके भी समाधान के लिये हम कुछ न कुछ ला सकें। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इसकी परिधि बढ़ाने पर विचार किया जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय! मैं आपके द्वारा सरकार से यह सूचना चाहता हूं कि आज से ५-६ महीने पहले गांजे के तस्कर व्यापार की चर्चा चली थी और कुछ फ़र्जी बहियां सरकार के समक्ष पेश की गयी थीं जांच के लिये और इसी आदरणीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि इन फर्जी बहियों के बारे में और गांजे के तस्कर व्यापार की जांच कराई जायगी। पर आज अचानक फर्जी बहियां पेश करने वाले सदस्य और गांजे के तस्कर व्यापारी, दोनों ही कांग्रेस पार्टी में हैं। तो प्रदेश की जनता के हित में अब वह जांच होगी या सरकारी पार्टी में शामिल होने के बाद वह गांजा कांड खत्म हो जायगा। यह मैं सूचना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका कोई समय नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

पहली बात तो यह कि यह जांच चलेगी या नहीं और दूसरी बात यह कि अपोजीशन के जितने कुकर्मी लोग हैं अब वे सब कांग्रेस में इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब कांग्रेस के पाप का घड़ा भरने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका अभी कोई संबंध नहीं है, आप बैठिये।

श्री उग्रसेन—

गांजे के तस्कर व्यापारी मंत्री सीताराम और बहियां पेश करने वाले, नरसिंहनारायण पांडेय, दोनों अब बगल में बैठेंगे तो क्या उस कांड की जांच होगी? या तो नरसिंहनारायण पांडेय को निकालिये या डाक्टर सीताराम को निकालिये या बयान दे दीजिये कि तस्कर व्यापार का मामला ठीक हो गया। १३१ किलो गांजा लकड़मंडी में पकड़ा गया और ४५ हजार का गांजा सरदारनगर में पकड़ा गया....

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई समय नहीं है । आप बैठिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमारे नियमों के अन्तर्गत जिस वक्त भी हम चाहें प्रदेश की जनता के हित में कोई भी सूचना सरकार से चाह सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

बिला अध्यक्ष की आज्ञा नहीं कह सकते । आप डिबेट के बीच में नहीं कह सकते ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

६ महीने से सारे राज्य की जनता इन्तजार कर रही थी कि उसकी जांच अब होगी...

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक वक्त पर पूछिये, क्वेश्चन आवर के बाद ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

लोकहित के लिये कोई समय नहीं होता । वह जब चाहें पूछा जा सकता है ।

श्री उग्रसेन--

जब अखबार में लोग पढ़ेंगे कि तस्कर व्यापारी और उस पर चार्ज लगाने वाला, दोनों कांग्रेस में चले गये तो प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता की भावनाओं को ठेस लगेगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, यदि पापी और कुकर्मी लोग इस तरह से उधर चले जायेंगे तो पाप का घड़ा भर जायगा और इन सबका क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई बात हुई ?

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, ६ महीने से जनता इंतजार कर रही थी उसके धीरज का क्या होगा ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां घोषणा की थी कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई सदस्य क्या करता है इसके लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है । (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, आप इसका जवाब दिलवाइये कि तस्कर व्यापार करने वाले का क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, गांजे के मामले में जो बहियां पेश हुई थीं उनकी जांच होगी या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

जब तक गवर्नमेंट मना न करे जांच तो होगी ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आप सरकार से कहलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा---

श्रीमन्, हम नियम के अन्दर हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप मजबूर कर रहे हैं। आप बैठ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, आप व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये। आज नरसिंह नारायण, दुर्योधन जी तथा शिब्बनलाल जी उधर चले गये, और ४-५ आदमी जाने वाले हैं और उनकी अर्जी भी मंजूर कर ली गई है फिर उनको इधर क्यों बैठने दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

जो माननीय सदस्य उधर चले गये उनको हम रोक नहीं सकते।

श्री राधेश्याम शर्मा---

श्रीमन्, हमारा मौलिक प्रश्न है जिसको आप दबाये दे रहे हैं। गवर्नमेंट जांच करेगी या नहीं ? यह हमारा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप ठीक समय पर सवाल करेंगे तो जवाब मिल जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, कुछ मेम्बरों ने अर्जी लगा रखी है और गेंदा सिंह जी मंत्री होने के इंतजार में हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, फर्जी बहियां थीं, उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

बांकेलाल जी, आप बैठ जाइये। मैंने मैनेजरसिंह जी को बुलाया है।

श्री लखीसिंह---

श्रीमन्, आप इधर क्यों नहीं बैठ जाते जिससे सारा क्लेश मिट जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा आप बैठ जाइये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, सदन का वातावरण बिला वजह खराब हुआ। माननीय सदस्य उधर चले गये, अच्छा हुआ। मैं अपने समाजवादी भाईयों को विश्वास दिलाता हूं कि उधर भी दो कैम्प हैं एक डिसिडेंट्स का और दूसरा मिनिस्टीरियलिस्ट्स का। दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। माननीय सदस्य रहेंगे माननीय त्रिपाठी जी के गुट में।

श्री उपाध्यक्ष--

टाइम नहीं है, उस पर बोलिये।

श्री मैनेजरसिंह--

मैं शांत कर रहा हूं कि यह लोग वहां भी लड़ेंगे।

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, संयुक्त प्रवर समिति के प्रस्तावों में जो संशोधन माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी जी ने परिधि बढ़ाने का दिया है कि मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। मान्यवर, नगरपालिकाओं में जहां माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सी सुधार की गुंजायशें हैं, नगरपालिका अधिनियम में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है लेकिन खेद के साथ में कहना चाहता हूं कि जो संशोधन प्रस्तुत है उसमें व्यापक सुधार की कोई गुंजायश नहीं है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज में जो आज कानून विद्यमान है उससे भी यह बदतर संशोधन लाया गया है। जो उद्देश्य और कारण माननीय मंत्री ने दिया है मैं उससे भी इत्तफाक नहीं करता। उन्होंने कहा है कि नगरपालिकाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आज हम देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने जा रहे हैं, पंचायती राज्य को साकार करने की बात करते हैं, उस जमाने में आप यह बात करें कि म्युनिसिपल बोर्ड पर अंकुश सशक्त किया जाय तो मैं निश्चयपूर्वक कहना चाहता हूं कि आपने पंचायत राज्य की भावना को स्वीकार नहीं किया है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार गांव सभायें, क्षेत्र समितियां और जिला परिषदें पंचायत राज के तीन स्तर हैं, उस प्रकार से नगरपालिकाएं नगर पंचायतों का रूप ग्रहण करें। आपने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि किसी मेम्बर के संबंध में अगर कोई शिकायत हो तो नोटिस दिया जायगा और शिकायतों की लम्बी फेहरिस्त है। उसमें शायद ही कोई चपेट में न आये जिसे सरकार फंसाना चाहेगी। किसी भी धारा में जाने अनजाने कोई सदस्य आ जाय तो सरकार शो काज नोटिस देगी। अगर सरकार ने उस जवाब से ऐसा समझा और जांच भी किया, तो उस उत्तर पर सरकार निर्णय ले सकती है कि उत्तर संतोषप्रद नहीं है, वह निकाला जा सकता है। जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो नगरपालिका के ५० हजार, एक लाख की जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है उसको एक सरकारी अफसर निकाल दे। एक तरफ जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार देंगे कि वह नगरपालिकाओं और जिला परिषदों में बैठकर अपना कार्य करें, और दूसरी तरफ बंसी लगा देंगे मछली फंसाने के लिए, उसे निकालने का अधिकार एक सरकारी अफसर को हो जायगा जो सेक्रेटरिएट में बैठा हुआ है आई० सी० एस० अफसर इन आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अफसरों से लाखों गुना अच्छे थे। हमारे पी० सी० एस० और आई० ए० एस० अफसरों से निम्न से निम्न कुकर्म आप करवाते हैं। यदि उनका मतलब आप हल कर दें। इस प्रकार से ऐसे अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। इनके हाथ में आप अधिकार दे रहे हैं कि कोई दरख्वास्त आये, उसकी फाइल वह तैयार करें और उसको निष्कासन की नोटिस दें। इसमें पार्टीबाजी फैलेगी।

मैं एक उदाहरण बलिया नगरपालिका का दूं। पंचायती राज के मंत्री और स्वायत्त शासन के मंत्री दोनों ही मंत्री यहां बैठे हैं वहां आज हालत क्या है और उसको देखते हुए यह पता लगाया जा सकता है कि आप इसका सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे? बलिया नगरपालिका के सदस्य माननीय चंद्रिका लाल जी जो किसी तरीके से आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुन गये हैं, वह नगरपालिका के मेम्बर रहे १२ वर्ष तक। जैसा कि कांग्रेस के ही दो तीन भाइयों माननीय जगदीश प्रसाद जी, मिश्रा जी और केशव जी ने चर्चा, इन्होंने तीन सड़कों का अपने नाम बन्दोबस्त करा लिया और वहां उनका मकान खड़ा हो गया। वहां के लोगों ने दरख्वास्त दी, कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई। १८ सौ रु० म्युनिसिपैलिटी का अपने ऊपर बाकी रखा, हजारों बार उसके लिए दरख्वास्त दी गयी म्युनिसिपैलिटी ने कोशिश की, जनता ने दरख्वास्त दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। श्री विश्वनाथ सिंह गहलौत आज वहां के चेयरमैन हैं जिनकी ईमानदारी में किसी को शुभ नहीं है, हमारे जिले का एक-एक आदमी उनकी ईमानदारी की तारीफ करता है, उनके परिवार की उनके भाई की। उनके भाई आपके पी० डब्ल्यू० डी० जैसे बदनाम विभाग में इंजीनियर हैं लेकिन उनकी ईमानदारी की शाख सरकार के लोग मानते हैं, उनका नाम श्री रघुनाथ सिंह गहलौत है। लेकिन वही मुंशी चंद्रिका लाल रोज एक दरख्वास्त देते हैं कि यह गड़बड़ी हुई, वह गड़बड़ी हुई और पूरे चार साल एन्क्वायरी में बीत गये। यह हालत बलिया में है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका नतीजा यह होगा कि पार्टीबाजी और बढ़ेगी इस अधिकार से जो आप ले रहे हैं। इससे आप नगरपालिकाओं को अपने चंगुल में रखेंगे।

एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं कि भूमि भवन कर, जैसा कि माननीय लखी सिंह ने कहा और और मित्रों ने भी कहा, उसके भय से या और किसी भय से या पिछले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने देखा कि शहरी क्षेत्रों में कामयाबी न मिली, देहाती क्षेत्र में भोले भाले लोगों को फुसलाने और बरगलाने में ये कामयाब हुए और शहरी क्षेत्र की जनता उनके धोखे में नहीं आयी, शहरी क्षेत्र में इनको हार खानी पड़ी और फिर यह भूमि भवन कर जो रखा हुआ है, इससे इनकी पार्टी में दम नहीं है कि वह चुनाव में भाग ले और इसलिये उन्होंने ऐलान किया है कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैदान छोड़कर भागने के बाद यह दूसरा उपक्रम हुआ कि चाहे सदस्य किसी भी दल का चुना जाय, या चेयरमैन किसी भी दल का चुना जाय, यह एक ऐसा अधिकार ले लें कि उस चेयरमैन की नकेल इनके हाथ में रहे और यह जो चाहें, मनमानी उससे करायें। वह इनकी बात नहीं मानेगा तो उसे ये चेयरमैन नहीं रहने देंगे। तो अपने निहित स्वार्थ के लिये यह कार्य वह कर रहे हैं।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मैंने जो कहा वह तो कहा ही, उधर के सदस्यों ने भी मेरे इस संशोधन की ताईद की। मैं समझता हूं कि अगर दरअसल हमारे माननीय मंत्री महोदय नेकनीयती का सबूत देना चाहते हैं या सचमुच उनके मन में यह भावना है कि दूसरे भी अच्छा सोच समझ सकते हैं, अगर दूसरे के सोचने समझने का लाभ वह उठाना चाहते हैं, संभव है अखबार द्वारा इनको ज्ञान हो जाय, संभव है म्युनिसिपल बोर्ड्स ही बतावें या संभव है उन्हीं के ज्ञान में इन सेक्शनों के अलावा और किसी सेक्शन की बात आ जाय और उसका लाभ वह उठाना चाहते हैं, अगर उनके हृदय में इतनी सद्भावना है तो मेरा ख्याल है कि उनके पक्ष द्वारा इसका समर्थन और और माननीय सदस्यों द्वारा समर्थन इसके लिये पर्याप्त है कि वह इसको मान लें। लेकिन अगर इच्छा नहीं है उनके हृदय में तो कोई किसी तरह का विवाद उनके हृदय को बदल नहीं सकता, यह मेरा तजुर्बा है। इसलिये अब केवल उनके विवेक पर निर्भर करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया । माननीय त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है वह संशोधन नहीं है । मुझे इस बात की खुशी है कि किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया । जो प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति में जाने के लिये मैंने रखा है उसका सब तरफ से समर्थन किया गया है और मान लिया गया है । अब केवल एक बात कही गई कि कुछ इसकी परिधि बढ़ा दी जाय । इस पर विचार हो सकता था यदि माननीय सदस्य ने सोच विचार करने पर अपना संशोधन दिया होता लेकिन वह इन्डेफिनिट है । जो दलील इसके लिये दी गई वह इसके पक्ष में नहीं जाती है । वह चीज एसी है जिसको म आपक सामने अभी प्रस्तुत करूंगा। अगर कोई डेफिनिट चीज आती तो मैं उनको मंजूर करने को सोचता लेकिन चूंकि वह इन्डेफिमिनिट है इस वजह सेउस पर विचार नहीं हो सकता । इसकी परिधि बढ़ाई जाय अगर इस बात को लेकर मान लिया जाय तो फिर एक कमेटी बैठेगी और २ महीने या साल भर उसका काम चलेगा और पूरी रिपोर्ट म्युनिसिपल बोर्ड के संबंध में तैयार होगी ।

मैं त्रिपाठी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कई सजेशन अच्छे दिये और केशव गुप्त जी ने भी अच्छे सुझाव दिये और वे विचारणीय हैं लेकिन देखना यह है कि मौजूदा कानून में वह चीज हो सकती है या नहीं। अगर हो सकती है और वे करते नहीं हैं तो इसकी कोशिश की जाय कि वे करें। जो म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारी हैं और सरकारी अधिकारी हैं चाहे प्रेसिडेंट हों या मेम्बर हों उनको कोशिश करनी चाहिये कि वह उस काम को करें। जैसा कि कहा गया कि असेसमेंट गलत होता है, इन्क्रोचमेंट होता है । सही बात है कहीं-कहीं ऐसा होता होगा । कहीं-कहीं पर सही भी होता है और मेम्बर साहबान इसको देखते हैं लेकिन यह मानना चाहिये कि जब हम एक तरह से प्रजातंत्र की बात मानते हैं तो हमें सब लोगों के बहुमत पर और चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत पर, उनके विवेक पर हमको मानना पड़ेगा और हमें इसको मानकर चलना पड़ेगा । कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं लेकिन ज्यादा लोग सही काम करते हैं । जहां पर गलत काम होता है उसके लिये प्राविजन इस अधिनियम में मौजूद है । इन्क्रोचमेंट के लिये नियम बने हुये हैं। उनको रोका जा सकता है अगर म्युनिसिपल बोर्ड चाहे । त्रिपाठी जी ने एक बात और कही कि डाइरेक्ट एलेक्शन होता तो अच्छा होता । इस डाइरेक्ट एलेक्शन पर विचार हो चुका है और हमने डाइरेक्ट एलेक्शन जो जिला परिषद् में करके देखा और म्युनिसिपल बोर्ड में भी करके देखा । यह हो सकता है कि डाइरेक्ट एलेक्शन से कोई ज्यादा पापुलर आदमी चुनकर आये बनिस्बत इनडाइरेक्ट चुनाव से, लेकिन दिक्कत यह पड़ेगी कि जब मेम्बर दूसरे विचार के चुने हुये आ जाते हैं और प्रेसिडेंट दूसरे विचार के चुने हुए आ जाते हैं तो बजट तक पास नहीं होता । जिला परिषदों में और म्युनिसिपल बोर्ड में देखा गया है कि काम चलना नामुमकिन है । पहले डाइरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता था लेकिन उसको बदलना पड़ा और वह तजुर्बे के आधार पर बदलना पड़ा। इसे मैं किसी पार्टी की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। मेरे मित्र डाइरेक्ट एलेक्शन की बात जरूर करते हैं लेकिन इसमें ज्यादा संख्या में चुने जाने के चांसेज कांग्रेस वालों के हैं। लेकिन मैं उसका दावा नहीं करता । हमने डाइरेक्ट एलेक्शन का तजुर्बा करके देख लिया है और वह वर्किंग के लिए सही नहीं बैठता ।

त्रिपाठी जी ने दूसरी बात विधायकों को नगरपालिका में पदेन सदस्य बनाने के बारे में कही । अगर मैं उसका विरोध करूं तो यहां वह बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन उसके लिये कोई दलील होनी चाहिये । जहांतक जिला परिषदों की बात है, उन के पास डेवलपमेंट का भी काम है और यह काम ऐसा है कि जिसमें विधायकों का सहयोग और उन की देखभाल बहुत जरूरी है । उसमें विधायकों का हाथ रहना ही चाहिये ।

श्री उग्रसेन—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आप धीरज धारण कर सुन लें। मेरा प्रश्न यह है कि इस उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है और १९५० में इसके लिये आपने एक कानून भी पास किया है। यह विधेयक जो परिषद् से पास हो कर आया है अंग्रेजी में है। दूसरे भारतीय संविधान में लिखा है कि अगर कोई राज्य भाषा कानून बना ले तो उसी भाषा में वहां के विधेयक आने चाहिये। तीसरी बात यह है कि आपके सदन के ३/४ सदस्य ऐसे हैं कि जो अंग्रेजी नहीं जानते, तो वे इसे समझ कर अपने संशोधन कैसे देंगे? तो इन बातों के आधार पर यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिये और उस पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

पहली बात तो यह कि यह कोई स्टेज नहीं है इस प्रकार का प्रश्न उठाने का। दूसरे इस पर अध्यक्ष महोदय की रूलिंग हो चुकी है कि इस प्रकार के विधेयक की और बातें हिन्दी में होंगी लेकिन अमेंडमेंट के लफ्ज उसी भाषा में होंगे जिनमें कि ओरिजिनल विधेयक है। इसलिये यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैंने उसी समय मिसाल दी थी कि १९४८ में जब सेल्स टैक्स विधेयक सदन में रखा गया था उसकी भाषा अंग्रेजी थी और अब वह ट्रांसलेट कर दिया गया। आप उसे देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

वह अंग्रेजी में था और उसी तरह से पास किया गया।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि चूंकि डेवलपमेंट का काम जिला परिषदों को मिला है इसलिये ही उसमें विधायक सदस्य की हैसियत से है।

दूसरी बात त्रिपाठी जी ने कही नो-कांफीडेंस के लिये कि दो बटे तीन मेजारिटी का प्राविजन रखा जाय।

यह आवश्यक है कि प्रेसीडेंट अपने साथ बहुमत रखे, उसको बोर्ड का कार्य चलाना है और तभी चला सकता है जब बहुमत उसके साथ हो। प्रजातंत्रीय पद्धति यही है कि जब बहुमत उसके साथ नहीं है, वह अल्पमत में है तो बोर्ड उसे छोड़ देना चाहिये। जो बहुमत में होगा वही सुचारू रूप से काम चला सकेगा। इसलिये यह जो सजेस्शन दिया गया था यह मानने लायक नहीं है। यह भी सजेस्शन आया कि यह ४ से ५ साल नहीं होना चाहिये, लेकिन यह कोई बेजा चीज नहीं है। जब ५ साल का पीरियड हमारी असेम्बली का है, जिला परिषद् का है तो नगरपालिकाओं की भी सीमा अगर ५ साल की हो, तो यह न्यायसंगत है। यह भी कहा गया कि फाइनेंशयल हालत अच्छी बनाने के लिये आबलीगेटरी ड्यूटी बोर्ड की ही रखी गयी है, कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है, तो इस संशोधन विधेयक में मौजूद है कि म्युनिसिपैलिटीज इंटरटेनमेंट टैक्स अपनी तरफ से लगा सकती हैं इन ऐडीशन टु जो और टैक्सेज हैं। ज्यादातर बहस भूमि एवं भवन कर पर हुई, लेकिन उसका कोई ताल्लुक म्युनिसिपैलिटीज से नहीं है। सदन ने इसको पास किया, इस सिद्धान्त पर कि चूंकि किसान और देहात वाले अपना पैसा देते हैं पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये तो शहर वालों को भी देना चाहिये। कहा गया कि यह गरीबों पर पड़ता है, लेकिन १० रुपया किराये वाले केसेज को छोड़ दिया गया, उसके ऊपर जो देने वाला होगा वह गरीब नहीं होगा। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, जो दलीलें दी गयीं उन सबके जवाब मेरे पास हैं, लेकिन मैं संक्षेप में ही कहना चाहता हूं।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

कमलासिंह जी ने राय दी कि जितना जुर्माना हो, जिसने टैक्सेज हों म्युनिसिपल एरिया में सब म्युनिसिपैलिटी में जायं। लेकिन दूसरे सेक्शंस होते हैं, उनके अनुसार जुर्माने होते हैं तो जो प्राबीजंस होते हैं उनको क्या ओवर-राइड कर देंगे? आज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट सामने है तो उसकी बातें हैं, कल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और दूसरे बिल आयेंगे तो शायद यह दलील नहीं देंगे कि सारे का सारा उनको दे देना चाहिये। तो यह जो विधेयक है इससे काफी सुधार मेरी समझ में मौजूदा म्युनिसिपल ऐक्ट में होने को है और मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने जो कांस्ट्रक्टिव सजेशंस अपने दिये हैं--अभी तो संयुक्त प्रवर समिति में जा रहा है, वहां जो विचार रखे जायेंगे, चाहे मेम्बरों को कम करने का हो, अवधि का हो, और चीजों का हो उनको वहां दे सकते हैं, उनपर विचार किया जायगा और उसके बाद फिर यह विधेयक इस सदन में आयेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस अपने प्रस्ताव को फिर रखता हूं और बड़े दुःख के साथ मैं श्री त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "संयुक्त प्रवर समिति" तथा "के अधीन" के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय --

"जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९६४ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के अधीन कर दिया जाय, जिसमें विधान परिषद् के ८ सदस्य और विधान सभा के १६ सदस्य हों और जो अपना प्रतिवेदन विधान परिषद् के आगामी वर्षाकालीन सत्र के प्रारम्भ होने से एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी पास हुआ है उसके अनुसार मैं प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा से निम्न १६ सदस्यों को यह सदन स्वीकार करे--

श्री बी० बी० शरण, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, श्री नियामतुल्ला अंसारी, श्री नियाज हसन, श्री अयोध्या प्रसाद, श्री रामअनन्त पांडेय, श्रीमती तारा अग्रवाल, श्री नरेन्द्र-सिंह विष्ट, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, श्री गनेशीलाल चौधरी, श्री शारदाभक्त सिंह, श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री भानुप्रतापसिंह, श्री मैनेजरसिंह, श्री रघुनाथसिंह और श्री ब्रह्मदत्त मायर।

इस संबंध में उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है और वह यह कि पहले जो नाम दिये गये थे उनमें आखिरी नाम जो माननीय चन्द्रजीत यादव का था, वह बदल कर उसके स्थान पर श्री ब्रह्मदत्त मायर का कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा की ओर से प्रवर समिति के लिये निम्नलिखित सदस्य भेज दिय जांय—

१—श्री बी० बी० शरण
२—श्री जगदीश शरण अग्रवाल
३—श्री नियामतुल्ला अंसारी
४—श्री नियाज हसन
५—श्री अयोध्या प्रसाद
६—श्री राम अनन्त पांडेय
७—श्रीमती तारा अग्रवाल
८—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट
९—श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी
१०—श्री गनेशी लाल चौधरी
११—श्री शारदा भक्त सिंह
१२—श्री हरीश कुमार गंगवार
१३—श्री भानु प्रताप सिंह
१४—श्री मैनेजर सिंह
१५—श्री रघुनाथ सिंह
१६—श्री ब्रह्म दत्त मायर।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्थानीय निकायों के चुनाव पुनः अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश करने का अवसर दिया। इससे मेरा ही हित नहीं होगा बल्कि इससे सारे प्रान्त का, सारे समाज का कल्याण इससे होगा.....।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप प्रस्ताव तो पढ़ दीजिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है—

"सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव पुनः अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिये गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने यह स्पष्ट घोषणा की थी कि इस बार चुनाव नहीं टाले जायेंगे। विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि कल चुनाव स्थगित करने की आज्ञा सरकार ने जिले के संबंधित अधिकारियों को भेज दी है। सरकार का यह कदम लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं के विकास में बाधक है एवं जनहित के विरुद्ध है। अस्तु मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलंबनीय प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित कर दे।"

श्रीमन्, मैंने पहले ही बताया कि हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है जनता का विश्वास उससे उठ गया है। हमें देखना है कि क्या यह कदम नेकनीयती और जनहित में उठाया गया है अथवा अपनी पार्टी के हित में किया गया है। इसके पीछे एक कहानी है। १९६१ में चुनाव होने थे। ६२ में भी नहीं हुए और इमरजेंसी के नाम पर उनको स्थगित कर दिया गया। फिर सीताराम जी ने कहा कि पहले की आबादी में और अब की आबादी में कुछ फर्क है इसलिये आवश्यक है कि चुनाव को कुछ ठहर कर करायें। अब देखिये इन दो वर्षों के अन्दर, सरकार के पास इतनी लंबी चौड़ी मशीनरी है, फिर भी लिस्ट को सम्पन्न नहीं करा पायी और आबादी सही वह जान नहीं पायी है। यह बिलकुल गलत है, वह सारी चीज मौजूद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

है लेकिन सरकार ने उसको नहीं कराया। खैर ६२ में नहीं कराये लेकिन ६३ में ? सन् ६३ में क्यों नहीं कराये, क्या कोई आपकी इस बात पर विश्वास कर सकता है ?

हमारे मंत्री महोदय कहते हैं शायद मार्च का महीना था बजट सेशन में या उसके बाद, उन्होंने कहा कि ३१ मई के बाद, यदि मुझे ठीक याद है, किसी हालत में भी चुनाव नहीं टलेंगे। उसके ४, ६ दिन बाद फिर उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं टलेंगे। हमारी माननीया मुख्य मंत्री ने भी कहा कि ३१ मई के बाद चुनाव नहीं टलेंगे। सारी जनता जान गई कि अब चुनाव होने वाला है। सबने, सारे राजनैतिक दलों से चुनाव लड़ने की तैयारी की। लेकिन हमारी सरकार पीछे हटी। जनता जानती है जो कारनामें इस सरकार ने म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन में दिखलाये हैं। जनता को अपनी अप्रसन्नता दिखाने का यह सरकार अवसर नहीं देना चाहती है। लीडर आफ अपोजीशन मंत्रीजी से कल ही मिलने गये, तो मंत्रीजी ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं, और दुख की बात यह है कि उसके पहले ही डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन को तार चले गये कि चुनाव स्थगित किये जावें। यह बड़ी निन्दा की बात है, अगर यह सही है तो प्रजातंत्र का दम भरने वाली यह सरकार सारे विरोधी पक्ष के लोगों को बुलाती है और उसके पहले ही टेलीग्राम भेज देती हैं। कमरे से निकलते ही पता चलता है कि तार पहले ही जा चुके हैं। तो इस सरकार में कैसे विश्वास किया जायगा ? मनुष्य अपने जीवन में परिवार के साथ खेल कर जाता है तो बाहर भी सदैव अविश्वास का काम करेगा। मैं तो कहूंगा कि मेरी सरकार इसकी आदी है कि झूठ बोले। आज से १५ दिन पहले की बात मैं बताना चाहता हूं। जब मैं म्यूनिसिपल एरिया में घूम रहा था तो लोगों ने कहा कि इसका चक्कर मत काटो, चुनाव नहीं होंगे। नागरिक संघ के नाम से चल रहे हैं। इनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। भूमि भवन कर का मामला है। यह वह आदमी कहता है जो सरकार के सम्पर्क में भी नहीं रहता है। क्यों ? हमारी सरकार की आदत हर साधारण व्यक्ति जान गया है जो सड़कों पर घूमता है।

सरकार कहती है कि हमने अपने लिये चुनाव नहीं रोका, रोका विरोध पक्ष के लोगों ने कहा, इसलिये। कितना प्रेम है इस सरकार के मन में विरोध पक्ष के लोगों के लिये। भगवान ही समझे या ये समझें। उग्रसेन जी ने एक बात परिधि बढ़ाने की उठाई उनकी बात नहीं मानी। हमारे माननीय ऊदल जी ने बतलाया कि हमको डांट कर हमसे यह स्टेटमेंट लिया गया। अगर विरोधी पक्ष के स्वच्छ हृदय का लाभ उठाकर यह कहा जाय कि हमने उनका कहना मानकर ऐसा किया है, यह भी बड़ी निन्दा की बात है। कितनी बातें सरकार ने विरोध पक्ष को मानीं ? हमारे यहां ४०० या ५०० ठीक संख्या तो मैं नहीं बता सकता हूं---म्यूनिसिपैलीटीज हैं। उनमें इस सरकार के लोगों के पैर डगमगा रहे हैं कि चुनाव में हम हार जावेंगे। आज वे म्यूनिसिपल बोर्ड मन लगाकर कैसे काम कर सकते हैं जो जानते हैं कि ३१ मई या ३१ अक्तूबर को हमें हट जाना है ? आज वहां फाइनेंसेज का और प्रबंध का दुरुपयोग हो रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह जो सरकार ने किया यह जनहित में किया ? यह कदापि जनहित में नहीं है। यह मानते हुए कि किसी ने कह दिया---यद्यपि उसे मैं नहीं मानता हूं---सरकार ने अपनी बात कही है। लेकिन सरकार ने कुछ तथ्य उनके सामने रखे। आज कहां से प्रेम चर्रा गया सरकार में कि इन्होंने जनहित की बात मान ली ? म्युनिसिपल बोर्ड में जहां १ रुपया आता था वहां अब ४ आने भी नहीं आवेंगे और मेरी सरकार कहती है कि फाइनेंसेज मजबूत कर रहे हैं। जो कानून यह सरकार बनाती है उसे पहले बतला देती है कि लूट लेना, हम अवधि बढ़ा रहे हैं। इससे बढ़ कर इस सरकार ने म्युनीसिपल बोर्ड का अहित नहीं किया और न कर सकती है।

एक बात और कह दूं। हमारे डाक्टर सीताराम जी के पहले विचित्र नारायण जी शर्मा थे। उनकी कुछ राय थी। डाक्टर सीताराम की राय कुछ और रही। उसके बाद

आये शर्मा जी, उनकी बात और रही। इनमें तारतम्य नहीं बैठता है। किसी ने पूछ पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा और किसी ने कुछ और पकड़ा। ये लोग जनहित का खयाल नहीं कर सकते, वरना इनके मन में भावना होती कि ६ महीने में स्थानीय निकाय लुट जावेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ६ महीने बाद आप फाइनेंसेज की रिपोर्ट सदन के सामने रखिये, उस समय मालूम होगा कि इस समय आमदनी क्या है और बाद में क्या हो गई।

इस सरकार की नेकनीयती के बारे में क्या कहूं? एक बड़ा मजाक हो गया है। पी० सी० सी० और ए० आई० सी० सी० का चुनाव होगा तो उसे दृष्टि में रखकर असेम्बली की सिटिन्ग्स का तारतम्य बैठाया जायगा। कोई पार्टी का चुनाव होगा तो कोई बहाना रखकर असेम्बली की मीटिंग रख दी जायगी, ताकि उनकी पार्टी के लोगों का पैसा न खर्च हो।

हम देखते हैं कि यह सरकार अपना घर नहीं संभाल पा रही है। उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हम उसमें इतना ही जानना चाहते हैं जिससे हमारे प्रशासन पर असर आता है। मैं बस्ती के म्यूनीसिपल आफिस में गया, तो मैंने देखा कि वहाँ सारा सामान तैयार है, अफसर तैयार, कागज सब तैयार। एक चीज तैयार नहीं, कि सुबह से शाम तक तार का इंतजार है कि रुक गया। मालूम नही की कौन सा मंत्र इन्होंने फूंक दिया। पी० सी० सी० के चुनाव में स्वयं पिसे जा रहे हैं और दूसरों को पीस रहे हैं। इसलिये निकायों का चुनाव नहीं कराया। यह इनकी नेकनीयती है।

मुझे नहीं कहना चाहिये, मगर इनके मुंह में खून लग गया है। ये शब्द कोई असभ्य नहीं हैं। जब इन्होंने देखा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव इनके खिलाफ जायगा तो एक हमारे देहात का किस्सा है कि तेली चाहता है भेली गुड़ और खरीदेगा सरसों। इस सरकार ने भी ऐसा ही किया है। सरकार ने अध्यक्षों का नामीनेशन कर दिया, छः महीने तक उन्होंने पंजे जमा लिये, किसी को मास्टर बनाया और किसी को कलर्क बनाया, किसी को भट्ठा दिया, और भगवान जाने क्या क्या दिया, तो सब तैयार हो गये कि हम सरकार की मदद करेंगे, सब जीत गये तो इससे आपने क्या प्रजातन्त्र की रक्षा की। इनके दिल में तो डर है कि हार जायेंगे लेकिन अपनी नेकनीयती को साबित करने के लिए कहते हैं कि विरोधी पक्ष के कहने से इस एलेक्शन को स्थगित कर दिया गया है। जब कोई म्युनिसिपैलिटी कांस्टीट्यूटेड नहीं हो पायेगी तो हम जानते हैं कि वे क्या करेंगे। वे जिसको भी मुनासिब समझेंगे उसको नामिनेट कर देंगे, प्रेसीडेंट को नामिनेट कर देंगे और वह वहीं रहेगा और इनको ओब-लाइज करता रहेगा। क्योंकि उसको कोई हटाने वाला तो है नहीं। जब यह कहा गया कि इस तरह की कोई कमेटी बना दी जाय जिसमें जजों को रख दिया जाय जो अपना निर्णय दे दे और उसकी रिपोर्ट भी मांगी जा सके तो कहा गया कि इससे कोई फायदा नहीं है। जल्दी में कोई निर्णय नहीं होने पर आर्डिनेंस का सहारा लेंगे और असेम्बली का सेशन भी खत्म होने जा रहा है तो फिर क्या आप प्रधानों को लाकर प्रजातंत्र का मखौल उड़ायेंगे और इस तरह से प्रेसीडेंट और प्रधान का सहारा लेकर आप इस तरह की उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि शासन कैसे किया जायगा। इस तरह का मखौल न कीजिये। जितनी बंगलिंग इस म्युनिसिपल बोर्ड्स के चुनाव के सिलसिले में इस सरकार ने की है उतनी बंगलिंग शायद किसी सरकार ने कभी न की होगी।

१९४७–४८ में १२ वर्ष के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के एलेक्शंस आये, लेकिन विरोधी दल के तमाम कोशिश के बावजूद टांय टांय फिस हो गया। लेकिन आज सरकार की हिम्मत नहीं है वह म्युनिसिपल चुनाव में अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर सके। मैं समझता हूं कि उसके पीछे भी कुछ राज है। सरकार को चाहिये था कि वह स्वतंत्र नागरिक के नाम पर या किसी नाम पर एलेक्शन लड़े और इस तरह की बाजी लगावे कि जो जीत कर आवे उसकी जीत मानी जाय। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सरकार को अपनी पिछली करनी से डर है और उसे विश्वास

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

नहीं है कि वह इस एलेक्शन में जीत सकेंगी। कहीं लाइट का प्रबन्ध नहीं है, तो कहीं किसी स्कूल की छत नहीं है। इस तरह के आपके जितने कारनामे हैं उसकी एक पुस्तिका जनता के सामने है। इस प्रस्ताव से कम से कम सारे भारतवर्ष में यह तो मालूम हो ही जायगा कि यू० पी० सरकार किस तरह से पार्टीबाजी के चक्कर में फंसी हुई है और किस प्रकार से वह जनता का अहित कर रही है और प्रजातंत्र का हनन कर रही है। आप केवल बहुमत के बल पर अपने मन की करना चाहते हैं तो भले ही कर लें, लेकिन सभी लोग इस बात को जान जायेंगे कि इस सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं १७ अक्तूबर, १९६३ की इस सदन की कार्यवाही का कुछ हिस्सा बढ़ कर सुना देना चाहता हूं। उसके पेज ७८५ पर मेरी बातचीत का कुछ हिस्सा दर्ज है : मैंने कहा था --" अप्रैल और मई में काफी गर्मी होगी और इसके अलावा बहुत से लोगों के बच्चों के लोकल स्कूल्स में इम्तहान हो रहे होंगे और इससे म्युनिसिपल बोर्ड्स के चुनाव उन दिनों नहीं हो पायेंगे।" उस वक्त यह आश्वासन दिया गया था कि "कोई भी सूरत हो, हम एलेक्शन करवायेंगे।" "आज इनका वह बचन कहां चला गया ? उस वक्त इनको यह पता नहीं था कि मुहर्रम कब आयेगा ? आज इनके घरों में मुहर्रम आ रहा है, इसलिये इनके घरों में रोना पड़ रहा है कि हाय हम हार जायेंगे, हाय हार जायेंगे। तो श्रीमन्, मैं आपके सामने इस चीज को खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि कल सदन में जब यह प्रश्न उठा तो मुख्य मंत्री जी से पूछा गया कि क्या आप एलेक्शन टालने जा रही हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह सवाल हमारे विचाराधीन है, लेकिन उसके बाद हम लोग डेढ़ बजे के करीब नेता विरोधी दल के साथ माननीया सुचेता कृपालानी से मिलने गये तो उस वक्त कहा गया कि मैं तो बम्बई जा रही हूं आप लोग शर्मा जी से मिल लें।

हम लोगों ने शर्मा जी से टेलीफोन पर बातचीत की लेकिन शर्मा जी खाने के बाद घंटे आध घंटा का आराम चाहते थे इसलिये फिर ३ बजे के करीब हम मंत्री जी के स्थान पर पहुंचे। मंत्री जी को इस बात का बिलकुल इल्म नहीं था कि किस प्रकार के आदेश माननीया मुख्य मंत्री की ओर से जारी हुये हैं। वहां पर श्री गुरूदेव सिंह निर्वाचन अधिकारी को बुलाया गया। मंत्री जी का खयाल था कि हम लोग जो एलेक्शन के लिये जोर दे रहे हैं उससे मोहर्रम के कारण एलेक्शन होने में हिन्दू मुसलिम दंगे हो जायेंगे। इसका मलतब यह है कि यह सरकार अपने को इतना नाअहल समझती है कि वह दंगे को नहीं रोक सकती हालांकि असेम्बली के एलेक्शन में हरदोई का कांड मौजूद है। इतने बड़े एलेक्शन यह कर सकते हैं, लेकिन इन एलेक्शनों को यह नहीं करा सकते और हिन्दू मुस्लिम दंगे का इन को डर है, देश पर इस से बड़ी आपित्त आ जायगी। आपत्ति आयेगी तो आप के कर्म से। शेख अब्दुल्ला को किसने छोड़ा ? उन को आप की सरकार ने आप के नेताओं ने छोड़ा, हमने पाकिस्तान को मंजूर नहीं किया, देश का बंटवारा हम ने नहीं कराया यह सारी मुसीबतें आप की खड़ी की हुई हैं और दोष लगाते हैं, हम पर और फिर चाहते हैं कि हम बोलें भी नहीं, हमारी जबान बन्द रहे। हम से धोखा और दगाबाजी की जाती है और छाती पर हाथ रखकर लाखो दगाबाजी के काम किये जाते हैं अगर कोई सही मानों में प्रजातांत्रिक सरकार होती तो वह डूब मरती। साढ़े ३ बजे तक यही बात मंत्री से चलती रही कि मोहर्रम की वजह से स्थगित कर रहे हैं और हो सकता था कि एक सप्ताह के लिये स्थगित किये जायें। उस वक्त तक आश्वासन देते वक्त तक उन को पता नहीं था कि क्या आदेश दिये जा चुके हैं। उनको मैंने और श्री भगवान दास यादवेन्दु ने बताया कि इस प्रकार के तार जा चुके हैं। इस पर श्री गुरुदेव सिंह से पूछा कि क्या वाकई इस प्रकार के तार जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि साढ़े सात बजे से ११ बजे तक इस तरह का तार भेजा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा चुका है। हर जिला अधिकारी को इस स्थगन की सूचना भेजी जा चुकी थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के आदेश की क्या जरूरत थी और क्या अधिकार सरकार को था और सदन में सरासर झूठ बोला गया कि अभी पोस्टपोन नहीं किया गया है और पोस्ट-पोन करने के बारे में विचार करेंगे। अगर इस तरह के लोगों के हाथ में देश और सूबे की किस्मत रहेगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या भयंकर परिस्थिति हो सकती है।

इस के अलावा इस वक्त सदन की बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है इसलिये आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं तो आप ने क्यों ऐसा आदेश जारी किया और एलेक्शन स्थगित किये। आप आर्डिनेन्स के द्वारा ९,१०,११ को कानूनी रूप इस को दे लेंगे। किस आधार पर यह आप कर रहे हैं ? आपने कोई सूचना दी, कोई राय सदन की ली ? मौजूदा कानून में सरकार का वादा था कि ३० जून सन् ६४ से पहले सारे प्रान्त में एलेक्शन पूरे हो जायेंगे। उस कानून के होते हुए और अध्यादेश जारी न करके यह संशोधन न ला कर आपका क्या अधिकार था कि इस प्रकार का आदेश जारी करें ? अगर इस तरह से धोखे की नाव चलानी है तो यह सरकार चलने वाली नहीं है। हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई बौम्बशैल गिरे या न गिरे, लेकिन आपके अन्दर विस्फोट होने वाला है। मैं तो कहता हूं उधर से कुछ लोग उठें जो चेयरमैन हैं, उन्हें खुश करने के लिये, पार्टी को मजबूत करने के लिये यह सारा खेल रचा गया है। माननीय मुख्य मन्त्री ने अभी ४, ६ दिन पहले जगह-जगह घूम कर यह आश्वासन दिया कि चुनाव होंगे। लेकिन समझ में नहीं आता कि यहां आते ही क्यों बदल गयी। अगर चन्द आदमियों को खुश करने के लिये तमाम प्रान्त के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा किया जाता है चुनाव पोसपोन करके, तो यह खतरनाक बात है। पोलिंग अफसर, बूथ्स, स्टेशन्स और इलेक्टोरल रोल्स तैयार हो चुके उसके बाद आदेश जाता है कि चुनाव पोसपोन। लाखों रुपया जनता का खराब हो गया इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? ४, ६ चेयरमैनों की जिन्दगी बढ़ाने के लिये यह सारा ढोंग रचा गया है।

हमारे ऊदल जी कहीं फंस गये दस्तखत करने में। मैंने अपनी पहली स्पीच में माननीय बी० बी० शरण की इस बात पर कि यह बहुत छोटा सा संशोधन है इसको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है, यह कहा था कि जितना छोटा उतना खोटा। इस मासूम संशोधन के अन्दर प्रान्त को लूटा जा रहा है। हमारे यहां सहारनपुर म्युनिसिपैलिटी के अन्दर मास्टरनियों की इज्जत को बागों में जीप पर ले जा कर लूटा जाता है। ऐसी हालत में आप उन लोगों की जिन्दगी बढ़ाने में मदद करें तो आपको यहां बैठने का अधिकार नहीं है। मैंने लिख कर दिया मन्त्री जी ने कहा कि हम तमाम बीमारियों को सहारनपुर की जानते हैं, लेकिन चूंकि चुनाव हाल ही में होने वाला है इसलिये इसको लेना उचित नहीं समझते। मैंने कहा था कि बोर्ड का रुपया पानी की तरह लुटाया जा रहा है, ७ करोड़ रुपया बरबाद किया गया, डेढ़ लाख रुपया बुत लगाने के लिये लुटाया गया, जबकि वहां के बिजनेस को खत्म करते जा रहे हैं।

आज हमारे यहां का चेयरमैन लाखों में खेल रहा है। हिमाचल प्रदेश से ५० लाख रु० की लकड़ी की चोरी हुई जिसमें से काफी लकड़ी इन चेयरमैन महोदय के घर में निकली और यहां के एक भूतपूर्व मन्त्री ने कह कर उस मुकदमे को रुकवाने की कोशिश की। हमारे यहां के चेयरमैन दो दफा दिवालिया हो चुके हैं, १९४२ में एक दफा हुए और उसके बाद सारे खानदान की १९५७ में यह हालत थी कि रोटी को तरस रहे थे। लेकिन हमारे भूतपूर्व माननीय मन्त्री के आदेश के बाद उनकी किसमत सुधरी और वे चेयरमैन हो गये। पैसे की माया है। आपकी हुकूमत थी जो आपके मेम्बर थे वे जीत गये। वे केवल २२ या २१ वोट हासिल कर पाये। अब उनके पास १ करोड़ रुपया नकद मौजूद है। इन्कम टैक्स वालों से १ १/२ करोड़ इन्कम टैक्स का एक्सेस पकड़वाया। अतः हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं तो इस बोर्ड को तोड़ दीजिये और अपने हाथ में ले लीजिये।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

माननीया तारा अग्रवाल स्वयं सहारनपुर गयी थीं और उन्होंने खुद देखा और उस सिलसिले में उनके सामने प्रूफ भी दिये गये कि भंगी कालोनी और लो पेड स्टाफ कालोनी बनवाने में ५ लाख रुपये का गबन उसके अन्दर हुआ, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ? जितना जो मनुष्य बेईमान होता है उसको और उतना ही प्रोत्साहन दिया जाता है। अभी-अभी २ लाख ३६ हजार और उसकी झोली में डाल दिया। श्रीमन्, अगर यही हालत रही तो और बुरे परिणाम होंगे। बाहर जाकर हम कोशिश करेंगे कि सरकार के विरुद्ध जो कुछ भी कह सकते हैं वह कहेंगे कि इस सरकार ने कसबों और शहरों के रहने वालों को बेईमानों के हाथ में सौंप रखा है। ऐसी सरकार को जल्द पलट देना चाहिये। यह ऐसी सरकार नहीं है कि जिसको रखा जाय।

*श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो दो भाषण इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में हुए उनको मैंने बड़े गौर से सुना और मैं केवल इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय त्रिपाठी जी का कहना है कि अगर चुनाव ३१ मई तक नहीं हो सकते तो जनतन्त्र की रीढ़ टूट जाती है। यह उनका तर्क मेरी समझ में नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि २ माह या ३ माह की अवधि में अगर जनतन्त्र की रीढ़ टूट जाती है तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। मई में वह जनतन्त्र की रक्षा है लेकिन जुलाई अगस्त में जनतन्त्र के विरुद्ध आवाज लगाना केवल कोरी दिखावे की बात है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक ही चीज दुहराई गई कि म्युनिसिपल बोर्ड में बहुत खामियां हैं चेयरमैन की गल्ती है और मेम्बरों ने धूर्तता की है। इन कैफियतों के फलस्वरूप हम बिलकुल लंगड़े हो गये हैं और हमको एक वोट नहीं मिलने वाला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह आर्गुमेंट सही है तो उनको दो महीने का मौका और मिलता है। अत्याचार और बढ़ेगा और उनको मौका मिलेगा हमारी कमजोरियों को चित्रित करने का और हम जब चुनाव करायेंगे तो वह चीजें आपके पक्ष में होंगी। तो फिर आपको क्या परेशानी है ? कोई भी अवसर आये, कोई भी बात इधर से उधर की जाय बस जनतन्त्र खतरे में हो जाता है। जिला परिषदों के चुनाव में यही बातें दोहराई गयीं, त्रिपाठी जी ने वही बातें आज दोहराईं। मैं पूछता हूं कि अन्ततोगत्वा जो जिला परिषदों के चुनाव हुए, उसमें क्या नतीजा निकला, उससे आप परिचित हैं। म्युनिसिपैलिटीज में हम सब गिर जायेंगे, आप तीर मार ले जायेंगे तो दो महीने बाद वह अवसर आयेगा ही। आप देख लीजियेगा।

ब्रह्मदत्त मायर जी ने ए से ले कर जेड तक खराबियां बतला डालीं और ऐसी बातें कहीं जैसे आज सो कर जगे हों। उन्होंने कोई मुकदमा दायर नहीं किया। कल तक दस्तखत कराते फिरते थे कि न रुकें और आज यह नौबत आ गयी। वह बड़े भारी तीरन्दाज हैं। हम जनतन्त्र को नहीं जानते हैं और जनतन्त्र का गला घोंट रहे हैं और आप उनकी हिफाजत कर लेंगे। जो बातें कही जाती हैं उनका कोई प्रमाण नहीं और न कोई उनका औचित्य है।

यहां कहा गया कि नेता विरोधी दल से परामर्श करने के बाद उन के परामर्श की अवहेलना की गयी। मैं उस सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारी नहीं रखता। इसका उत्तर मुख्य मन्त्री जी देंगी। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि गर्मी के दिन चुनाव के लिये सुविधाजनक होते हैं अथवा जाड़े, बरसात के दिन ? गर्मियों में जनता को बड़ी असुविधा होती है। फिर लिखित प्रार्थना-पत्र आये हैं। अगर सरकार ने मंजूर कर लिया और दो महीने बाद चुनाव कराती है तो यह निहायत जनतांत्रिक कदम है, उसका संरक्षण करने वाला कदम है। हां आप जितना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहें डेमोक्रसी के विरोध में कह लें, अपनी पार्टी के प्रचार के लिये कह लें और दो महीने का वक्त मिल कर और अधिक अवसर आपको मिल गया है। फिर घबराहट किस बात की है? इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से दो भाषण सुने और सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य का एक भाषण सुना। सवाल दो महीने चुनाव हटाने का नहीं है, सवाल है जनतन्त्र में आस्था का, सरकार की कथनी और करनी में फर्क का। यह एक मौलिक, सैद्धांतिक और बुनियादी प्रश्न है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि एक महीना हट गया या दो महीने हट गया तो उससे क्या। ये तो थोथी और गलत दलीलें हैं जो जनतन्त्र के प्रेमियों को नहीं देनी चाहिये। कल जब स्वायत्त शासन मन्त्री से हमने बात की---मैं भी चला गया था दुर्भाग्य से अपने नेता और साथी के साथ---तो उनकी तीन दलीलें थीं चुनाव टालने के लिये। पहली दलील तो यह थी कि गर्मी बहुत ज्यादा है। दूसरी दलील यह थी कि शेख अब्दुल्ला तोप दाग देगा सारे हिन्दुस्तान में और उसमें हिन्दू मुस्लिम रायट्स हो जायंगे। तीसरी दलील यह थी कि इस वक्त बड़ी मुश्किल है, तैयारी में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। इसके अलावा और कोई दलील नहीं थी। जहां तक गर्मी का सवाल है, तो पार साल गर्मी में ही फर्रुखाबाद में चुनाव हुआ था डाक्टर राममनोहर लोहिया का, आचार्य कृपालानी का भी तपती हुई लू में चुनाव हुआ था। राजकोट का भी गर्मी में ही चुनाव हुआ था। तो गर्मी का बहाना लेना गलत और फिजूल की बात है। दूसरे यह कि शेख अब्दुल्ला अभी छोड़े गये हैं, साम्प्रदायिक तनाव हो जायगा। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कोई चुनाव नहीं लड़ा जायगा, वह तो व्यक्तिगत तरीके से चुनाव में हिस्सा लेंगे। हम लोगों ने कहा कि हम लिख कर देते हैं और उस राजनीतिक दल के नेता ने, जिसको कहा जाता है कि वह साम्प्रदायिक तनाव पैदा करेगा, यह लिख कर दे दिया कि अगर कोई साम्प्रदायिक तनाव हो जायगा तो जिम्मेदारी हमारी होगी। इस से आगे और क्या हो सकता है? तो ऐसी थोथी दलीलें देना जनतन्त्र पर कुठाराघात करना है।

इसके अतिरिक्त आप सब लोग भुलावे में हैं। इस सरकार की कभी नीति चुनाव कराने की नहीं थी। मैं आपको बताऊं। हमारे यहां मथुरा म्युनिसिपैलिटी में जनसंघ के लोग वोट मांगते फिरते थे। म्युनिसिपैलिटी में जनसंघ के लोग बड़े सक्रिय होते हैं। तो जनसंघ वाले तो वोट मांगते फिरते थे और कांग्रेस वाले कह रहे थे कि यह कहां पास है, अभी चुनाव भी होंगे? इसका मतलब यह हुआ कि विरोधी पक्ष के लोगों को आज या कल मालूम पड़ा और सरकारी पक्ष की यही साजिश थी, उसके हर कार्यकर्ता को मालूम था कि चुनाव नहीं होंगे। तो चुनाव कब होंगे? जब उपयुक्त अवसर तलाश किया जायगा तब होंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव में आप बहुमत में आ सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव में यह सरकार बहुमत में नहीं आ सकती चाहे वह पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद् का चुनाव हो और चाहे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो। आप एक बहाना तलाश कर रहे हैं। अभी अप्रत्यक्ष चुनाव का मौका मिल जाय तो जून में भी आप चुनाव करा लेंगे। वोटरों की तकलीफ का आपको बहुत खयाल है और आपके अन्दर जो छुरेबाजी हो रही है। यह मई का महीना है, नवम्बर या दिसम्बर का महीना नहीं है। अभी आपने मंडलों के और पी० सी० सी० के चुनाव कराये हैं जिनमें लाठी और जूते चले हैं। इसमें आपका मई, जून का बहाना कहां चला गया था। आपका चुनाव हो, तो क्या जाड़ा पड़ने लगता है? तो ऐसी दलील देना जनतन्त्र का अहित करना है।

यह सरकार क्या-क्या कुकर्म नहीं कर रही है। इसी सदन में एक बार आचार संहिता इस सरकार ने बनायी। लेकिन अपने ही वायदे से यह सरकार हट गयी। इसके अलावा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

जब-जब जो-जो इस सरकार ने कहा उसके विपरीत हुए सारे काम। जिला परिषद् के चुनाव सन् ६२ में बड़ी मुश्किल से कराये और वह भी चुनाव नहीं कराये बल्कि चोर दरवाजे से अप्रत्यक्ष चुनाव करा के सार परिषदों पर कब्जा कर लिया। तो स्वायत्त शासन मन्त्री जी, आप हमार इतने गुस्से के भाजन न होते, यदि आप चुनाव करा देते। सारे विरोधी लोग चुन कर आते। फिर आप उन्हें लोभ दे कर तोड़ लेते। यह प्रथा तो आपने डाल ही दी है।

गांजे का तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में फर्जी बहियां पेश करने वाले को आपने अपने दल में ही लिया है। फिर आपको डर काहे का है। यह तो आपने बड़ी भारी गलती की है। जनसंघ वाले चुनाव कराते, हम लोग चुनाव कराते और दूसरी पार्टी वाले चुनाव कराते, लेकिन आप तो तोड़ ताड़ कर सब ठीक कर लेते। मैं आप से कहता हूं कि जनतन्त्र की जननी ब्रिटेन है। वहां पर सरकारी पार्टी के लोग किसी को तिकड़म तथा लालच से कभी भी किसी विरोधी पार्टी को नहीं हटाते हैं। इस प्रकार की आचार संहिता उनके यहां बनी हुई है और वे उसका पालन करते हैं, लेकिन आप के यहां जो आचार संहिता बनी हुई है उसको तोड़ देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार तो हम धोखे में आ गये। लेकिन अब हम कभी बातों में नहीं आयेंगे। माननीय शान्तिप्रपन्न जी टेलीफोन कर रहे थे कि हमारा स्टेटमेंट ठीक कर देना, चुनाव नहीं होंगे। छाप देना कि हमने बयान नहीं दिया। लेकिन अब सरकार कहेगी तो हम कहेंगे कि यह सरकार झूठी, बेईमान और गलत कार्यवाही करने वाली है। यह बात हम रोज कहा करेंगे। अब मैं क्या कहूं क्या न कहूं। जो मौलिक प्रश्न था उसकी आपने हत्या कर डाली। उसका आपने गला घोंट डाला।

एक बात और है। मन्त्री जी कहते हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं है। उधर मुख्य मन्त्री जी के यहां से तार चला गया कि चुनाव टल गये। साढ़े तीन बजे नेता लोग ताकते रह गये और ढाई बजे तार चला गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले मालूम हो गया, लेकिन सदन में घोषणा होती है कि नेताओं से बात करेंगे और कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। बहाना यह लिया कि ऊदल जी ने कह दिया। वह कह दें कि आप लोग कम्युनिस्ट हो जायं तो हो जाइये। व्यर्थ के बहाने क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि हमने कहा जरूर था लेकिन अपनी बात वापस ले ली। किसी भी विरोधी पार्टी ने नहीं कहा। जनतन्त्र में यह चीज नहीं होनी चाहिये। हमें तो ऐसा लगता है कि जब १९६७ में जनरल इलेक्शन होंगे तो कहीं ऐसा न हो जाय जैसा कि आजकल लोग कहने लगे हैं कि चीन और पाकिस्तान हमला करने वाले हैं, इसलिये चुनाव ही न कराये जायं। यह सारे कुकर्म सरकार कर सकती है। इस सरकार को ठीक करने का एक ही उपाय है कि हर जगह इस सरकार का विरोध होना चाहिये। सब लोग संगठित होकर एक यज्ञ रचायें और इस सरकार को पलट कर जनतन्त्र में आस्था रखने वाली सरकार बनायें। सरकार गलती पर गलती करती चली जा रही है। यह गलती करती है और सीनाजोरी भी करती है। यह गलती करेगी और उपदेश देगी कि हमने ठीक किया है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। स्वास्थ्य मन्त्री जी वैसे ही दुबले पतले आदमी हैं और यह सरकार आपको निकाल बाहर करेगी। इसलिये आप अपने मन्त्रित्व काल में ऐलान कर दीजिये कि चुनाव उसी तिथि पर होंगे। इससे आपकी मर्यादा बढ़ेगी आप लोग बहुमत में पहुंचेंगे इसमें कोई शक नहीं है, चाहे आप किसी संघ के द्वारा आयें। आप मई जून में चुनाव कराइये। अगर हम खत्म हो जायेंगे तो आप भी खत्म हो जायेंगे। सबके लिये बराबर अवसर की बात होगी।

इस तरह से गलत बहाना न लीजिये। जो तिथि आपने निश्चित की थी उसी को चुनाव करवाइये। कल ऐसा मालूम होता था कि विरोधी दल के लोग सरकार से सौदा कर रहे थे। एक तरफ से कहा जाता था कि एक रुपये का एक सेर और दूसरी तरफ से कहा जाता था १४ छटांक ही ले लो। विरोधी दल के नेता ने कहा कि अभी नहीं करवा सकते हो तो १५ दिन और हट जाओ। मतदान का हिसाब बता दिया, सारा हिसाब बता दिया कि इस तरह से हो सकता है। स्वायत्त मन्त्री कुछ सोच रहे थ लेकिन जो सचिव आये थे उन्होंने फटाक से कह दिया कि इस

तरह से नहीं हो सकता, चूंकि टेलीग्राम पहले ही हो चुका था। आपने शेख अब्दुल्ला और गर्मी का बहाना तो ले लिया और हम यह भी जानते हैं कि आपका आंतरिक संगठन विद्रोह पर है। हम मानते हैं कि बड़ी पार्टी है, सब पार्टियों पर संकट आते हैं। लेकिन अब सदन में जो घोषणा करें वह ऐसी हो जिसमें कथनी करनी में समानता हो सके। पर फिर भी आप नहीं करेंगे क्योंकि आप तिकड़म ढूंढ़ते रहते हैं। अगर इस तरह की तिकड़म ढूंढ़ी जायगी तो विरोधी पक्ष भला क्या करे? कोई भी इज्जतदार और शर्मनाक सरकार होती तो इस्तीफा दे कर चली जाती। मन्त्री तो इस्तीफा दे ही दिया करते हैं। माननीय स्वायत्त मन्त्री को मैं क्या कहूं। कमजोर और बीमार रहते हैं। आप अपनी सरकार से कहें कि सदन में जो भी घोषणा हो उसका अक्षरशः पालन होना चाहिये। सरकार के सारे गलत काम हैं। कल मैं अध्यक्ष के कमरे में बैठा था। वह कह रहे थे कि नैनीताल को चलना चाहिये। दलील क्या थी कि वहां स्वास्थ्य ठीक हो जायगा। डेढ़ दिन में क्या स्वास्थ्य ठीक हो जायगा? और क्या दलील थी? कमरे सब टूट गये। क्या कामन रूम भी सब टूट गये? और क्या दलील थी? भाई, सैर सपाटा हो जायगा। आपकी सारी मनोवृत्ति नौकरशाही और सामान्तवादी रहती है। इस तरह मदमस्त होकर हाथी की तरह से सोचा करते हैं। जो बात कहें उसको करना चाहिये और जो न करना हो उसको न कहें। जनतन्त्र में आस्था बढ़ाने के लिये ईमानदारी होनी चाहिये। मैं यह कहता हूं कि जब जो घोषणा करें, माननीय स्वायत्त मन्त्री महोदय, बिल्कुल ईमानदारी से ठीक तारीख बताएं। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करूंगा और यह आशा करूंगा कि सरकार हमारी बात का खयाल करे और जनतन्त्र की सही आस्था को कथनी और करनी के रूप में बदले।

*श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्रों की बहस सुनी। माननीय माधो प्रसाद जी त्रिपाठी, मायर साहब, और बड़े नौजवान साथी माननीय राधेश्याम ने बड़ी जोशीली स्पीच दी। जितने ऐडजेक्टिज बुरी तरह के हो सकते हैं वह कोई बाकी नहीं रहे—झूठा, बेईमान, नाकारा—इसके बाद शायद कोई शब्द उनके कोष में शेष रहा नहीं। मैं आपको और आपके माध्यम से इस सदन को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि यह चुनाव जो स्थगित किया गया है वह दो कारणों से। एक कारण तो स्पष्ट है कि इस सदन के विरोधी पक्ष के कुछ लोगों का यह मत है कि चुनाव होना चाहिये और कुछ लोगों का यह मत है कि चुनाव गर्मी में नहीं होना चाहिये, गर्मी के बाद होना चाहिये।

(व्यवधान)

खैर, वह ठीक है। आपकी बात मान ली। और हम में से भी कुछ लोगों का मत है कि चुनाव होना चाहिये और कुछ लोगों का मत है कि चुनाव नहीं होना चाहिये और दूसरा सबसे प्रमुख कारण जो है वह यह कि हमने, कांग्रेस ने और कांग्रेस सरकार ने यह खतरा पाया और बड़ा मजबूत खतरा पाया कि अगर अभी चुनाव हो जाता है तो लोकल बाडीज में स्वस्थ विरोधी दल नहीं बनने वाला है क्योंकि परेशानी है उनके अन्दर, जनसंघ में आर० एस० एस० का झगड़ा चल रहा है, स्वतन्त्र पार्टी में ताल्लुकेदारों और छोटों का झगड़ा चल रहा है। हमारा तो चुनाव चल रहा है। श्रीमन्, पंचायतों के चुनाव में आपने देखा, ब्लाकों में आपने देखा, जिला परिषदों में देखा, कारपोरेशन में देखा, दिल्ली में देखा, लखनऊ में देखा और हमारा चुनाव आप आज देख रहे हैं कि प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना, दुर्योधन प्रसाद और नरसिंह नारायण पांडेय, इतने बड़े-बड़े स्टालवार्ट्स हमारे चुनाव में आ गये, हम तो रोज चुनाव कर रहे हैं। आप कहते हैं हम हारे। हम हारे किस जगह पर? पंचायतों में नहीं हारे, ब्लाक्स में नहीं हारे, परिषदों में नहीं हारे, सरकार में नहीं हारे, दिल्ली में नहीं हारे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जे० पी० मिश्र]

जून के बाद आप देखेंगे कि ४० और बढ़ जायेंगे। तो हम हारे कहां? हम तो प्रजातन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं। आज कम्युनिस्ट पार्टी में दरार-दो पार्टियां, स्वतन्त्र पार्टी में दरार-दो पार्टियां, पी० एस० पी० में दो पार्टी, एक हमारे सिद्धांतों को मानने वाली, एस० पी० घुटने टेके हुए है, जनसंघ परेशान है, तो श्रीमन्, विरोधी पक्ष, स्वस्थ विरोधी पक्ष कैसे बनेगा? चुनाव तो हम करा दें। आठ-आठ पार्टियां कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। आपका स्वतन्त्र नागरिक संघ बनेगा कैसे? आप कहेंगे आर० एस० एस० जाना चाहिये, वह कहेंगे कि जनसंघ जाना चाहिये, इसलिये प्रजातन्त्र के महान सिद्धांतों की रक्षा के लिये चुनाव हम स्थगित कर रहे हैं और मैं कहता हूं कि मैं माननीय चतुर्भुज शर्मा की सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना मौका दिया, दो चार छः महीने का ताकि विरोधी पक्ष के राधेश्याम शर्मा टाइप के जो लीडर हैं उनको पूरा मौका मिल जाय अपने को ठीक करने का। नहीं तो आठ-आठ टुकड़े में आप होंगे तो क्या करेंगे? इसलिये प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा में हमने कदम उठाया है, विरोध में नहीं।

एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जनसंघ की ओर से माननीय माधो प्रसाद त्रिपाठी का निकल गया कि सारा चुनाव आप भूमि भवन कर पर लड़ेंगे। आपके पास और तो कुछ है नहीं, न कोई सिद्धांत है, न कोई आदर्श है, बस केवल भूमि भवन कर ९० लाख रुपये का। पूरा उत्तर प्रदेश आप भूमि भवन कर पर बदल देंगे, सारी लोकल बाडीज को आप भूमि भवन कर पर बदल देंगे। हम श्रीमन्, समाजवाद के सिद्धांत को मानते हैं। हमने छोटों को छोड़ दिया है और माननीय माधो प्रसाद जी के खानदानी जो बड़े हैं उनको टैक्स किया है और उससे हम बाज नहीं आयेंगे उनको टैक्स करने से। एक नहीं एक हजार आन्दोलनों का मुकाबला करेंगे, बड़े लोगों के खिलाफ कदम उठाने से हम बाज नहीं आयेंगे और त्रिपाठी जी का जो सिद्धांत है, मैं कहता हूं कि जब तक यह कांग्रेस कामराज जी के सिद्धांतों पर चलेगी या चलना शुरू करेगी, मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह विरोधी दल लिक्विडेट हो जायगा और मैं यह आपके सामने एलान करता हूं कि ३१ दिसम्बर, १९६४ में इनकी तादाद देख लीजियेगा, कितनी बचेगी, यह रोज टूटते जा रहे हैं, रोज टूटते जायेंगे।

(व्यवधान)

माननीय उग्रसेन जी बड़े पुराने नेता हैं, और मेरे बड़े मित्र हैं और समाजवादी हैं, लेकिन हमारी सोशलिस्ट पार्टी का नक्शा भी एक अजीबो गरीब है।

एक अजीबोगरीब परेशानी है। डालमिया—जैन ग्रुप के लोग गिरफ्तार हुए। यहां से टेलीग्राम पहुंचा और विवियन बोस कमीशन के विरुद्ध एक पेटीशन पेश कर दी गई। क्या यह हिन्दुस्तान में किसी से छिपी हुई बात है कि ४, ४ लाख रुपया सोशलिस्ट पार्टी के लोगों के निर्वाचन क्षेत्र में खर्च हुआ और १५, १५ जीप राजनारायण सिंह के निर्वाचन में लगीं? मैं तो एक सच्चा कार्यकर्ता हूं, लेकिन उग्रसेन जी बदल गये हैं, इनका इतिहास बदल गया है, पार्टी बदल गई है, इनके उसूल बदल गये हैं। मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि मैं बड़ी इज्जत करता हूं अपने मित्रों को, लेकिन सिद्धान्त के आधार पर अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो यह आपको दिया गया फायदा उठाने का कि विरोधी पक्ष संगठित हो जाय। जो आपस में बटवारे की बात है, जो आपस में पार्टी बाजी की बात है, वह समाप्त करने की चेष्टा की जाय।

हमारे ऊपर पार्टी बाजी का चार्ज नहीं है। हम पार्टी बाजी करते हैं तो बढ़ते हैं और आप पार्टी बाजी करते हैं तो आप घट जाते हैं। आपको पार्टी बाजी नहीं करना चाहिये और आपकी पार्टीबाजी आपके लिये खतरनाक है। बाहर से आपको पार्टीबाजी कांग्रेस में दिखाई पड़ती है लेकिन वास्तव में कांग्रेस सरकार में कोई पार्टीबाजी नहीं है। पी० सी० सी० के चुनाव में भी कोई पार्टी नहीं है। आपको बड़ा भ्रम है। हम बन्द कमरे के अन्दर लड़ते हैं, लेकिन आपके मुकाबले में एक हो जाते हैं। आपको यह गलतफहमी है। हमारी लड़ाई हमारे घर की लड़ाई है

प्रजातन्त्र का यह उत्थान है। हर शख्स प्रजातन्त्र में उठना चाहता है और अपनी शक्ति को देखना चाहता है अपने घर के अन्दर। पी० सी० सी० के हमारे चुनाव का इन बातों से कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि सन् ६७ तक आपकी संख्या बहुत कम हो जायगी और ४०–४५ ही रह जायगी। यह हमारे सिद्धांत की जीत है। हमारे चुनाव को असेम्बली में देखना चाहिये और आगे भी ६७ में हमारे चुनाव को देख लीजियेगा। हमारे चुनाव देखने के लिये आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है।

हमारे मित्र माधो प्रसाद जी त्रिपाठी ने चुनाव के लिये जो दलील दी है वह कोई कन्विन्सिंग दलील नहीं है। यह ६ महीने का समय विरोधी पक्ष को दिया गया है कि वह अपने को संगठित कर लें। हमने न ग्राम सभा का चुनाव लड़ा है, न ब्लाक का चुनाव लड़ा है, न जिला परिषद् का चुनाव लड़ा है और न लोकल बाडीज का चुनाव लड़ेंगे। हम तो एक ही चुनाव लड़ते हैं और खम ठोक कर वह चुनाव लड़ते हैं। जनवरी, १९६७ में फिर ताकत आजमाई होगी। हमारे सामने कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। मैं अपने माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको यह जो समय मिला है वह प्रजातंत्र के हित में है, विरोधी दल के हित में है, प्रजातंत्र की रक्षा में है। आप कृपया दिखा दें कि आप का स्वस्थ विरोधी पक्ष कितना मजबूत है। जब तक आप यह विश्वास नहीं दिलायेंगे तो प्रजातंत्र के हित में काम नहीं हो सकता है। प्रजातंत्र के हित में आप काम करना चाहते हैं तो अपने को संगठित कीजिये। जब तक आप बिखरे रहेंगे तब तक जनता के हित का नुकसान होगा, प्रजातंत्र की हत्या होगी और प्रजातंत्र के सिद्धान्तों पर पूरा अमल नहीं हो पायगा। उनका पालन नहीं हो पायगा। आप इस बात का एलान . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मिश्र जी अभी जो लम्बीचौड़ी तकरीर फरमा रहे थे उसमें उन्होंने बतलाया कि हम लोग पार्टीबाजी करते हैं। उनकी पार्टीबाजी का नमूना मैं अभी पेश करना चाहता हूं जो एक पुलिस की रिपोर्ट में है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[× × × ×]

श्री जे० पी० मिश्र—

ठीक है, अब सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों को भी अक्ल आनी शुरू हुई है। अभी तक तो अक्ल बाहर थी। अभी तक तो मिनिस्टरों पर चोट करते थे, अब बराबरी पर उतरे हैं। तो मैं भी देवरिया, मथुरा के और बलिया के इलाके की रिपोर्ट आपके सामने दूंगा, यह मेरा दावा है।

श्री उपाध्यक्ष—

मिश्र जी, इस प्रस्ताव के संबंध में कहिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मिश्र जी ने लगभग १४ मिनट लिये, १० मिनट तक ऐसी बातें कहीं जो ऐड-जर्नमेंट मोशन से संबंध नहीं रखती थीं। अगर रखती होतीं तो ऐसी नौबत नहीं आती।

श्री उपाध्यक्ष—

१४ मिनट में से कम से कम ७ मिनट उन्होंने (सोशलिस्ट दल की ओर इशारा करके) ले लिये। इनको बोलते हुए १८ मिनट हुए उसमें से ७–८ मिनट उन्होंने ले लिये।

[× × × ×] श्री उपाध्याय की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री दीपनारायण सिंह ---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें ,लेकिन उसका उन्हें टाइम आप को देना होगा ।

श्री दीपनारायणसिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय गम्भीर स्थिति से हम गुजर रहे हैं, सदन की इज्जत का सवाल है, दूसरों से झगड़ा है, तो क्या इस प्रकार स्टैन्डर्ड जो माननीय जे० पी० मिश्र या इधर के लोग यहां पर दिखा रहे हैं अपने भाषणों में आप की सदारत में, क्या उससे सदन की गरिमा आगे बढ़ती है ?

श्री उपाध्यक्ष---

माफ कीजिये, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मिश्र जी, आप दो मिनट में खत्म कीजिये ।

श्री जे० पी० मिश्र---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अन्याय मेरे साथ न हो । तो माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कह रहा था कि कांग्रेस सरकार ने या कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला इस किस्म का नहीं लिया है जो प्रजातंत्र या जनहित के खिलाफ हो (व्यवधान) जब मैं मीठी बात कहता हूं तब भी नहीं सुनते । तो जो कुछ भी किया गया है बहुत सोच समझ कर माननीय विरोधी दल के सदस्यों की राय से, आम जनता की राय से, हजारों टेलीग्राम, रिप्रेजेन्टेशन और जनप्रतिनिधियों के नाते से यह सब कुछ हुआ । बाकी डिटेल्स तो मंत्री जी बतायेंगे । मैं यह आप से निवेदन करूंगा कि अभी चुनाव के लिये ३-४ महीने हैं, आप लोग एक स्वस्थ विरोधी पक्ष तैयार कीजिये ।

एक सुझाव मैं देना चाहता हूं । ५ वर्षों के अन्दर कई तरह के चुनाव होते हैं और हर साल होते हैं, कभी जिला परिषद् का चुनाव, कभी पंचायत का चुनाव, कभी किसी चीज का चुनाव यानी साढ़े चार साल का समय चुनाव में ही निकल जाता है । आप ६ महीने का समय चुनाव के लिये रख दीजिये जिसमें सभी चुनाव हो जाने चाहिये । ताकि जनता की सेवा साढ़े ४ साल तक की जा सके । और जनता के दिलो दिमाग रचनात्मक कामों की तरफ लग सकें ।

(श्री लखपतराम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उग्रसेन---

हमारा भी प्रस्ताव था, हमें बोलने के लिये मौका मिलना चाहिये ।

श्री रक्षपाल सिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी तक चुनाव स्थगित होने की कोई विधिवत घोषणा सरकार ने नहीं की है ....

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठें, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

श्रीमन्, अभी माननीय मिश्र जी ने उस पक्ष को मजबूत बनाने के लिये दलीलें दीं, मैं श्रीमन्, आप को बतलाना चाहता हूं कि जब हिन्दुस्तान का इतिहास लिखा जायेगा आजादी का, तो उसमें यह काल अक्षरों से लिखा जायगा कि जब चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया था,

उस समय भी कांग्रेस पार्टी के अन्दर दो गुट थे और वह कुर्सी के लिये लड़ रहे थे, जब कि विरोधी पक्ष का हर इन्सान एक साथ आजादी की रक्षा के लिये खून पसीना एक करने के लिये तैयार था।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी द्वारा और मुख्य मंत्राणी जी द्वारा गलत आश्वासन दियें गये। यह घोषणा की गयी कि चुनाव समय से होंगे। ६ अप्रैल को रेडियो से एलान किया गया कि ६ तारीख को म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के लिये पर्चे दाखिल किये जायेंगे। प्रान्त के अन्दर हजारों रुपये खर्च कर के वोटरों की लिस्टें खरीद ली गई, चुनाव प्रचार शुरू कर दिये गये। लेकिन, श्रीमन्, पता नहीं, कौन सी कामराज योजना आयी जिसने इन गांधी जी के चेलों को यह छूट दे दी। आज वास्तव में कांग्रेस इस हालत में नहीं थी कि वह चुनाव लड़ सकती इसलिये चुनाव कराने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी के विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उतना भ्रष्टाचार तो हिन्दुस्तान के अन्दर अन्य किसी विभाग में नहीं होगा, पुलिस विभाग तक में उतना भ्रष्टाचार नहीं होगा। आपने जो फैसले लिये हैं वे अपनी पार्टी के नाम पर लिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप जरा धीमें बोलें कि जिससे आप की स्पीच रिपोर्ट हो जाय।

श्री लखपतराम शर्मा---

श्रीमन्, कोई बात नहीं है। उन्हें आदत पड़ गयी है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जब से वे इस आसन पर विराजमान हुए हैं, उत्तर प्रदेश की अनेक नगरपालिकाओं में जो फैसले हुए हैं, क्या उनके बारे में माननीय मत्री जी कह सकते हैं कि वे उन्होंने अपनी आत्मा से किये हैं? वे फैसले पार्टी के दबाव में नहीं किये हैं? पार्टी को मजबूत करने के लिये नहीं किये हैं? यहां बापू का पवित्र चित्र है जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई। क्या माननीय मंत्री जी बापू के चरणों की कसम खाकर कह सकते हैं कि दबाव में आ कर उन्होंने फैसले नहीं दिये? इस तरह से फैसले देना कितने अफसोस की बात है और इस तरह से फैसले देकर आपने देश को जहन्नम में डालने की चेष्टा की है। आप की कामराज योजना नागराज योजना के रूप में हमारे सामने आयी और बहुत से मंत्रियों को उसने डस लिया। लेकिन अफसोस है कि मंत्री जी उस नागराज योजना के शिकार नहीं हुए नहीं तो नगरपालिकाओं में इतने जुल्म और अंधेर न होते जो हम लोगों के साथ आये दिन म्युनिसिपैलिटियों में किये जा रहे हैं। हर जगह बेईमानी, लूटमार, भ्रष्टाचार नगरपालिकाओं में बढ़ रहा है। अगर आप गरमी में चुनाव कराने से डरते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े प्रान्त की जिम्मेदारी आप कैसे संभाल सकते हैं। आप गरमी में इन छोटे से चुनावों के कराने से डरते हैं लेकिन बड़े-बड़े इलेक्शन गरमी में हुए हैं। बात यह नहीं है। बात यह है कि आप जानते थे कि अगर इन दिनों में चुनाव कराये गये तो जमानतों के लाले पड़ जायेंगे। मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने हिन्दुस्तान की आजादी की बातें रख कर जनता से श्रमदान कराने को कहा, जनता ने श्रमदान कर दिया लेकिन माननीय मंत्री जी ने तो शरम को ही दान कर दिया। जब उन्होंने शरम ही दान कर दी तो फिर उसके पास बचा ही क्या? मैं पूछता हूं कि इस प्रकार की आज्ञा देने का आप को क्या अधिकार था? लेकिन आप के सामने तो चुनाव के नतीजे थे। आपने देखा कि पिछली बार आपने प्रेसीडेंट के डायरेक्ट चुनाव कराये और उसका नतीजा यह हुआ कि आपके उम्मीदवार हार गये। झट आपने डायरेक्ट चुनाव की पद्धति को बदल दिया। इसी तरह आपने ऐलान करा दिया कि ६ अप्रैल को पर्चे दाखिल होंगे, फिर कहा कि ११ मई को दाखिल होंगे। लेकिन इसके बाद न राज्यपाल महोदय ने कोई अध्यादेश जारी किया, न आप कोई विधेयक ही लाए और बिना इसके ही नगरपालिकाओं के चुनावों को स्थगित कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं यह आपने किस कानून के अनुसार किया? अगर मंत्री जी कहें कि हमें नहीं

[श्री लखपत राम शर्मा]

मालूम, तो आपकी नहीं चलती है तो आप इस सब झगड़े को छोड़ कर चित्रकूट चले जाइये और भगवद्भजन कीजिये। लेकिन अगर आप कन्ट्रोल कर सकते हैं तो क्यों नहीं म्युनिसिपैलिटी के भ्रष्टाचार को समाप्त करते हो अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस कुर्सी पर रहने के अधिकारी नहीं हैं। यह एक बड़ा भारी गंभीर प्रश्न है।

हजारों रुपये की वोटर लिस्टें आप ने बिकवा दीं। लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया, वोट मांगने शुरू कर दिये। लेकिन आपने धीरे से एक आदेश निकाल दिया कि चुनाव नहीं होगा। मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर जनतंत्र और हिन्दुस्तान की आजादी को कोई खतरा हो सकता है तो आपके द्वारा हो सकता है। आप ही अपने कार्यों से इस देश को जहन्नुम को भेज सकते हैं, विरोधी नहीं। जब मिनिस्टर की हैसियत से, मुख्य मन्त्री जी की हैसियत से एलेक्शन कराने का आश्वासन देने के बाद भी आये दिन इस किस्म की सदन में गलतबयानी की जाय और झूठ बोला जाय तो मैं पूछता हूं कि प्रजातंत्र कैसे कायम रहेगा और उसकी जड़ कैसे फैलेगी ?

आप को जानकारी होगी कि प्रान्त के अन्दर कई नगरपालिकायें ऐसी हैं जिसके अन्दर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर संगीन इल्जाम है, गबन का इल्जाम है और फिर भी वे वहां काम कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रान्त के अन्दर कई अध्यक्ष ऐसे ही हैं जिनका सम्बन्ध आपकी पार्टी से है, अगर आप चाहें तो सी० आई० डी० से इन्क्वायरी करा लें, उनको रोज अदालत के सामने जमानत के लिये हाजिर होना पड़ सकता है और वे जब चाहें तब गिरफ्तार हो सकते हैं। नगरपालिकाओं को आपने अपना एक खिलौना बना लिया है। आज इस विभाग के लिये विचित्र भाई जैसे ईमानदार मंत्री की जरूरत है। मेरी जानकारी में है कि एक बार कुछ लोग विचित्र भाई क पास आकर कहने लगे और इस बात की बड़ी कोशिश की कि अगर आप इस वार्ड का विभाजन इस तरह से कर दें तो कांग्रेस जीत सकती है वरना कांग्रेस हार जायेगी। इसका जवाब विचित्र भाई ने यह दिया कि चाहे सैकड़ों बार कांग्रेस हार जाये लेकिन मैं गलत तरह से वार्ड का विभाजन करने का यह बड़ा पाप नहीं करने वाला हूं। पुलिस विभाग व पी० डब्ल्यू० विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उन सब से ज्यादा भ्रष्टाचार आप के इस विभाग में है। आपके द्वारा नगरपालिकाओं में किसी तरह का सुधार नहीं हो सकता। इसलिये मैं आप से कहता हूं कि जनतंत्र के हित में यही है कि बराय मेहरबानी आप चित्रकूट चले जाइये और माला लेकर भगवान का भजन कीजिये। कहा गया कि गर्मी की वजह से इस चुनाव को स्थगित किया गया है। मैं आप से कहता हूं कि अगर आप इतने कमजोर व नाजुक है तो बराय मेहरबानी इस्तीफा दे दें क्योंकि आप जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं।

*श्री बेचन राम (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह कहा जाय कि सरकार इस चुनाव को इसलिये नहीं करा रही है कि उसका कोई दूषित मन्तव्य है, तो यह एक बहुत ही गम्भीर विषय बन जाता है। अभी हमारे इधर और उधर के साथियों ने इस विषय पर जो विचार विमर्ष किया उसको मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। हमारे माननीय राधेश्याम शर्मा जी ने बतलाया कि सरकार ने चुनाव को स्थगित करने के कारण सम्प्रदायिकता और गर्मी बतलाया है, लेकिन इसको भी हम सब को देखना है कि तथ्य क्या है। माननीय मायर जी ने भी बड़े जोरदार शब्दों में अपनी बात कही। प्रश्न यह है कि सरकार ने जो कारण दिये हैं, सरकार की स्थिति, कांग्रेस संस्था की स्थिति, सोशलिस्ट पार्टी की स्थिति, और जनसंघ की स्थिति से बिल्कुल अलग है। सरकार एक जिम्मेदारी लेती है वह उससे बिलकुल अलग है जो कि कांग्रेस संस्था की जिम्मेदारी है, वह उससे बिल्कुल अलग है जो सोशलिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी है, वह उससे बिलकुल अलग है जो जनसंघ पार्टी की जिम्मेदारी है। सरकार की एक पृथक ही जिम्मेदारी होती है। यदि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह जिम्मेदारी जनता के हित में हो ,यदि सरकार का दृष्टिकोण यह हो कि किसी तरह से शांति व्यवस्था भंग न होने पावे और मुहर्रम में ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है जिससे साम्प्रदायिक वातावरण उत्पन्न हो सकता है और सरकार उन कारणों से कोई ऐसा फैसला लेती है तो आप इस अधिकार को नहीं रखते कि उसके निर्णय के विरुद्ध कुछ कह सकें। जनहित के दृष्टिकोण में और शान्ति व्यवस्था कायम रखने के खयाल से सरकार अगर कोई काम करना चाहती है तो उसके डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम पार्टी का चुनाव करा रहे हैं आप भी अपनी पार्टी के चुनाव कराइये, सोशलिस्ट पार्टी भी अपने दल के चुनाव करा सकती है। संस्था की बात अलग है। उसमें फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से मुकदमा दायर नहीं कर सकते, लेकिन जो जनता के हित की और सार्वजनिक हित की बातें हैं उन सब को दृष्टिकोण में रख कर सरकार को निर्णय लेने होते हैं। जनता का सीधा सम्बन्ध उन अधिकारों से है जो उसे संविधान में मिले हैं और वह उनके अनुसार कानून के द्वारा अपने राइट्स को एन्फोर्स करा सकती है। इसलिये हम संस्था के नजरिये से इस मामले को सोचने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार ने जो निर्णय लिया है वह उचित ही है। वह चाहती है कि कोई भी साम्प्रदायिक वातावरण ऐसे चुनाव में न पैदा होने पाये और यह २-३ मास जो अधिक गर्मी के हैं वह भी टल जायं। हम चाहते हैं कि सेकुलरिज्म के खिलाफ कोई बात न हो और शांति भंग का कोई अवसर न आये। मोहर्रम के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक ऐसा वातावरण हो सकता है कि जिसका चुनाव पर प्रभाव पड़े और वातावरण कुछ साम्प्रदायिक होने की आशंका हो जाय। अतः सरकार का यह फैसला जनहित में है और उचित है।

इसके अलावा इस वक्त चूंकि मौसम बहुत खराब है इसलिये इसे २-३ मास के लिये अधिक गर्मी के कारण टाला जा रहा है। इस निश्चय के बाद भी चुनाव बाद में होंगे। विरोधी दल के सदस्यों ने कोई ऐसी बात नहीं दिखाई कि २-४ मास में ऐसी कौन सी परिस्थिति बदल जायगी और खराब हो जायगी या उनके खिलाफ और हमारे माफिक हो जायगी। कांग्रेस के तो रक्त में उसके सारे संगठन में और उस की पालिसी में चुनाव को मान्यता प्राप्त है। हर जगह उसने प्रत्यक्ष चुनाव को आगे बढ़ाया है। गांव पंचायत, जिला पंचायत, न्याय पंचायत, जिला परिषद्, सारी समितियों में, नगरपालिकाओं में सब जगह चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया गया है और इस तरह से हम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। इस तरह का वातावरण पैदा करके समस्या को उलझाने की कोशिश न की जाय। मौसम की खराबी के कारण और साम्प्रदायिक भावना न उभरने देने के लिये ऐसा किया गया है और केवल २-४ मास की बात है। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के लिये इस समय कोई खास आसानी हो जायगी और दूसरों के लिये कोई दिक्कत होगी। आपको भी दो तीन मास का समय अधिक मिल जायगा, आप भी अपनी कनवेसिंग कीजिये। कांग्रेस तो संस्था के रूप में इन चुनावों को नहीं लड़ेगी, व्यक्तिगतरूप से हमारे लोग खड़े होंगे और जो नतीजे होंगे वह आप देख लेंगे। थोड़े समय के लिये कार्यस्थगन प्रस्ताव लाना और एक तूफान बेकार में खड़ा करना कौन सी अकलबन्दी की बात है? कौन सा बुनियादी अधिकारों का हनन हो रहा है? शांति भंग का जिम्मा तो सरकार का है। आप क्या लिख कर दे सकते हैं कि झगड़े नहीं होंगे और झगड़े कहीं होंगे तो उस की जिम्मेदार सरकार नहीं होगी, उसकी जिम्मेदार आप होंगे। मेरी राय है कि जो कुछ सरकार ने निश्चय किया है वह उचित है और उसका समर्थन होना चाहिये।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थानीय निकायों के चुनाव के स्थगन के सम्बन्ध में जनसंघ दल ने जो यह कामरोको प्रस्ताव रखा है उसकी ओर और इस विधान सभा की ओर सारी जनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

की निगाहें लगी हुई हैं। जो उन्होंने किया है वह बहुत बड़ा कार्य किया है और आज सब देखते हैं कि क्या फैसला हम यहां लेते हैं। आज प्रश्न यह नहीं है कि गरमी ज्यादा है या शेख अब्दुल्ला छोड़ दिये गये हैं, या मुहर्रम में सामप्रदायिकता बढ़ सकती है। प्रश्न यह है कि कांग्रेस के दो बड़े गुटों में बड़ा संघर्ष चल रहा है जिसका फैसला १२ मई को होने जा रहा है। ११ तारीख को नामीनेशन के लिये मंत्री जी ने लोगों से कह रखा था। लेकिन जब १२ को कांग्रेस का चुनाव होने जा रहा है तो ११ को कैसे नौमीनेशन हो सकता है। जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने जनता में कहा कि हम स्थानीय निकायों के चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, लेकिन दूसरे लोग इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि स्थानीय निकायों में उनके आदमी आयें। जब दो विचार धारायें हैं तो मतभेद स्वाभाविक है कांग्रेस में।

इसके अलावा और कोई बात चुनाव टालने की नहीं हो सकती है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मई में चुनाव होंगे, मुख्य मंत्री ने भी कहा, विधान परिषद् में भी आश्वासन दिया गया। अब अगर आश्वासन पर अमल नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह सकता जनता का। इस चुनाव को टाल कर आप जनतंत्र में लोगों की आस्था समाप्त करने जा रहे हैं। म्युनिसिपल बोर्ड डेमोक्रेसी की प्रथम सीढ़ी है। हमारे प्रधान मंत्री इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। पहले उनमें दलबन्दी का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने दलबन्दी प्रारम्भ की जिसके कारण दूसरे दलों को भी कूदना पड़ा और आज बिना चुनाव लड़े हुए आल इंडिया लेविल की पालिटिक्स में काम नहीं चल सकता। कल हमने माननीय मंत्री जी से मुलाकात की, मुख्य मंत्री ने कहा कि माननीय चतुर्भुज शर्मा जी से मिल लीजिये और वह जो कहेंगे हमको मन्जूर होगा। हम उनके पास गये, लेकिन उससे पहले ही हमको विश्वस्त रूप से मालूम हो गया था कि जिलाधीशों को ऐक्सप्रेस टेलीग्राम भेजे जा चुके थे कि चुनाव पोसपोन कर दिये जांय। एक तरफ टेलीग्राम दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमसे मिलने के लिये कहते हैं। मंत्रीजी ने कहा कि वह हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं कि चुनाव हों लेकिन मैं कैबिनट के मिनिस्टर्स से बात कर लूं। इस समय जब लोगों ने लिस्टें खरीद ली ह अपना नाम इलेक्टोरल लिस्ट में रुपया दे कर लिखवा लिया लाखों-लाखों रुपया खर्च हुआ। इलैक्टोरल रौल बनवाये और फिर अनायास आप कह दें कि व्यक्तिगत कारणों से और प्रदेश की जनता का खयाल न करके स्थानीय निकायों के चुनाव न होंगे यह अच्छी बात नहीं है। आप यहां अगर चुनाव करना चाहते हैं तो मुहर्रम के बाद करा दें। यह कहना कि कुछ कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने सूचना दी है कि सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं यह उचित प्रतीत नहीं होता।

इस संबंध में मैं समझता हूं कि १४ तारीख को नामिनेशन, १६ तारीख को स्क्रुटिनी और २० को आप इलैक्शन करा दें। इसके बाद मुहर्रम २४ को पड़ता है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि आप मुहर्रम की वजह से चुनाव नहीं करा रहे हैं। आप इन चुनावों को, जैसा मैंने पहले कहा, जानकर नहीं करा रहे हैं। आप अपनी जबान के पक्के नहीं है। इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री बाबू संपूर्णानन्द जी ने यह कहा था कि यदि मेरी पार्टी चुनाव में हार जायगी तो मैं चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर दूंगा। यह एक नयी परम्परा थी। उन्होंने अपनी जबान को निभाया और दूसरी ओर आज देखा जाता है कि आप अपने थोड़े से लालच के कारण अपनी जबान से पल्टे जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि कांग्रेस आपकी प्रतिक्रियावादी जरूर है, लेकिन कांग्रेस के प्रोग्राम प्रतिक्रियावादी नहीं है। इसलिये इस मुल्क और इस प्रदेश की जनता में स्वस्थ लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये आप अपने वचनों को पूरा करने के लिये और समाजवाद में जनता का विश्वास रखाने के लिये चुनाव करा देंगे।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कामरोको प्रस्ताव जो हमने रखा है उसके संबंध में मैं कोई लम्बा चौड़ा भाषण तो नहीं करता हूं। केवल २–३ बातों की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें मैं, श्री भगवान सहाय और श्री नेकराम शर्मा आदि सम्मिलित थे। श्री शर्मा जी ने तो चैलेंज भी किया था कि हम सदन नहीं चलने देंगे पर अब वे सदन में नजर भी नहीं आते हैं। माननीय मंत्री जी ने पहला सवाल रखा था कि बड़ी गर्मी है। ठीक है गर्मी है और मैं तो विधायक निवास में ऊपर की मंजिल में रहता हूं जहां पर हमारे सिर पर धूप, पाला सभी पड़ता है पर मंत्री जी तो खस की टट्टियों में बैठते हैं। यह गर्मी ३० जून तक रहेगा। फिर बरसात शुरू हो जायगी। भला कहीं बरसात में चुनाव हो सकते हैं, हमारे पास तो छाता भी नहीं है? तो यह चुनाव का काम कैसे हो सकता है नगरपालिकाओं में? चुनाव तो क्या बरसात में छोटे मोटे ब्याह शादी तक भी नहीं हो सकते। हमारे यहां तो बरसात में मोटर बोटें तक चलती हैं। फिर अक्तूबर, नवम्बर आगया। इसके बाद जाड़ा पड़ना आरम्भ हो जाता है तो जाड़े में कैसे चुनाव होगा? हम लोग तो वैसे ही आधे नंगे रहते हैं। दो आने रोज की मजदूरी पर निर्भर रहने वाले हैं गोरखपुर, देवरिया जिलों में। फिर जाड़े में लोग कैसे उठ कर बोट देने जायेंगे? फिर पतझड़ आयेगा जिसमें बड़ी हवा चलेगी। उसके पश्चात् बसन्त आयेगा जिसमें लोग आनन्द मनायेंगे, तो १२ महीने में चुनाव कब होगा। चुनाव कराने के लिये मौसम का फैक्टर सरकार को नहीं लेना चाहिये। बहुत से लोगों ने इसके संबंध में माननीय ऊदल जी का नाम लिया कि उनके कहने से हुआ। तो आपने नोटिस गजट में क्यों नहीं निकाला?

दूसरी बात आप कहते हैं कि बड़े साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं। तो दंगे यह सरकार कराती है, हरगोविन्दसिंह कराते हैं और जब तक वह गृह मंत्री बने रहेंगे दंगे होते रहेंगे। जब तक यह कांग्रेसी सरकार बनी रहेगी तब तक ये दंगे होते रहेंगे। जवाहर लाल तथा सुचेता कृपालानी की सरकार में ये दंगे होते रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में जहां सरकारी कारखाने हैं पब्लिक सैक्टर में अथवा प्राइवेट सेक्टर में जैसे जमशेदपुर, राउरकेला में दंगे हुए। उत्तर प्रदेश में भदोई जहां कालीन बनते हैं, फिरोजाबाद में जहां चूड़ियों के कारखाने हैं और हाथरस में तथा कानपुर के हातों में जहां मुसलमान काफी संख्या में रहते हैं ये दंगे नहीं हुये। उत्तर प्रदेश ज्यादा सेकुलर है बनिस्बत पंजाब, मदरास, बंगाल तथा कलकत्ता के। काश्मीर में हजरत बल की दरगाह से मुहम्मद साहब का बाल चुरवा लिया, लेकिन दंगे नहीं हुए। मन्दिरों से फिर मूर्ती चुरवा ली गयीं लेकिन दंगे नहीं हुए। अब शेख साहब के ल्हासा लगाया जा रहा है। स्टेलिन ने फलां फील्ड मार्शल नाजियों का मुकाबला करने के लिये भेजा वह मारा गया। अन्त में उसने कहा कि अब मैं नाजियों को रोकने के लिये जनरल मड (कीचड़) भेज रहा हूं और नाजी रुक गये, लेकिन इस सरकार के पास कौन सा जनरल मड है? यह सरकार इतनी बेहया है कि बार-बार आश्वासन देने पर भी अपने वायदे से मुकर जाती है और म्युनिसिपल बोर्डस् के इलेक्शन नहीं करा रही है। ये चुनाव इसलिये नहीं कराये जा रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि हिन्दुस्तान में खास कर उत्तर प्रदेश में जनतंत्र रहे।

लोग कहते हैं कि अब यहां मिलीटरी तानाशाही आना चाहती है। ये चीजें तानाशाही की निशानी है। चाहे चन्द्रभानु गुप्त चेयरमैन हो जांय चाहे त्रिपाठी जी हो जांय हमें क्या लेना देना है। मेरे जिले में लात जूते चल गये, पी० सी० सी० के एलेक्शन में। मुल्क में गर्माहट पैदा हो रही है। खैर यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से कह कर चुनाव टालना उचित नहीं है। शामियाने गाड़े गये और दावत के लिये बुलाया गया और कहा गया कि दावत कल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

होगी, लेकिन ऐन वक्त शामियाने के बम्बू उखाड़ देना और दावत को मुल्तवी कर देना, इसका सख्त से सख्त विरोध सोशलिस्ट पार्टी करती है और तरीके भी अख्तियार किये जा सकते हैं।

*श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह जो सदन में कामरोको प्रस्ताव आया है उसके ऊपर जितनी गम्भीरता से बातचीत होनी चाहिये थी उतनी गम्भीरता से मेरा खयाल है कि नहीं हो पाई। कार्य-स्थगन का मतलब यह होता है कि हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं और वह इतना महत्वपूर्ण है कि जो और बिजनैस हाउस का है उसको पीछे छोड़ कर प्रस्ताव को हमें पहले लेना पड़ता है। लेकिन श्रीमन्, मैं तो ऐसा समझता हूं कि कुछ लोगों की साजिश थी कि इसको बढ़ाया जाय, खामखाह में एक दूसरे पर आक्षेप किये जांय और इस तरीके से समय नष्ट कर के इसकी असली बहस को न होने दिया जाय।

श्रीमन्, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि ये कितनी बार चुनाव पोस्टपोन कर सकते हैं। उनको हक है, जनता ने उनको बहुमत में चुन कर भेजा है, हम अल्पमत में हैं और इसलिये उन्हें अख्तियार है कि अपने बहुमत के बल पर जो चाहें करते रहें। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा और वह यह कि अपोजीशन का काम है कि जो बात आप कहें अगर वह पूरी न हो या उसमें कोई कमी हो तो वह आपको बतायें क्योंकि वह आपने कहा, हमने नहीं। आप सक्षम हैं जब चाहें चुनाव बढ़ा दें, जब चाहें घटा दें, चाहे चुनाव लड़ें चाहे न लड़ें। १४ वर्ष इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् पर राज्य किया और आज भी कर रहे हैं। किसी ने उफ नहीं की, क्योंकि इन्होंने ल्हासा नहीं डाला था कि हम चुनाव कराने जा रहे हैं। हमेशा यही कहते रहे कि अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कोई अच्छी शक्ल सामने आयेगी। जनता इस धोखे में रही कि शायद कोई बढ़िया मोतीचूर का लड्डू आयेगा, १४ वर्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं हुये लेकिन किसी गांव वाले ने यह नहीं कहा कि आपने चुनाव क्यों नहीं कराये।

जहां तक धूप और गरमी की बात है, सन् १९४८ का मुझे पता है, जिला परिषद् के चुनाव चिलकी धूप में हुये थे। तब आप डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् का चुनाव गरमी में करा सकते थे तो आज शहरों में आपको कौन सी तकलीफ है। (लाल बत्ती होने पर) आप मुझे थोड़ा समय और दें। बहुत समय बातों में निकल गया। इसलिये आपको समय बढ़ाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

नियमानुसार समय बढ़ नहीं सकता।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

प्रजातंत्र का सिद्धान्त यह है कि बहुमत का तो राज्य हो और जो राज्य कहे उसे पूरा करे। डाक्टर सीताराम यहां हैं नहीं। उन्होंने अक्तूबर, १९६३ में यहां चिल्ला-चिल्ला कर कहा था, कि हम २ अप्रैल से ६ जून तक चुनाव करा देंगे, लेकिन अब सरकार उस बात से मुकर गयी। यह तो मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं क्योंकि उनका बहुमत है। दूसरी बात यह कि उनकी बदनीयती है। बदनीयती मैं इसलिये कहता हूं कि कल जब मैंने प्रश्न किया था तो मुख्य मंत्री ने १२ बज कर २ मिनट पर यह कहा था कि हम विचार कर रहे हैं और १२ बजे टेलीग्राम चला जाता है कि चुनाव पोस्टपोन कर दिये गये। अगर उनको ईमानदारी की बात कहनी थी तो यहीं घोषणा करतीं कि चुनाव नहीं होंगे, हम क्या कर लेते। उन्हें यह घोषणा कल ही कर देनी चाहिये थी कि हम चुनाव नहीं करायेंगे और फिर यहां तो माननीय अध्यक्ष ने कह दिया कि सब नेता मुख्य मंत्री से मिल लें और अपने आप फौरन टिकट कटा के बम्बई चली गयीं और शर्मा जी पर सारा भार डाल गयीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़े समय में ही कोशिश करूंगा कि जो वाकयात हैं जिनकी वजह से चुनाव पोस्टपोन हुआ वह सदन के सामने रख दूं। मेरी तरफ से यह मामला क्लोज था, लेकिन ४ तारीख को माननीय सदस्य आये और प्रश्नोत्तर के बाद माननीय ऊदल जी ने सवाल उठाया कि चुनाव पोस्टपोन कर दिये जांय। मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि इस पर विचार करेंगे। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि उन्होंने यह कहा था कि अभी अनिश्चित है, घोषणा तथा नोटीफिकेशन वगैरह नहीं हुआ, इसलिये उन्होंने यह बात कह दी थी। ४ तारीख को उन्होंने लिखा है.....

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये मायर साहब, आप बैठ जाइये और गवर्नमेंट का व्यू भी आ जाने दीजिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

आप ऊदल जी की सब बात मान लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइये।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

आप चाहते हैं कि सच्चाई सामने न आये। ५ तारीख को श्री ऊदल जी, विजयपाल सिंह जी, श्री रघुवीरराम और माननीय झारखण्डेराय जी ने मुख्य मंत्री जी के पास पत्र भेजा। निवेदन है कि स्थानीय निकायों के चुनाव मई मास के अन्त में होने जा रहे हैं। अब इतनी गर्मी तो इस समय पड़ रही है, मतदाताओं का क्या हाल होगा, बड़ी गर्मी और लू में कतार बनाकर मतदाताओं को मतदान के लिये खड़ा होना असम्भव है। दूसरे; २८ मई तक मुहर्रम है, उन दिनों में चुनाव का शोर गुल मुनासिब नहीं है। कृपया अक्तूबर, १९६४ में इसी की भांति निश्चित रूप से चुनाव कराने की कृपा करें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन्, एक बात पूछ लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

केवल ५ मिनट बाकी हैं। गवर्नमेंट का व्यू आना चाहिये। अगर नहीं आने देंगे तो आपके ही खिलाफ बात जायगी।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

इसके बाद चार माननीय सदस्यों ने इसी आशय का पत्र लिखा जिसमें भगवान सहाय जी वगैरह हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई सदस्यों नें मुख्य मंत्री जी को सुझाव दिया। (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी की नाजुक दशा का विचार करें। एक तरफ तो बात यह है कि ६ तारीख को नोटीफिकेशन होना था और दूसरी तरफ कांग्रेस

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

पार्टी के कई सदस्यों ने लिखा कि चुनाव नहीं होने चाहिये। घर विरोधी पार्टी की तरफ से भी पत्र आये कि चुनाव नहीं होने चाहिये। इसी बीच ६ तारीख को सवा दस या शायद साढ़े दस बजे मुख्य मंत्री जी ने विचार विनिमय किया और उसमें बलवानसिंह जी आ गये थे। उन्होंने भी करीब-करीब सहमति दी कि चुनाव नहीं होने चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह—

बलवानसिंह जी ने सहमति नहीं दी थी। असत्य भाषण कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात आप कैसे कहते हैं कि असत्य है। यह बलवानसिंह जी का राइट है। आप कृपा करके बैठ जांय। यह अपने सामने की बात कह रहे हैं। आप कृपया जांय। आपके सामने कोई बात नहीं हुई।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

साढ़े दस बजे, ग्यारह बजे तक उनके सामने यह बात रही। उस रोज गजट होना था या नहीं होना था, उन्होंने, आफिसर्स को टेंटेबिव आर्डर्स दे दिये कि बिलकुल तैयार कर रखें। यह कहा जाता है कि १२ बजे माननीय मुख्य मंत्री ने बयान दिया। सही बात है तो उस वक्त उन्होंने कहा। यह वायर्स १३.५० पर डिस्पैच हुए हैं। जब यहां से गयीं तो उन्होंने डाइरेक्शन्स नहीं दिये थे, वह डिस्चार्ज हो चुके, आर्डर्स चले गये, इसलिये यह पोस्टपोन हुआ। उस परिस्थिति को देख लें। जिन लोगों ने दस्तखत कर दिये थे कि चुनाव होंगे, मैंने उनमें से कुछ सज्जनों से पूछा। उन्होंने कहा कि फलां फलां के कहने से हमने कर दि दस्तखत। हमारी राय यह है कि यह चुनाव गर्मी में नहीं होना चाहिये। सही बात है मुझ से बात हुई। चुनाव अगर पांच जून को हो जांय तो करवा दिये जांय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

एक व्यवस्था का श्न है।

(शोर)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अगर नामिनेशन हो जा गे १६ मई को और ५ जून को भी चुनाव करवाएं तो चुनाव का सिलसिला जारी रहेगा। पांच जून को चुनाव हो सकता है। मैं मानता हूं कि ३० जून तक अगर नामिनेशन्स कर दिये जांय, तो जब नामिनेशन्स हो गये तो चुनाव शुरू हो गया, कनवेसिंग शुरू हो गयी। मोहर्रम की वजह से जो परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है सही बात है। जो पूर्वी पाकस्तान में झगड़े हुए हैं और जो उसके जवाब में बिहार, उड़ीसा और बंगाल में गड़े हुए हैं उससे साम्प्रदायिक परिस्थिति वह नहीं है जो पहले थी जब यह ऐलान किया गया था कि मई में चुनाव होंगे। उसका कारण यह है कि परिस्थिति बदल गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय समाप्त हो गया।

हम उठते हैं कल ११ बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
७ मई, १९६४।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६६ पर)

जिला	मोअम्मों के नाम	मालिकों के नाम
१	२	३
१—मुरादाबाद ..	आजाद अदबी ..	श्री अब्दुल हई अन्सारी और श्री बाबू, अमरोहा।
	शानदार अदबी नौनिहाल ..	श्री फैज आलम नियाजी, अमरोहा, श्री शराफत हुसैन मयाल, मुरादाबाद।
२—मेरठ ..	अनवर मैगजीन ..	श्री मेहराज अनवर।
३—बरेली ..	हमद अदबी मोअम्मा	श्री मुहम्मदअहमद नाजमी।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६९ पर)

तालिका

गन्ना विकास परिषद् के निम्नलिखित सदस्य जिस प्रकार नियुक्त होंगे उसका विवरण इस प्रकार है:—

(१) चीनी की फैक्टरियों, गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप में दो-दो सदस्य गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किये जायेंगे,

(२) जिला नियोजन अधिकारी या जिले में नियोजन विभाग का कोई अन्य अधिकारी, जिसे जिला मैजिस्ट्रेट नामांकित करे,

(३) एक अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करे,

जिला गन्ना अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करे जो सदस्य तथा सचिव होगा।

परिषद् के सभापति के चुनाव का तरीका

परिषद् का सभापति राज्य सरकार के अनुमोदन से गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किया जाता है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३—४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७० पर)

प्रश्न संख्या ३ में उल्लिखित तालिका "क"

तहसीलवार, ग्रामवार विवरण—

तहसील का नाम	विकास क्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	निर्मित मकानों की संख्या
१	२	३	४
१—मथुरा	मथुर	१—भैंसा	१
		२—जिखन गांव	
		३—दामोदरपुर	१
		योग . .	४
२—सादाबाद	सहनऊ	सैंदरिया	४
३—मांट . .	मांट	माटाराज	४
		योग . .	४
४—छाता . .	नन्दगांव	बरसान	४
		योग . .	४
		कुल योग . .	१६

प्रश्न संख्या ४ में उल्लिखित तालिका "ख"

१—नन्दगांव ब्लाक—

१—सकेत, २—बजबारी, ३—लोहाबारी, ४—गाजीपुर, ५—चिकसौली, ६—रीठौरा, ७—ऊंचागांव, ८—नाहरा, ९—ढमाला, १०—राकौली, ११—खिटाबिटा, १२—मेड़ाखर, १३—सांचौली, १४—हलवाना, १५—गढ़ीबरबारी, १६—कादौना, १७—लालपुर १८—कोटबन, १९—नवीपुर, २०—नगलहसनपुर।

२—छाता ब्लाक—

१—सलावली, २—शेरनगर, ३—रूपनगर, ४—शहजादपुर, ५—बढ़ा, ६—बसई ७—जटवारी, ८—चौकी, ९—नण्डापुर, १०—चिरौली, ११—अतरा, १२—घोताता, १३—बहटा, १४—सलरामपुर, १५—गढ़ीभीमा, १६—अभयपुर, १७—पीरपुर, १८—अंगरिया, १९—जांव।

३—चौमुखा ब्लाक—

१—पिलौरा, २—साकी, ३—डिरावली, ४—बझेरा, ५—बिलौठ, ६—मरनाखुर्द, ७—पेलखू, ८—पाली, ९—आजनौख, १०—करहेला, ११—बरहरा, १२—बरौली, १३—नरी, १४—बिडावली, १५—शिवाली, १६—ततारपुर, १७—देवपुरा, १८—रहेड़ा १९—बझेरा, २०—अछरी ।

विधान सभा सदस्य

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७२ पर)

तालिका "क"

हरदोई जिले में पुलिस स्टेशनों की संख्या तथा उनमें कार्य करने वाले स्टेशन आफिसरों के नाम तथा उनकी नियुक्ति की तारीखें।

क्रम सं०	थाना का नाम		एस० ओ० का नाम	नियुक्ति की तारीख
१	कोतवाली	इंस्पेक्टर	श्री गुरबक्स सिंह	८-२-६३
२	शाहाबाद	,,	श्री मुहम्मद नईम	३०-५-६२
३	बेहटागोकुल	सब-इन्स्पेक्टर	श्री एस० एन० शुक्ला	२-१२-६३
४	पिहानी	,,	श्री हरपालसिंह	२३-२-६३
५	पाली	,,	श्री पी०एन० सिंह	१५-८-६३
६	हरपालपुर	,,	श्री अमरदास शर्मा	२८-११-६३
७	सांडी	,,	श्री वी० वी० मिश्रा	३-५-६३
८	बिलग्राम	,,	श्री आर०एन०सिंह	२८-९-६२
९	मल्लावां	,,	श्री रामनरेश सिंह	२८-११-६३
१०	कासिमपुर	,,	श्री मुख्तार अली	(अस्थायी) १६-२-६४
११	अतरौली	,,	श्री राजेंद्रप्रसाद सिंह	२५-९-६३
१२	संडीला	,,	श्री रघुबीरसिंह	२३-२-६३
१३	बैनीगंज	,,	श्री बद्री प्रसाद वर्मा	२८-११-६३
१४	बघौली	,,	श्री बलराम सक्सेना	२८-११-६३
१५	टडियावां	,,	श्री जैनुलआबदीन	११-१-६४

संसद सदस्य सूचना

नत्थी 'ङ'

तालिका

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पृष्ठ ४७५ पर)

क्रम सं०	सेंटर का नाम	सीजन १९६३–६४ में चालू तथा बन्द होने की तारीख		गन्ना पूर्ति की मात्रा १५–४–६४ तक (क्विन्टल में)	पूर्ति किये गये गन्ने की कीमत १५–४–६४ तक (रुपयों में)	गन्ने की कीमत का भुगतान १५–४–६४ तक (रुपयों में)	गन्ने के मूल्य का बकाया १५–४–६४ तक (रुपयों में)	अन्य विवरण
		चालू	बन्द					
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	महमूदाबाद	प्रथम बार २०–१२–६३ द्वितीय बार १०–३–६४	प्रथम बार ३०–१–६४ द्वितीय बार २५–३–६४	६,९१६.४०	३८,०४.५४	२५,२९३.६०	१२,७१०.९४	
२—पैतेपुर		प्रथम बार २०–१२–६३ द्वितीय बार १०–३–६४	प्रथम बार ३०–१–६४ द्वितीय बार २५–३–६४	६,२८६.७८	३४,५०८.१५	२०,४४५ ०३	१४,०६३.१२	
३—फतेहपुर		प्रथम बार २०–१२–५३ द्वितीय बार ११–३–६४	प्रथम बार ३०–१–६४ द्वितीय बार २६–३–६४	१०,०५३.७०	५२,१८१.११	३९,६१८.०१	१२,५६३.१०	
योग	..	..	..	२३,२५६.८८	१,२४,६९३.८०	८५,३५६.६४	३९,३३७.१६	

अ० प्र० विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८० पर)

सूची

ऐसे सचिव व उप सचिव के नाम जो कि एक ही विभाग में उसी पद पर तीन वर्ष से अधिक से सेवा कर रहे हैं

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम व पद	सचिव तथा उप-सचिव के पद पर आने की तिथि	टिप्पणी
१	२	३	४
१	श्री बिपिन बिहारी लाल, आयुक्त तथा सचिव, सिंचाई तथा विद्युत् शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश तथा चेयरमन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्।	१९-११-५९	
२	श्री वासुदेव माधव भिडे, आयुक्त तथा सचिव, वित्त विभाग व संचालक, अल्प बचत	१९-११-५९	वित्त विभाग में आयुक्त तथा सचिव के पद पर १५-३-६२ से ही हैं, लेकिन इसी विभाग में २-६-५८ से अतिरिक्त सचिव क पद पर तथा ९-१०-५८ से विशष सचिव के पद पर थे।
३	श्री शिवरामसिंह, सचिव, राजस्व विभाग।	१३-१-६१	
४	श्री बसंतसिंह सेठ, सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद विभाग व आयुक्त, खाद्य, एवं रसद विभाग।	६-३-५९	२०-२-५९ से ५-३-५९ तक इसी विभाग में विशेष सचिव रहे।
५	श्री अशोक सेन, सचिव, गृह विभाग।	६-११-५९	अब इनको भारत सरकार में विलिजेंस कमीशन के सचिव के पद पर नियुक्त करने के आदेश हो गये हैं।
६	श्री ब्रजलाल चक, सचिव, मुख्य मंत्री।	६-११-५९	इसके अतिरिक्त १३-१२-६० सचिव सूचना विभाग भी हैं।
७	श्री लक्ष्मीप्रसाद निगम, सचिव, न्याय विभाग तथा उत्तर-प्रदेश शासन के विधि परामर्शदाता तथा पदेन निर्वाचन निदेशक तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन निदेशक (पंचायत) इसके अतिरिक्त सचिव, विधायिका विभाग।	१९-९-६०	१९-१२-५७ से न्याय विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर आये थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	अधिकारी का नाम व पद	सचिव तथा उप-सचिव के पद पर आने की तिथि	टिप्पणी
१	२	३	४
८	कुमारी कुसुमलता मित्तल, उप सचिव, सिंचाई तथा विद्युत् शक्ति विभाग।	३-७-५९	
९	श्री अली अख्तर रिजवी, उप-सचिव उद्योग विभाग।	१४-११-६०	
१०	श्री त्रिभुवनप्रसाद तिवारी, उप विकास आयुक्त तथा उपसचिव योजना विभाग।	१५-१०-५८	योजना विभाग में ही ये सहायक विकास आयुक्त तथा अनु-सचिव ६-४-५६ से थे।
११	श्री प्रेम कुमार, उप सचिव, गृह विभाग।	१२-३-६०	अब इनको भारत सरकार में आस्ट्रेलिया में टी एडवाइजर के पद पर नियुक्त करने के आदेश हो गये हैं।
१२	श्री सूरतदास श्रीवास्तव उप सचिव, योजना, अर्थ एवं संख्या विभाग।	२१-३-६०	२१-३-६० से १८-९-६१ तक उप विकास आयुक्त व उपसचिव योजना विभाग थे और १९-९-६१ से उप सचिव, योजना, अर्थ एवं संख्या विभाग हैं।
१३	श्री गुलाम याजदानी, सहायक विकास आयुक्त (शिक्षण) तथा उप सचिव, योजना विभाग।	२९-७-५९	
१४	श्री हरकृष्ण मेहरोत्रा, उप सचिव, उद्योग विभाग।	१२-१२-५९	
१५	श्री प्रकाशचन्द्र सक्सेना, सहायक विकास आयुक्त तथा उप सचिव, योजना विभाग।	१३-२-६०	
१६	श्री महेंद्रवीर सिंह घेसी, उप सचिव, गृह विभाग।	१७-३-६०	
१७	श्री देवेंद्रचन्द्र दुबे, उप-सचिव सिंचाई विभाग।	९-८-६०	
१८	श्री प्रेमप्रकाश, उप सचिव न्याय विभाग तथा विधि परामर्श दाता।	२९-४-५९	
१९	श्री नरेशचन्द्र रे, उप सचिव, वित्त विभाग।	१९-१०-५६	इसके पूर्व वित्त विभाग में ही थे अनुसचिव थे।
२०	श्री कैलाशनारायण मालवीय, उप सचिव, शिक्षा विभाग	१८-७-५८	

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५–११६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०१ पर)

तालिका

किच्छा मिल पर किये गये व्यय का विवरण

	(लाख रुपये में)
१—केन मिंडिग प्लांट	३५.००
२—बिल्डिंग्स	१५.००
३—रेलवे साइडिंग	१.२०
४—ट्यूबवेल इत्यादि	२.००
५—आर्डर दी गई मशीनरी के लिये एडवांस	१६.००
६—कर्मचारियों का वेतन और दैनिक वेतन (वेजेज) स्टोर्स, वर्कशाप मशीन और मैनेजिंग एजेंट्स कमीशन के कारण व्यय ..	११.८०
योग ..	८१.००

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०२ पर)

विवरण

दिनांक २८–२–६४ को शाम को ४ बजे बाबू लाल निवासी पाताबाजार के ६ अथवा ७ वर्षीय पुत्र सुरेश की पिचकारी से रंग के छींटे कल्लू कुंजड़ा व हलीम चूड़ीहार पर पड़ गये। हलीम चूड़ीहार सुरेश को गाली देते हुए उसके पीछे दौड़ा। सुरेश अपने मकान में चला गया। हलीम ने उसके मकान में घुसकर पिचकारी छीनी और उसे सड़क पर पटक कर तोड़ दिया। पास के २–३ व्यक्ति मना करने के लिये दौड़े। हलीम को शक हुआ कि वे उस पर हमला न कर दें। उसने "अल्ला हो अकबर" का नारा लगाया। इस पर हलीम तथा उसके १२ साथियों ने लाठी-फरसा लेकर आये और मना करने वाले व्यक्तियों का पीछा किया और घेर कर लाठी व पत्थरों से चोटें पहुंचाई। इन्हीं की पार्टी के रफीक व आफाक ने देशी तमंचे से गोली चलाई जिससे दोनों ओर के कुछ लोगों को चोटें लगीं। हसनैन जो उन्हीं की पार्टी का था, चोटों से घटनास्थल पर ही मर गया।

२—दोनों दलों ने एक दूसरे के विरुद्ध थाना मंझनपुर पर रिपोर्ट दर्ज कराई जिनके आधार पर मुकदमे कायम हुए। दोनों मुकदमों की जांच हो रही है। दोनों दलों के कुल ९ नामजद अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और शेष १२ नामजद अपराधियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०३ पर)

संलग्नक

हरिद्वार तथा वाराणसी स्थित दोनों कर्मशालाओं का दैनिक कार्य-क्रम निम्नांकित है—

५–३० प्रातः	जागरण
५–५० से ६–३०	शौच एवं स्नान आदि
६–३० स ६–४५	रामधुन
६–४५ से ७–३०	नाश्ता
७–३० से १०–३०	क्राफ्ट कक्षा, शिक्षा एवं कृषि
१०–३० से ११–३०	दोपहर का भोजन
११–३० से १–००	विश्राम
१ से ४–३०	क्राफ्ट एवं कृषि
४–३० से ५	विश्राम (हाथ, मुंह धोना आदि)
५ से ६ तक	भजन कीर्तन
६ से७ तक	भोजन
७ से ९ तक	मनोरंजन के कार्य-क्रम
९–००	विश्राम

सदन में रहने वाले भिक्षुओं में अधिकतर ब्राह्मण जाति के हैं और हिन्दू धर्मावलम्बी हैं ।

संसद सदस्य सेवा

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०५ पर)

विवरण

१५-१-६४ को ग्राम मांझे का पुरवा, थाना चांदपुर जिला फतेहपुर में दो दलों में जो लाठी, कांता और बल्लम से लैस थे और जिनके नेता राम नरायन एवं साधूसिंह थे, के बीच ग्राम समाज की एक परती जमीन जो आबादी से दूर स्थित है, पर कब्जे के बारे में बलवा हुआ। राम नरायन की पार्टी के ५ व्यक्तियों को तथा साधू सिंह की पार्टी के ६ व्यक्तियों को चोटें लगीं और विवादग्रस्त जमीन पर स्थित एक फूस के छप्पर में आग लगा दी गई। इस विवादग्रस्त भूमि पर किसी का मकान नहीं है केवल मवेशी आदि बांधने का ही प्रबन्ध है।

इस घटना की सूचना राम नरायन ने थाना बिंदकी पर लिखाई जिसमें कहा गया है कि साधू सिंह तथा उसके साथियों ने, जिनके नाम संलग्न तालिका "क" में दिये हैं, ने रामनरायन की विवाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की गरज से चढ़ाई करके मारपीट की, और उक्त स्थान पर रखी उसकी बैलगाड़ी तथा खेतीबारी का सामान ले गये और उसकी मां जो कि वहां उस वक्त मौजूद थी, उसका जेवर उतार लिया तथा फूस के छप्पर में आग लगा दी। इसके आधार पर थाना बिंदकी पर एक मुकदमा धारा १४७/१४८/३२३/३२४/४३६/३५६/३८० भा०दं० विधान के अन्तर्गत कायम हुआ। बाद में कागजात थाना चांदपुर में आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजे गये।

साधू सिंह ने थाना चांदपुर पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि राम नरायन तथा उसके साथियों ने, जिनके नाम तालिका 'ख' में दिये हैं, ने उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि जिसपर वह काबिज है और जिसका पट्टा उसने ग्राम समाज से करा रखा है, पर बंधे उसके मवेशी खोल दिये तथा हमला करके उसके छप्पर पर आग लगा दी गई। इस संबंध में धारा १४७/३२३/४३६/३३६ भा०दं० विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ।

दोनों मामलों में अभी चांज हो रही है।

तालिका 'क'

राम नरायन द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों के नाम

१—प्रहलाद, ग्राम मांझे पुरवा
२—मन्नीलाल ग्राम ,, ,,
३—रामदास ,, ,,
४—केदार ,, ,,
५—द्वारिका ,, ,,
६—श्रीपाल ,, ,,
७—देवीचरन ,, ,,
८—साधू निवासी नारायन पुर ,,
९—रामसागर ,, ,,
१०—महाबीरसिंह ग्राम अंगदपुर
११—बजरंगा ,, ,,
१२—दीनदयाल ग्राम मांझे पुरवा
१३—चेला ,, ,,
१४—राजाराम अंगदपुर।

तालिका 'ख'

साधू सिंह द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों के नाम

१—राम नारायण ग्राम मांझे का पुरवा
२—सूरज भान ,,
३—चन्द्रभान ,,
४—राम बिहारी ,,
५—सीताराम ,,
६—शिवरतन ,,
७—रंगीलाल ,,
८—सुखुवा ,,
९—शिवनाथ ,,
१०—मोती लाल ,,
११—बदलिया ,,
१२—विदेसिया ,,
१३—बाबूलाल ,,

विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर)

सेवा में

श्रीमान् माननीय गृह मंत्री महोदय,

पुलिस विभाग,

उत्तर प्रदेश सरकार,

लखनऊ।

सेवा में सविनय निम्न निवेदन यह है कि :—

(१) प्रार्थी प्रान्तीय रक्षक दल में १९४८ से ही थाना आर्गनाइजर के पद पर काम करता रहा है। सन् १९५७ में प्रा० र० द० विंग आफ पुलिस वाराणसी में काम करने के लिये चुन लिया गया।

(२) प्रा० र० द० विंग आफ वाराणसी में श्रीमान् उदयबीर सिंह, असिस्टेंट कमाडेन्ट के अन्तर्गत कार्य करता था और उनके मौखिक आदेशानुसार उनके बच्चों को पढ़ाया करता था। सन् १९५७, ५८, ५९ तक तीन वर्ष तक हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट पुलिस विभाग के जी० डी० में नहीं है। तीन वर्ष के बाद ड्यटी दूर लग जाने के कारण ए० सी० साहब के बच्चों को न पढ़ा सका, जिससे वे रुष्ट होकर हमको विभाग के पृथक् करने के लिए धमकाने लगे और अनेक तरीकों से अनेक लोगों को मिला कर मेरी ड्यूटी से अनुपस्थिति दिखा कर तीन माह का वेतन रोक लिया और बाद में मुअत्तल करा दिये। मैंने सभी आरोपों का उत्तर टाइप कराकर पी० आर० डी० हेडक्वार्टर, लखनऊ भेजा, परन्तु हमारे उत्तर को पढ़ा तक नहीं गया और श्री आर० डी० केवल रमानी एडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेन्ट, प्रा० र० द० हेडक्वार्टर, लखनऊ अपने आदेश सं० १-६/६१-६२, ता० ६-९/६१ से हमारी सर्विस समाप्त करते हुये लिखते हैं कि श्री जगन्नाथ शास्त्री बी० ओ० पी० आर० डी० का करैक्टर रोल व सर्विस बुक देखा। (१३) तेरह वर्ष की सर्विस है और सैटिसफैक्टरी इण्ट्री है, चूंकि इनके खिलाफ अनुपस्थिति की रिपोर्ट है अतएव इनकी सर्विस समाप्त की जाती है। अतएव मेरे १३ वर्षों की सर्विस काल की गुड इण्ट्री का कोई महत्व न देकर सर्विस समाप्त कर दी गई। मैंने कई बार प्रार्थना-पत्र दिया था कि श्रीमान् जी बनारस के अधिकारी हमसे रुष्ट हो गये हैं। मेरा स्थानान्तरण कर दिया जावे, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। उन्होंने यह भी लिखा है कि १३ वर्ष सर्विस की इण्ट्री संतोष-जनक है, लेकिन फिर ९ माह मुअत्तल हो जाने एवं आर्थिक संकट के कारण मेरे परिवार का जीवन संकट में है। अब ३७ वर्ष की हमारी आयु हो गई है। दूसरी सर्विस मिलना कठिन है।

(३) श्रीमान् जी, आप देश के नेता हैं। मैंने भी कांग्रेस में कार्य किया है और मेरा सारा परिवार कांग्रेसी है और इसी कारण श्री बाबू मंगला प्रसाद व जगन प्रसाद रावत जी ने १९४८ में प्रा० र० द० में थाना आर्गनाइजर के पद पर हमारा चुनाव किया था। श्रीमान् मैं रचनात्मक कार्यकर्त्ता रहा हूं। मेरे पीछे ६ परिवार (व्यक्ति) का खर्चा है। इन विगत ९ माह मुअत्तल काल में कर्जा करके बहाल होने के खयाल से गुजारा किया, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने हमारे ऊपर कुछ भी ध्यान न दिया और हमारी सर्विस को समाप्त कर दिया। अब हम इन ६ व्यक्तियों का खर्चा कैसे चलावें। पहले जो कुछ कमाया था घर बनवाया। हमारे पास बैल नहीं हैं। थोड़ी सी खेती है। हमने सभी आरोपों का सही उत्तर टाइप कराकर दिया, लेकिन हमारा उत्तर पदात्मक नहीं है, हमारे उत्तर को कोई हिन्दी का विद्वान् पढ़े तो विदित होगा कि असलियत क्या है

आशा है श्रीमान् जी अवश्य हमारे १३ वर्ष की सेवा को ध्यान में रखते हुये नोटिस वापिस कराने की महती कृपा करेंगे ।

प्रार्थी

ह०—जगन्नाथ शास्त्री
भूतपूर्व डी० ओ० प्रा० र० द०
विंग पुलिस ।

निवास स्थान—
ग्राम—तिलहर
पो०—गगहा,
जिला—गोरखपुर ।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५११ पर)

अप्रैल सन् १९३५ तथा १९४९ ईसवी में सर्किल इन्स्पेक्टर, सब इन्स्पेक्टर, हेडकांस्टेबिल, कांस्टेबिल और चौकीदार के वेतन-क्रम निम्न प्रकार थे:

		अप्रैल सन् १९३५-का वेतन-क्रम	अप्रैल सन् १९४९ का वेतन-क्रम
		रु०	रु०
सर्किल इंस्पेक्टर	प्रथम ग्रेड	३००	२००-१०-२५०-द० रो० १५-४००
	द्वितीय ग्रेड	२६०	
	तृतीय ग्रेड	२२०	
	चतुर्थ ग्रेड	१८०	
सब इंस्पेक्टर	प्रथम ग्रेड	१२५	१२०-६-१८०-द० रो० १०-२००
	द्वितीय ग्रेड	१००	
	तृतीय ग्रेड	८०	
	चतुर्थ ग्रेड	७०	
हेड कांस्टेबिल	प्रथम ग्रेड	३५	५०-१-६५
	द्वितीय ग्रेड	३०	
	तृतीय ग्रेड	२५	
	आर्म्ड एवं सिविल पुलिस		माउन्टेड-पुलिस
कांस्टेबिल	प्रथम ग्रेड	१६ १७	३०-१-४५
	द्वितीय ग्रेड	१५ १६	
	तृतीय ग्रेड	१४ १५	
	चतुर्थ ग्रेड	१३ १४	
चौकीदार		३	५ रू०

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५२६ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित श्री हरीश कुमार गंगवार तथा श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ३–४ के उत्तर

प्रश्न	उत्तर
३—क्या सरकार को ज्ञात है कि टेहरी गढ़वाल में टेहरी से २४ मील दूर सड़क बनाते हुये १० गरीब मजदूरों की सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण मलवे में दब कर मृत्यु हो कई ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?	३—कथित घटना का सही विवरण इस प्रकार है: दिनांक ३१ जनवरी, १९६४ को टेहरी से २४ मील दूर घनसाली और चिरपटियां के बीच मोटर मार्ग पर लगभग ८० मजदूर चट्टान के कटाने का कार्य कर रहे थे। लगभग १२ १/२ बजे अचानक ऊपर से पहाड़ सरक जाने की वजह से ९ मजदूर मलवे के नीचे दब गये जिन्हें विभागीय अधिकारियों ने जो पास ही मौजूद थे, तुरन्त मलवा हटवा कर निकलवाया। ६ मजदूर मर चुके थे, और ३ जो कि काफी चोट खा गये थे, उनको उसी समय टेहरी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनमें से एक की मृत्यु हो गई। बाकी दो में एक पूर्ण स्वस्थ होकर ८ फरवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और दूसरा अभी अस्पताल में ही है और उसकी हालत सुधर रही है। यह एक दैवी दुर्घटना थी जिसके लिये कोई सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मृतकों के परिवारों को तुरन्त क्या क्षतिपूर्ति की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?	४—क्षतिपूर्ति के कागजात "वर्कमैन्स कम्पेनसेशन ऐक्ट" के अन्तर्गत तैयार करके २४,५०० रु० के चेक सहित जिलाधीश टेहरी को स्वीकृत तथा भुगतान हेतु भेजे जा चुके हैं।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी०–५२ एल० ए०—१९६४—८६० ।